खण्ड ६—अंक ३१
२८ अगस्त, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(खण्ड ६ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

223 L.S./56

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से १५०६, १५१०, १५११, १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . . . . . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५ से १०८५ . . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

विषयसूचि

(भाग १—खंड ६—अंक २१ से ४०—१३ अगस्त से ८ सितम्बर, १९५६)

पृष्ठ

अंक २१—सोमवार, १३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १००४, १००६ से १००८, १०१० से १०१२ १०१५, १०१६, १०१८, १०१९, १०२१, १०२२, १०२५ और १०२६ . . . . . ६०१–२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००५, १००९, १०१३, १०१४, १०१७, १०२०, १०२३, १०२४, १०२७ से १०२९ और १०३१ से १०४९ ९२३–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ से ६११ और ६१३ से ६५२ . . ९३४–४९

दैनिक संक्षेपिका ९५०–५३

अंक २२—मंगलवार, १४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५०, १०५१, १०५३, १०५४, १०५६ से १०५८, १०६०, १०६१, १०६४, १०६५, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७५ १०७७ से १०७९ और १०८१ . . . . ९५५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२, १०५५, १०५९, १०६२, १०६३, १०६६, १०६९, १०७०, १०७६, १०८०, १०८२ से १११३ और ७७७ . . . . . ९७५–९१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६५३ से ६७९ . . . ९९१–१००

प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि १०००

दैनिक संक्षेपिका १००१–०४

अंक २३—गुरूवार, १६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से ११२० ११२२ से ११२८, ११३२ से ११३८, ११४०, ११४२ से ११४४ और ११४७ . . १००५–२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२१, ११२७, ११२९, से ११३१, ११३९ ११४१, ११४५, ११४६ और ११४८ से ११६१ . . १०२५–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७३० . . . . १०३४–६०

दैनिक संक्षेपिका १०६१–६४

पृष्ठ

अंक २४—शुक्रवार, १७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३ से ११६९, ११७१, ११७२ और ११७४ से ११८४ . . . . . १०६५–८६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ और १० . . . . १०८६–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११७०, ११७३, ११८५ से ११९१ और ११९३ से १२०३ . . . . . १०८८–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३१ से ७३९ और ७४१ से ७६९ . . १०९५–११०६

दैनिक संक्षेपिका ११०७–०९

अंक २५—सोमवार, २० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०८, १२११, १२१४, १२१६, १२१७, १२१९, १२२४, १२२५, १२२८ से १२३४, १२३७ से १२४० और १२४४ . ११११–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०७, १२०९, १२१०, १२१२, १२१३ १२१५, १२१८, १२२० से १२२३, १२२६, १२४२, १२४३ और १२४५ से १२५३ . . . . . ११३२–४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ८०५ और ८०७ . . ११४०–५३

दैनिक संक्षेपिका ११५४–५७

अंक २६—बुधवार, २२ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५४ से १२५६, १२५८ से १२६०, १२६२, १२६३ १२६५, १२६७, १२६९ से १२७२, १२७४, १२७५ और १२७८ से १२८० . . . . . ११५९–७९

अल्प सूचना प्रश्नसंख्या ११ . . . . ११८०–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२६१, १२६४, १२६६, १२६८, १२७३, १२७६, १२७७, १२८१ से १२९१, १२९३ से १३०० और ११९२ . . . . . ११८२–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०८ से ८२० और ८२२ से ८५५ . ११९०–१२०४

दैनिक संक्षेपिका १२०५–०७

पृष्ठ

अंक २७—गुरूवार, २३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१ से १३०५, १३०७, १३११, १३१२, १३१६, १३१३, १३१९, १३२२ से १३२५, १३२७, १३४० और १३२९ से १३३२ . . . . . १२०९–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . १२२९–३१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०६, १३०९, १३१०, १३१४, १३१५, १३१७ १३१८, १३२०, १३२१, १३२६, १३२८, १३३३, से १३३८, १३४१ और १३४२ . . . . . १२३१–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८८४ . . १२३७–४९

दैनिक संक्षेपिका १२५०–५२

अंक २८—शुक्रवार, २४ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ से १३४८, १३५० से १३५२, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१, १३६४, १३६५, १३६८, से १३७२ और १३७४ से १३७७ . . . . . १२५३–७५

कुछ आपत्तिजनक बातों के बारे में अध्यक्ष के विचार . १२७५–७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४९, १३५३, १३५४, १३५६, १३५८, १३५९ १३६२, १३६३, १३६६, १३६७, १३७३ और १३७८ से १३९७ . १२७७–८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ८८९ और ८९१ से ९३३ . . १२८६–१३०३

दैनिक संक्षेपिका १३०४–०७

अंक २९—शनिवार, २५ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९८, १४००, १४०१, १४२८, १४०२ से १४०५ १४०७, १४०९ से १४१२, १४१५, १४१८ और १४१९ १३०९–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०६, १४०८, १४१३, १४१४, १४१६ १४१७, १४२० से १४२७ और १४२९ से १४४९ . १३२८–३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३४ से १०१२ . . . १३३९–७०

दैनिक संक्षेपिका १३७१–७५

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५२, १४५४ से १४५९, १४६१ से १४६५, १४७०, १४७१, १४७३, १४७५ से १४७७, १४७९ और १४८० . १३७७–९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . १३९९–१४०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४५०, १४५१, १४५३, १४६०, १४६६ से १४६९ १४७२, १४७४, १४७८ और १४८१ से १४८९ . . . १४०३–१०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०३३ और १०३५ से १०६१ . १४१०–२७

दैनिक संक्षेपिका १४२८–३०

अंक ३१—मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९०, १४९२, १४९१, १४९३, १४९४, १४९६ से १५००, १५०२, १५०७ से १५०९, १५१२ और १५१३ . . १४३१–५१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ . . . . . १४५१–५३

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में १४५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४९५, १५०१, १५०३ से१५०६, १५१०, १५११ १५१४ से १५२० और १५२२ से १५३२ . १४५३–६२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२, १०६३, १०६५ से १०६९, १०७१ से १०७३ और १०७५, से १०८५ . . . . १४६२–६९

दैनिक संक्षेपिका १४७०–७३

अंक ३२—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३४, १५३६, १५३७, १५३९ से १५४५, १५५२ १५५३, १५५८ से १५६१, १५६३, १५६४ और १५६६ से १५६८ १४७५–९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३३ १५३५, १५३८, १५४६ से १५५१, १५५४ से १५५७, १५६५, १५६९ से १५८१ और १५८३ से १५८५ . १४९७–१५०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०८६ से ११७४ . . . १५०७–३९

दैनिक संक्षेपिका १५४०–४५

पृष्ठ

अंक ३३—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५८६ से १५९२, १५९४ से १६०१, १६०३, १६०४, १६०६ १६०८, १६०९ और १६१२ . . . १५४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . १५६९–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५९३, १६०२, १६०५, १६०७, १६१०, १६११ और १६१३ से १६२९ . . . . १५७१–७९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११७५ से १२११ . . . १५७९–९३

दैनिक संक्षेपिका १५९५–९७

अंक ३४—शनिवार, १ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३० से १६३९, १६४३, १६४४, १६४६ से १६४८ १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६५७ और १६६०से १६६२ १५९९–१६२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४० से १६४२, १६४५, १६४९, १६५१, १६५२ १६५५, १६५८, १६५९ और १६६३ से १६८१ . . १६२१–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ . . . . १६३०–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१२ से १२५० . . . १६३१–४३

दैनिक संक्षेपिका— १६४४–४६

अंक ३५—सोमवार, ३ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८२ से १६८७, १६८९ से १६९४, १६९६, १६९८ से १७०१ और १७०३ से १७०७ . . . १६४७–६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ और १९ . . . . १६६९–७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८८, १६९५, १६९७, १७०२, १७०८ से १७२१ १६७३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२८७ . . . १६ ८–९

दैनिक संक्षेपिका १६९४–९६

पृष्ठ

अंक ३६ —मंगलवार, ४ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२२ से १७३०, १७५२, १७३३ से १७३५, १७३७ से १७४० और १७४२ से १७४४ . . . १६९७–१७२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७३२, १७३६, १६४१, १७४५ से १७४७, १७४९ से १७५१, १७५३ से १७६१ और १७६३ से १७६८ . . १७२०–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८८ से १३२९ . . . १७२९–४१

दैनिक संक्षेपिका १७४२–४५

अंक ३७—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७६९ से १७७८, १७८० से १७८३, १७८५, १७८६ और १७८८ से १७९१ . . . १७४७–६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९, १७८४, १७८७, १७९२ से १७९७ और १७९९ से १८१४ . . . . . १७६९–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३३० से १३६७ . . . १७७८–९५

दैनिक संक्षेपिका— १७९६–९९

अंक ३८—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८१५ से १८२१, १८२५, १८२६, १८२९, १८३० और १८३२ से १८३६ . . . . १८०१–२०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . . १८२०–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२ से १८२४, १८२७, १८२८, १८३१, १८३७ से १८६३ और १८६५ से १८६९ . . . १८२२–३३

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६८ से १४१९ . . . १८३३–५२

दैनिक संक्षेपिका १८५३–५६

पृष्ठ

अंक ३९—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७०, १८७२ से १८७९, १८८२ से १८८६ और १८८८ से १८९३ . . . १८५७–७८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८७१, १८८०, १८८७ और १८९४ से १९०३ . १८७९–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२० से १४४९ . . १८८३–९३

दैनिक संक्षेपिका — . . . १८९४–९६

अंक ४०—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०४, १९०९ से १९१२, १९१४ १९१६, १९१८ १९१९ १९२१, १९२४ से १९२७ और १९३० से १९३४ . १८९७–१९१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १९०५ से १९०८, १९१३, १९१५, १९२०, १९२२ १९२३, १९२८, १९३५ से १९४१, १९४३ और १९४४ . १९१८–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४५० से १४७९ और १४८१ से १४८८ . १९२४–३८

दैनिक संक्षेपिका १९३९–४१

भा० स० मु० ना० —वि०३—२४२ लोक सभा ५६—२३-४-५८—१९०

लोक-सभा

मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इस्पात का आयात

†*१४९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के आयात के लिये पश्चिम जर्मनी के साथ कोई करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां से कितने इस्पात का आयात किया जायेगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) और (ख). इस्पात के आयात के लिये पश्चिम जर्मनी की सरकार के साथ कोई करार नहीं किया गया है। तथापि १३-३-५६ को पश्चिम जर्मनी के एक सार्थ से १९५६ से १९५८ तक संभरित किये जाने के लिये २०५,००० मीट्रिक टन इस्पात के आयात का एक करार किया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस इस्पात के भारत में पहुंचने का क्रमिक कार्यक्रम क्या है ?

†**श्री म० म० शाह :** वह १९५६ में ४५,००० टन, १९५७ में ८०,००० टन और १९५८ में ८०,००० टन इस्पात भेजेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** पश्चिम जर्मनी द्वारा लिये गये मूल्य ब्रिटेन द्वारा लिये गये मूल्यों की तुलना में कैसे है ?

†**श्री म० म० शाह :** मूल्यों में वस्तुत: कोई तुलना नहीं की जा सकती है। आज के क्रम पत्र के प्रश्न संख्या १४९२ के उत्तर में एक विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। औसतन विदेशी इस्पात का मूल्य देशी इस्पात के मूल्य से २०० रुपये प्रति टन अधिक है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** श्रीमान, मैं यह समझ नहीं सका।

†**श्री म० म० शाह :** मैंने कहा कि प्रश्न संख्या १४९२ के उत्तर में एक विस्तृत विवरण रखा जाने को है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस प्रश्न का उत्तर भी अभी दे दिया जाये और दोनों को एक साथ लिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इस्पात का आयात

*१४९२. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६ से अब तक किन किन देशों से इस्पात का आयात हुआ है ;

(ख) इन देशों में से प्रत्येक से किस किस दर से और कितनी कितनी मात्रा में इस्पात खरीदा गया है ;

(ग) बाहर से मंगाये गये इस्पात के मूल्यों और स्वदेशी इस्पात के मूल्यों में क्या अन्तर है;

(घ) क्या अन्य कुछ देशों से भी इस्पात मंगाने के बारें में उन से बातचीत चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन देशों से, कितनी-कितनी मात्रा में तथा किन-किन दरों पर इस्पात खरीदा जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन की मेज पर उपस्थित किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध सं० ८**]

(ग) बाहर से मंगाये गये इस्पात के भाव देशी इस्पात के भावों से लगभग २०० रु० प्रति टन अधिक होते हैं । यह अन्तर लोहे के वर्ग पर प्रायः निर्भर होता है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** जितनी हमने मांग की थी क्या अब तक आयात उतना ही हुआ है या आयात में कुछ कमी हुई है ?

†**श्री म० म० शाह :** मेरे विचार से इस्पात बड़े संतोषजनक ढ़ंग से पहुंच रहा है । दस लाख टन की जो मांग की गई थी उसमें से ८५४,५९५ टन इस्पात पहुंचने वाला है और उसका अधिकांश भाग पहुंच भी गया है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या हमने समस्त चाल वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयात कर लिया है या उसमें कोई कमी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) :** अगले वर्ष ?

†**श्री भागवत झा आजाद :** १९५६ ।

†**श्री कृष्णमाचारी :** स्थिति स्पष्ट है । मेरी स्वयं की कठिनाई है कि जो सामान यहां पहुंच रहा है उसे उठाया नहीं जा रहा है । हमें उसके स्टोर करने का प्रबन्ध करना है क्योंकि वह बहुत अधिक मात्रा में पहुंच रहा है । हमारी अगले वर्ष सम्बन्धी योजनाओं पर भी विचार किया जाना है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस्पात का मूल्य किस मुद्रा में चुकाया जाने को है ? जहां तक इस्पात के आयात का सम्बन्ध है क्या किसी देश के साथ कोई वस्तु-विनिमय सौदा किया जाने को है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** जहां तक भुगतान का सम्बंध है, यह विभिन्न देशों के लिये भिन्न भिन्न है । कुछ देशों को रुपयों में मूल्य चुकाना है कुछ एक को हमें डालरों में भुगतान करना ह और कई मामलों में यह सहायता के रूप में ही आ रहा है । किसी के साथ वस्तु-विनिमय सौदा नहीं किया गया है । यह कहा जा सकता है कि हम सभी मुद्राओं में भुगताना कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी :** हमारे आयात का इस वर्ष की कुल मांग से क्या अनुपात है ? अगले वर्ष क्या अनुपात होने की सम्भावना है ?

†**श्री म० म० शाह :** इस समय चालू देशीय उत्पादन १२.६ लाख टन है। अनुमानित आयात २० लाख टन का है ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** यह बताया गया है कि वर्ष १९५६-५७ के लिये ११ लाख टन इस्पात आवंटित किया गया है। अभी तक केवल ४,१२,००० टन आवंटित किया गया है। क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि समूचा आवंटन पूरा कर दिया जायेगा ?

†**श्री म० म० शाह :** जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ८,५४,५९५ टन इस्पात पहुंच गया है । कार्यक्रम के अनुसार और २ से ३ लाख टन शीघ्र ही पहुंचने को है। इससे हमारे आयात सम्बंधी कार्यक्रम की सभी प्रत्याशायें पूरी हो जायेंगी ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या उत्तर में बताये गये मूल्य पर उपभोक्ताओं को इस्पात उपलब्ध हो जाता है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** आशा तो ऐसी ही की जाती है । जहां तक संरक्षित उपभोक्ताओं का सम्बंध है, हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं ।

†**श्री अ० म० थामस :** माननीय मंत्री ने कहा कि जो सामान पहुंच रहा है उसे उठाया नहीं जा रहा है । क्या कोचीन बन्दरगाह में काम कम नहीं है और कुछ सामान के वहां उतारे जाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** इस के अतिरिक्त कोई कठिनाई नहीं कि हमें वे वस्तुएं कोचीन के बन्दरगाह से उपभोक्ताओं के स्थानों को भेजनी होती हैं, और यह कोई सरल कार्य नहीं है ।

†**सेठ गोविन्द दास :** हमें कब तक इस्पात का आयात करना पड़ेगा ? क्या भिलाई में काम आरम्भ होने पर देश इस्पात के सम्बंध में आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** मेरे विचार से देश आत्म-निर्भर नहीं होगा। किसी देश का औद्योगिक विकास उसकी इस्पात की खपत पर निर्भर करता है। आशा है कि बहुत शीघ्र ही हमारी मांग हमारे उत्पादन से कहीं अधिक बढ़ जायेगी इसलिये हम अधिक उत्पादन की योजना बनाते जा सकते हैं ।

†**श्री ब० द० पांडे :** क्या दुर्गापुर, रूड़केला और भिलाई में संयन्त्र स्थापित हो जाने से हम इस्पात में आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमें आशा है कि शायद दस लाख टन की कमी रहेगी ।

†**श्री दामोदर मेनन :** प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा कि इस्पात के आयात के बारे में किसी अन्य देश से अब कोई बातचीत नहीं चल रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पश्चिम जर्मनी से ही क्यों बातचीत की, किसी अन्य देश से क्यों नहीं की ?

†**श्री म० म० शाह :** विवरण में २१ देशों के नाम दिये गये है। उत्तर से यह स्पष्ट है कि विवरण में बताये गये देशों के अतिरिक्त किसी अन्य देश से बातचीत नहीं की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री त० ब० विठ्ठलराव :** माननीय मंत्री ने कहा कि ८,९५,००० टन का आयात किया जा चुका है। अगले कुछ महीनों में हम दस लाख टन का और आयात करने जा रहे हैं। नौवहन स्थान कम होने के कारण और दस लाख टन का आयात करना कैसे सम्भव हो सकता है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** सम्भव है कि माननीय सदस्य द्वारा बताये तथ्य ठीक हों। हमें अब भी आशा है कि मार्च १९५७ तक, जो कि सरकारी वर्ष है, हम अपने आयात कार्यक्रम को पूर्ण रूप से अथवा प्रायः पूरा कर सकेंगे। नौवहन स्थान के कम होने की समस्या तो है ही।

†**श्री बोस :** यह बताया गया है कि आयात किये गये इस्पात का मूल्य देशी इस्पात से २०० रुपये प्रति टन अधिक है। क्या यह अधिक मूल्य परिवहन खर्च के कारण है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** नहीं, वस्तुतः वे अधिक उत्पादन व्यय हैं और किसी हद तक उत्पादन के स्थान से भारत तक लाने से वस्तु भाड़े के कारण भी मूल्य बढ़ जाता है।

कते हुए रेशम के कारखाने

†***१४९१. श्री स० चं० सामन्त :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर में कते हुए रेशम के कारखाने स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) कितने कारखानों को प्रत्येक वर्ष निर्यात किया जाने वाली रेशम की कतरन को काम में लाना पड़ता है; और

(ग) इस समय देश में कते हुऐ रेशम का प्रयोग करने वाले कितने कारखाने हैं ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) आसाम सरकार ने ३००० तकुओं वाली एक कते रेशम की मिल खोलने के सम्बंध में प्रारम्भिक कार्यवाही कर ली है। बिहार, पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा काश्मीर के इसी तरह के प्रस्तावों पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड विचार कर रहा है;

(ख) एक या दो कारखाने जिन की कुल क्षमता ६००० तकुए है;

(ग) मैसूर राज्य में चेन्नापत्न के स्थान पर केवल एक।

†**श्री स० चं० सामन्त :** १९५५ में कितनी रेशम की कतरन का निर्यात किया गया ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** १९५५ में १·५ लाख पौंड रेशम की कतरन निर्यात की गई थी।

†**श्री स० चं० सामन्त :** माननीय मंत्री ने मैसूर के जिस कारखाने का उल्लेख किया उसमें कितनी खपत हुई ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** मैसूर के कते हुऐ रेशम के कारखाने ने ३ से ४ लाख पौंड तक रेशम की कतरन का उपयोग किया। कारखाने की क्षमता कोई आठ लाख पौंड का उपयोग करने की है, परन्तु वह केवल ३ से ४ लाख पौंड तक का ही उपयोग कर सका है।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या सरकार को विदित है कि निर्यात की सुविधायें न होने के कारण रेशम की बहुत सी कतरन मैसूर राज्य के गोदामों में बेकार पड़ी रहती हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** जी हां, सरकार को विदित है कि रेशम की कतरन का बहुत सा स्टाक पडा हुआ है परन्तु सरकार चेन्नापत्न के एक ही कते रेशम के कारखाने को कच्चे माल से वंचित करने की जोखिम नहीं उठा सकती है। यद्यपि गत वर्ष इसने ४ लाख पौंड का उपयोग किया, अब वह काफी प्रगति कर रहा है और आशा है कि इस वर्ष इसे सात से आठ लाख पौंड तक की आवश्यकता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

हम इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, और हाल ही में हमने रेशम की कतरन के निर्यात के अभ्यंश को बढ़ा दिया है। अभी तक इस वर्ष हमने २·२५ लाख पौंड निर्यात करने का निश्चय किया है और हम यह देख रहे हैं कि इस निर्यात को कहां तक बढ़ाया जा सकता है।

†**श्रीमती खोंगमेन** : इस तथ्य को देखते हुए कि आसाम सर्वोत्तम प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है, क्या सरकार वहां ऐसे कारखानों की स्थापना में सहायता देगी ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कते रेशम का एक ३००० तकुओं वाला कारखाना आसाम में खोलने की प्रस्थापना है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सैद्धान्तिक रूप से इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है और आसाम सरकार ने इस की स्थापना के सम्बंध में कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही भी की है। वस्तुतः उसने इसके लिये योजना तैयार करने के हेतु जापान से एक विशेषज्ञ को बुलाया है, और भारत सरकार ने भी पूंजी लागत में अंशदान देने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या गुडियाट्टम में स्थित साउथ इंडिया सिल्क मिल ने जो पूंजी न होने के कारण बन्द सी पड़ी है, कोई केन्द्रीय सहायता मांगी है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री निजलिंगप्पा** : क्या यह सच है कि कोई १० लाख पौंड रेशम की कतरन व्यापारियों के पास पड़ी है और वे निर्यात के लिये चिल्ला रहे हैं ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : इस विषय के बारे में माननीय सदस्य का मुझे एक लम्बा सा पत्र मिला था। ४ लाख पौंड के आंकड़े के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। सरकार तथ्यों की जांच कर रही है। मेरी जानकारी के अनुसार स्टाक में ६ या ७ लाख पौंड है। अब हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों को हमें स्टाक के निश्चित आंकड़े भेजने के लिये लिखा है। जानकारी मिलने पर हम निश्चय करेंगे कि अब हमें क्या करना है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : जापान से जो विशेषज्ञ आ रहा है क्या वह कारखाने की स्थापना करने के कार्य का विशेषज्ञ है या सामान्य रूप से रेशम उद्योग का विशेषज्ञ है ? यदि वह रेशम कीट पालन का विशेषज्ञ है, तो क्या उसे रेशम कीट पालन उद्योग में सुधार करने के लिये सारे देश का दौरा कराया जायगा ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : हमें जो जानकारी मिली है वह यह है कि आसाम सरकार ने इस विशेषज्ञ को आसाम में कते रेशम का एक कारखाना स्थापित करने के सम्बंध में परामर्श करने के लिये बुलाया है। उसे सामान्य प्रयोजनों के लिये नही बुलाया गया है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इस कारखाने की स्थापना किये जाने की सिफारिश की है। उन क्षेत्रों में जहां रेशम का उत्पादन होता है रेशम की इस कतरन का उपयोग करने के लिये बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड आसाम में एक कते रेशम का कारखाना स्थापित किये जाने पर सहमत हो गया है, और पश्चिम बंगाल, बिहार और जम्मू तथा काश्मीर के बारे में प्रस्थापनायें बोर्ड के विचाराधीन हैं। उसने राज्यों से कुछ जानकारी मांगी है और उसने अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं किया है। इस बीच हम उत्पादन को जहां तक सम्भव हो रहा है अपने देश में ही खपत कर रहे हैं और शेष को अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भाखड़ा नंगल परियोजना

*१४९३. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भाखड़ा के तथा साथ ही नंगल के दूसरे बिजली घर से अनुमानत: कितनी बिजली का संभरण किया जायेगा; और

(ख) भाखड़ा के इस दूसरे बिजली घर के चालू होने पर क्या प्रति यूनिट बिजली की दर में कोई कमी हो सकेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ९]**

(ख) जी, नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : कोटला बिजली घर में प्रस्तावित तीसरे यंत्र को लगाने के सम्बंध में क्या किसी समय का निर्धारण किया गया है या नहीं ?

श्री हाथी : लगाया जायेगा लेकिन कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : भाखड़ा में जो चौथा यंत्र लगने वाला है, उसके सम्बंध में क्या कोई फैसला हो गया है?

श्री हाथी : पहले पावर हाउस के लिये चौथे की बात नही है, अब तो दूसरे पावर हाउस की बात है ।

श्री भागवत झा आजाद : उसके सम्बंध में क्या कोई फैसला हो चुका है ?

श्री हाथी : उसके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ।

†**श्री कासलीवाल :** भाखड़ा नंगल के बिजली घर से इस समय दिल्ली को कुल कितनी विद्युत शक्ति दी जा रही है और वहां से दिल्ली को शक्ति दिये जाने का अन्तिम लक्ष्य क्या है ?

†**श्री हाथी :** इस समय चारों बिजली घरों की जनन क्षमता २४००० किलोवाट के चार यूनिट हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि बिजली की कुल जनन क्षमता ९६००० किलोवाट है और दिल्ली को १०,००० किलोवाट बिजली दी जा रही है और एक सप्ताह में और १०,००० किलोवाट शक्ति प्राप्त हो जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विद्युत शक्ति का कुछ भाग सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिये भी रखने का निश्चय किया गया है, और यदि हां, तो इस सम्बंध में कुल आवंटन कितना है ?

†**श्री हाथी :** ऐसे तो किसी भी विशेष उद्योग और सिंचाई के लिए कोई आंवटन नहीं किया गया है परन्तु दरों और प्रशुल्कों में कुछ भेद रखा गया है । कृषिकार्य के लिये यह कम है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या मैं जान सकता हूं कि विद्युत शक्ति के वर्तमान सम्भरण के मुकाबले में इसकी मांग की स्थिति निर्धारित की गयी है और क्या पांचवे यूनिट के बन जाने से इस स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी ?

†**श्री हाथी :** वर्तमान लोड सर्वेक्षण के अनुसार तो भाखड़ा के चार यूनिटों और नांगल के दो बिजली घरों के यूनिटों का औचित्य सिद्ध होगा । बाद में लोड के बढ़ने पर दूसरा बिजली घर चालू कर दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी भाखड़ा से विद्युत शक्ति दिये जाने की कोई सम्भावना है, और यदि हां तो कब तक ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में पंजाब सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से यह पूछा था कि क्या वह भाखड़ा परियोजना से विद्युत शक्ति लेना चाहेंगे। परन्तु उन्होंने कहा कि रिहंद बन कर तैयार हुआ जा रहा है और शायद उन्हें और अधिक शक्ति की आवश्यकता न रहे ।

मवेशियों के चाटने का नमक

†*१४९४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मवेशियों के चाटने का नमक तैयार करने विषयक प्रस्थापना के सम्बंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रस्ताव पर विचार करत समय इस बात का अनुमान भी लगाया गया है कि मनुष्यों के खाने योग्य कितना नमक इस योजना के कार्यान्वित किये जाने से बच जायेगा ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैं समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार प्रयुक्त होने वाले इस नमक की कुल परिमात्रा कितनी है जिसको यदि इस कार्य के लिये काम में लाया जाये तो मनुष्यों के खाने योग्य कितने नमक से बचत होगी ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : यह बड़ा जटिल प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं यह बता दूं कि केवल पश्चिम भारत में ही मवेशियों के चाटने वाले नमक का प्रश्न उत्पन्न होता है, और उस ओर उसकी मांग का अन्दाजा लगभग दो लाख मन प्रति वर्ष है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार था आगे चलते, हमारे पास बहुत प्रश्न हैं ।

†**श्री कामत** : प्रश्न संख्या १४९८ का उत्तर इसके साथ ही दिया जाये ।

† **अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा, सरदार इकबाल सिंह, वह यहां नहीं हैं। अतः प्रश्न संख्या १४९८ बाद में ले लिया जायेगा ।

कम्बोडिया को भेजा गया प्रविधिक सर्वेक्षण दल

† *१४९६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस प्रविधिक सर्वेक्षण दल ने जिसे कम्बोडिया में भारत द्वारा दी जाने वाली प्रविधिक सहायता की आवश्यकता का अन्दाजा लगाने के लिये भेजा गया था अपना काम समाप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) हां ।

(ख) जी हां, रिपोर्ट की एक प्रति लोक-सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एस० ३६३/५६]

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कम्बोडिया की सरकार ने भारत सरकार से किसी विशेष प्रकार की सहायता दिये जाने के लिये कहा था ?

†**श्री सादत अली खां** : उन्होंने विशेष प्रकार की सहायता के लिए भी प्रार्थना की है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इन सिफारिशों पर भारत सरकार को नहीं कम्बोडिया सरकार को विचार करना है । जहां तक सहायता का प्रश्न है जिस एक मात्र प्रकार की सहायता दे सकने के बारे में हमने उनसे कहा है वह प्रविधिक सहायता ही कर सकते हैं । किसी बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती है परन्तु प्रविधिविज्ञों को भेजने को हम तैयार हैं, उनके कर्मचारियों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं अथवा अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों को वहां भेज सकते हैं ।

†**श्री बलायुधन** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सर्वेक्षण दल का खर्च हमारी सरकार द्वारा वहन किया जायेगा अथवा कम्बोडिया की सरकार द्वारा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस मामले में कुछ निश्चित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सहायता है । क्या यह मुफत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे यह निश्चय नहीं है कि इस दल का, जो कि वहां गया था, खर्चा किसने उठाया था । यही माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वहां दो या तीन दल थ एक तो किसी सयुंक्त राष्ट्र अभिकरण की ओर से भेजा गया था जिसका सभापति भी एक भारतीय इंजीनियर था । उसका तो खर्चा संयुक्त राष्ट्र अथवा उस अभिकरण द्वारा वहन किया गया था । दूसरे के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या यह सहायता कोलम्बो योजना के अन्तर्गत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार से कम्बोडिया कोलम्बो योजना के अंतर्गत नहीं आता है । इसलिये यह एक उभयपक्षीय प्रबन्ध ही है ।

साइकिल टायर

†*१४९७. **श्री जयपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साइकिल टायरों की थोक और परचून कीमतें क्या हैं ;

(ख) विदेशों से प्रति वर्ष आयात किये जाने वाले और भारत में बनाये जाने वाले टायरों की संख्या क्या है; और

(ग) देश की आवश्यकता को भारतीय निर्माताओं के द्वारा पूर्ण कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) देशीय साइकिल टायरों के स्वीकृत मूल्य यह हैं:-

थोक	३-१५-० एक
(डनलप बेट्स)	
परचून	४-६-० एक

(ख) १९५५ में आयातित—१३,९५२ नग। १९५५ में बनाये गये—५,७४८,००० नग।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुसार उत्पादन क्षमता आवश्यकता के अनुसार विस्तार करने की योजनाओं के लिये लाइसेन्स दे दिये गये हैं। कुछ आयात करने का भी प्रबंध किया गया है।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या आयात की गई साइकिलें टायरों सहित आती हैं अथवा उनके बिना आती हैं ?

†**श्री कानूनगो** : पहले पहल साइकिलों को टायर समेत आयात करने की अनुमति नहीं थी। अब हमने टायरों सहित आयात करने की अनुमति दे दी है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या यह सच है कि मेसर्ज डनलप रबर कम्पनी इंडिया लिमिटेड को साइकिलों के टायर और टयूबों की सम्पूर्ण मोनोपली (एकाधिकार) दी गई है ? अगर यह सच है तो इस का क्या कारण है ?

श्री कानूनगो : मोनोपली नहीं दी गई है। इस समय सात फैक्टरियां काम कर रही हैं। डनलप वालों को थोड़े टायर टयूब इसलिये इम्पोर्ट (आयात) करने दिया गया है क्योंकि वे उनको सस्ता ला सकते हैं।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : कुछ दिन हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि डनलप को टायरों और टयूबों का आयात करने के लाइसैन्स इसलिये दिये गये हैं ताकि एक संचय करके कीमतें गिरा दी जायें। क्या मैं जान सकती हूं कि इस संचय के पश्चात कीमतें कितनी गिरी हैं?

†**श्री कानूनगो** : यह दो महीने पहले की बात है, इस बीच बहुत कम आयात हुआ है। मुझे आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में कीमतें गिर जायेंगी।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या मंत्री महोदय हमें यह बता सकेंगे कि क्या बच्चों और स्त्रियों की साइकिलों के आयात में कुछ प्रगति हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : मुझे इसका पता नहीं है।

†**श्री केलप्पन** : क्या मैं जान सकता हूं कि टायरों का आयात हम किस किस देश से कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : इस समय तो हम ब्रिटेन से आयात कर रहे हैं।

†**श्री केलप्पन** : क्या यह ठीक नहीं है कि ये जापान और जर्मनी में सस्ते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, हमारा यह मत नहीं है।

†**श्री कासलीवाल** : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारतीय निर्माता साइकिल टायरों की हमारी मांग की किस प्रतिशतता को इस समय पूरा कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कानूनगो :** इस समय हमारी मांग भारतीय निर्माताओं द्वारा पूरी नहीं की जा रही है । १९६० तक इस मांग क १२० लाख से १३० लाख टायरों तक जा पहुंचने की आशा है । इस समय उत्पादन लगभग ६,५०,००० टायरों का है । जिन योजनाओं को लाइसैंस दिया गया है वह आगामी वर्ष से उत्पादन आरम्भ करेंगी ।

†**श्री सै० वें० रामस्वामी :** इन टायरों के आयात के सम्बंध में जो उत्तर दिया गया था वह यह था कि पुंज मूल्यों को कम करने के लिये एक विदेशी सार्थ डनलप को आयात का एकाधिकार दिया गया है । यदि किसी विदेशी सार्थ को यह एकाधिकार न देकर किसी भारतीय फर्म को यह अधिकार दिया गया होता तो क्या यह परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते थे ?

†**श्री कानूनगो :** वर्तमान स्थिति में यह सम्भव नहीं कि इतनी मात्रा में और इतने मूल्य पर इंगलैंड स्थित डनलप के मूल सार्थ के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्रोत से आयात करना सम्भव नहीं था ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** आयात के भारी लाइसैंस दिये जाने के बाद डनलप द्वारा और अधिक मात्रा में आयात किये जाने के कारण साइकिलों के कितने भारतीय आयातक काम छोड़ बैठे हैं और कितने लाइसैंस रद्द किये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो :** कोई था ही नहीं, इसलिये किसी के रद्द किये जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता ।

संश्लेषित रबड़ का कारखाना

†*१४९८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शीरे से संश्लेषित रबड़ बनाने का कोई कारखाना खोलने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब और कहां खोला जाने को है; और

(ग) इस कारखाने की स्थापना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) से (ग). संश्लेषित रबड़ शीरे से नहीं बनाया जा सकता है, यद्यपि शीरे से बनाया गया मद्यसार ब्यूटेडीन बनाने के लिये जिसके स्टीरीन से कोपोलीमेरीजेशन के बाद संश्लेषित रबड़ बनाया जा सकेगा, एक वैकल्पिक कच्चा माल हो सकता है । भारत में ब्यूटेडीन और स्टीरीन के संभावित संसाधनों के आधार पर संश्लेषित रबड़ बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। विदेशी विशेषज्ञों का एक दल इस समय देश में एक संभावित परियोजना की अर्थ व्यवस्था के सम्बंध में एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये आया हुआ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिये देश के गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है, और यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

†**श्री म० म० शाह :** देश की शक्ति सुषव के उत्पादन सम्बन्धी क्षमता को ज्ञात करने के लिये एक सामान्य सर्वेक्षण किया गया है और उत्तर प्रदेश से शक्ति सुषव के राष्ट्रीय उत्पादन का ७० से ८० प्रतिशत तक प्राप्त होता है अर्थात १७० लाख गैलन के वार्षिक उत्पादन में से वह १०० से १२० लाख गैलन तक का उत्पादन करता है ।

†**श्री अ० म० थामस :** समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि माननीय मंत्री श्री कानूनगो ने यह कहा है कि संभव है कि प्राकृतिक रबड़ संश्लेषित रबड़ के मुकाबिले में प्रतियोगिता में ठहर न सके । क्या इस समाचार का कोई आधार है, और यदि है तो क्या मै जान सकता हूं कि किस आधार पर वह वक्तव्य दिया गया है ? गुण प्रकार के आधार पर प्राकृतिक रबड़ संश्लेषित रबड़ की तुलना में कैसा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : वह वक्तव्य संश्लेषित रबड़ के भविष्य को और विज्ञान की प्रगति को ध्यान में रख कर दिया गया है ।

†**श्री पुन्नूस** : माननीय मंत्री ने संश्लेषित रबड़ के निर्माण के सम्बंध में शीरे का निर्देश किया क्या सरकार एक संश्लेषित रबड़ फैक्टरी स्थापित करने का विचार करती है, और यदि हां तो उस की अनुमानित लागत क्या है ?

†**श्री म० म० शाह** : जैसे कि मैं पहिले ही बता चुका हूं इस प्रस्थापना पर गंभीर रूप से विचार किया जा रहा है । उक्त कारखाने की लागत का अनुमान कोई १२.५ करोड़ रुपया है और वर्तमान अनुमानों के अनुसार संश्लेषित रबड़ की उत्पादन लागत प्राकृतिक रबड़ की अपेक्षा तीन आना प्रति पौंड कम होगी ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार ने भारत में खपत के लिये तथा निर्यात प्रयोजनों के लिये पर्याप्त प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करने की संभावनाओं की जांच की है और उस जांच के पश्चात ही अन्य कुछ स्थानों से कुछ रबड़ आयात करने की प्रस्थापना की गई है ?

†**श्री म० म० शाह** : प्रथमता संश्लेषित रबड़ कदापि विदेशी नहीं है । वह तो केवल ब्यूटेडीन से स्टीरीन के कोपोलीमेरीजेशन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है । दूसरे जहां तक प्राकृतिक रबड़ का सम्बंध है सरकार देश में प्राकृतिक रबड़ के बागानों को बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रबड़ बागानों के विकास के लिये योजनायें हैं । गत चार वर्षों में, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, इसका क्षेत्रफल १,३१,००० एकड़ से बढ़ कर १,६८,००० एकड़ हो गया है । हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसका उत्पादन २१,००० टन प्रति वर्ष से बढ़ कर ३२,००० से ३५,००० टन हो जायेगा ।

†**श्री अच्युतन** : क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में अपेक्षित संश्लेषित और प्राकृतिक दोनों प्रकार के रबड़ों की आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया है और संश्लेषित रबड़ को इस अपेक्षित मात्रा की कितनी परिमात्रा आवंटित की जायेगी ?

†**श्री म० म० शाह** : जी हां, हमने आवश्यकता का अनुमान लगाया है । सन १९६० के लिये हमारी आवश्यकताओं का अनुमान कोई ५०,००० टन है जिसमें से कोई ३० या ३५ हजार टन की आवश्यकता प्राकृतिक रबड़ से और २५ हजार टन की आवश्यकता संश्लेषित रबड़ से पूरी की जायेगी ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : संश्लेषित रबड़ के मूल्य की तुलना म प्राकृतिक रबड़ का मूल्य क्या है और क्या सरकार देहरादून की चीनी मिल के पास ही संश्लेषित रबड़ का कारखाना खोलने का विचार करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या संश्लेषित रबड़ फैक्ट्री की स्थापना करने के सम्बंध में कोई अन्तिम निर्णय करने से पूर्व रबड़ उद्योग से परामर्श किया जायेगा ?

†**श्री म० म० शाह** : यदि माननीय सदस्य का आशय उनसे है जो उत्पादन के लिये रबड़ को काम में ला रहे हैं, तो निश्चय ही हम ने समस्त रबड़ निर्माण उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रख लिया है ।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** : माननीय मंत्री के इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम भारत में रबड़ बागानों के क्षेत्र में वृद्धि करने जा रहे हैं, तो यदि हम देश में पर्याप्त प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन कर सकते हैं तो फिर भारत में संश्लेषित रबड़ के उत्पादन के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करने की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री म० म० शाह :** माननीय सदस्य जानती हैं कि देश को जितनी आवश्यकता है उतनी प्राकृतिक रबड़ का इतने कम समय में उत्पादन करना बहुत कठिन है और क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बहुर्मुखी विकास के लिये रबड़ एक आवश्यक वस्तु है, इसलिये विकास योजनाओं के अनपेक्ष भी, जो कि प्राकृतिक रबड़ के क्षेत्रों में स्वयं बहुत विस्तृत है, रबड़ की प्रदाय को संश्लेषित रबड़ का निर्माण करके बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया है।

पाकिस्तान से भारत में हरिजनों का प्रव्रजन

†*१४९९. **श्री गिडवानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान १७ जुलाई, १९५६, को **टाईम्स आफ इन्डिया,** दिल्ली संस्करण में प्रकाशित इस आशय की सूचना की ओर दिलाया गया है कि लाहौर डी० ए० वी० कालेज में रह रहे १३८ हरिजनों को जो स्थायी रूप से भारत वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान सरकार द्वारा इस आधार पर प्रव्रजन प्रमाण पत्र देने से इनकार किया गया था कि १९५० के भारत-पाकिस्तान करार में दोनों ओर से केवल हिन्दुओं और मुसलमानों के आने जाने का विचार किया गया था, और न कि हरिजनों का; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी हां ।

(ख) इस मामले के बारे में पश्चिमी पाकिस्तान सरकार से कहा जा रहा है ।

†**श्री गिडवानी :** इस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार को कब लिखा गया था, और क्या उसका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** माननीय सदस्य मुझ से तिथि पूछना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह अभी हाल की ही बात है । ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम पाकिस्तान के मुख्य मंत्री का यह विचार है कि हरिजनों और हिन्दुओं के बीच यह भेद करना उचित नहीं था । उन्होंने कहा था कि वह इस मामले की जांच करेंगे । तब से हम इस मामले को बारबार उठा रहे हैं । किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को विदित होगा कि पाकिस्तान की बदलती हुई राजनैतिक परिस्थितियों में कुछ मामले पड़े रह जाते हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या प्रधान मंत्री को विदित है कि पाकिस्तान में सभी हरिजनों को भंगियों की खेती में रखा जाता है, और पाकिस्तान के अधिकारी भंगियों को अत्यावश्यक कर्मचारी मानते है, और इसीलिये इसी युक्ति के आधार पर वे किसी भी हरिजन को पाकिस्तान छोड़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे नहीं मालूम कि इन सब को भंगियों की श्रेणी में रखा गया है । किन्तु यह सच है कि उन सबको किसी आकस्मिक श्रेणी में रखा गया है।

†**श्री कामत :** अत्यावश्यक सेवाएं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत और इस प्रकार वहां से उनके आने के मार्ग में बाधायें उत्पन्न की जा रही हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति :** उस श्रणी के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कि सब को अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत न रखा जाय, चाहे वे अत्यावश्यक हैं या नहीं, क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम पाकिस्तान सरकार के आन्तरिक विवरणों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । हमारी मुख्य बात यह है कि यदि उनमें से कोई व्यक्ति पाकिस्तान के साथ हुए हमारे करार के अन्तर्गत भारत आना चाहते हैं तो उन्हें आने दिया जाय और इस कारण कि पाकिस्तान सरकार को उनकी सेवाओं की कुछ आवश्यकता है उन्हें आने से न रोका जाये ।

†**श्री काजरोल्कर** : क्या १९५० के भारत-पाकिस्तान करार के निबंधन इतने अस्पष्ट हैं कि जिनमें यह निर्वचन करने की गुंजाइश है कि हरिजन हिन्दू नहीं हैं और यदि ऐसा है तो क्या सरकार करार को पुनरीक्षित नहीं करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह अस्पष्टता का प्रश्न नहीं है । उस समय हमें यह ध्यान ही नहीं आया कि हरिजनों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये । हमने यह समझा था कि यह स्पष्ट था कि वे उस परिभाषा के अन्तर्गत आते थे ।

करार का पुनरीक्षण करने के बारे में प्रश्न इस मामले का निर्णय करने का है, और अनिश्चित समय तक समूचे करार पर चर्चा करने का नहीं है ।

†**श्री जांगड़े** : क्या यह सच नहीं है कि वहां लगभग तीन लाख हरिजन बसे हुऐ हैं, और वे भारत आना चाहते थे किन्तु पाकिस्तान सरकार ने पिछले तीन या चार वर्ष से उनको भारत न आने के लिये बाध्य कर रखा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

नेताजी के भाषणों के रिकार्ड

†*१५००. **श्री कामत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के युद्धकालीन भाषणों के रिकार्ड रडियो टोकियो ने सुरक्षित रखे थे;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) इस समय वे रिकार्ड कहां हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन रिकार्डों को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ङ). नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों के रिकार्ड अथवा उनकी फिल्में उपलब्ध करने के लिये कई बार प्रयत्न और पूछताछ की गई । जापान की ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने हमें यह सूचना दी है कि उन्होंने युद्ध-पूर्व के अपने सभी विशेषकर १९३८-१९४५ तक की अवधि सम्बंधी रिकार्डों को नष्ट कर दिया है । इसलिये अब कोई रिकार्ड नहीं है । हाल ही में जापान सरकार ने जांच समिति को, जो कि टोकियो गई थी, चार मिनट के समय की एक फिल्म भेंट की थी, जिसमें श्री सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना को दिया गया एक भाषण है । भाषण को जैसा कि फिल्म में है, अलग से रिकार्ड करने की व्यवस्था की जा रही है और वह लगभग एक मिनट का है । इसे आल इंडिया रेडियो अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जायेगा। आल इन्डिया रेडियो यह पता लगाने के लिये अलग से प्रयत्न कर रहा है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों के कोई अन्य छोटे या बड़े रिकार्ड हैं अथवा नहीं ।

†**श्री कामत** : क्या माननीय मंत्री ने एक पुस्तक के पत्रों को सरकारी नजर से देखा है--क्या आपने जो परामर्श दिया था उसके अनुसार मैंने पुस्तक की एक प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न किया किन्तु पुस्तकालय में जो एक प्रति थी उसे किसी के नाम जारी कर दिया गया है अब वह पुस्तकालय में नहीं है । इस पुस्तक की मेरी अपनी प्रति नागपुर में है तथा इस पुस्तक का नाम **इन्डिया अफायर**

---

†मूल अंग्रेजी में ।

है जिसे क्लेयर और हैरिस वोफर्ड नामक अमरीकी लेखकों ने लिखा है और जिसमें उन्होंने यह कहा है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों के कुछ रिकार्ड जो टोकियो में थे युद्ध के बाद चीन ले जाये गये थे । यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले के सम्बंध में जांच की है अथवा करने का विचार रखती है कि क्या युद्ध के बाद में रिकार्ड टोकियो से चीन ले जाये गये थे ?

†**डा० केसकर :** अर्सा इतना गुजर चुका है कि जब तक हमारे पास कोई ठोस जानकारी न हो तब तक पता लगाना कठिन होगा किन्तु हम यह पूछताछ अवश्य करेंगे कि कोई रिकार्ड ले जाये गये थे अथवा नहीं । किन्तु जब तक ऐसा कोई प्रमाण न हो कि ऐसे रिकार्ड ले जाये गये हैं तब तक इस बात के बारे में कार्यवाही करना उपयुक्त नहीं होगा ।

†**श्री कामत :** माननीय मंत्री ने यह कहा है कि सरकार इस मामले के बारे में आगे कार्यवाही अथवा पूछताछ करेगी । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले के बारे में आगे कार्यवाही करना उचित नहीं होगा । उनके इस कथन का आशय क्या है ?

†**डा० केसकर :** मैंने यह कहा था कि पूछताछ करने के बाद यदि हमें आगे कार्यवाही करने के लिये कोई उचित कारण न दिखाई दिया तो हम ऐसा नहीं करेंगे । दो अमरीकी लेखकों ने जो कुछ लिखा उसके आधार पर बहुत सा धन व्यय करके जांच करना संभव नहीं है ।

†**श्री कामत :** गत सत्र में एक प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा था कि नेताजी सुभाष चन्द्र के अंग्रेजी और बंगाली भाषणों के दो रिकार्ड नेताजी के एक रिश्तेदार के पास हैं, और उन रिकार्डों को डब करने के लिये कुछ समय के लिये लेने के बारे में बातचीत चल रही है। क्या यह प्रयत्न सफल हुए अथवा नहीं ? क्या वे रिकार्ड यहां आ गये हैं और क्या उन्हें डब करने और सुरक्षित रखने के लिये तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० केसकर :** जिन दो रिकार्डों के बारे में मैंने कहा है वह शीघ्र ही यहां आयेंगे । उनके आने पर माननीय सदस्य को यह बता सकूंगा कि उन में क्या है ।

हमारे पास यह जानकारी है कि जर्मनी में एक व्यक्ति के पास एक फिल्म है जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक भाषण है । हो सकता है कि यह फिल्म वही हो जिसकी एक प्रति जापान सरकार ने हमें दी है । किन्तु हम उसके बारे में निश्चित रूप से नहीं जानते ।

†**श्री चट्टोपाध्याय :** क्या बर्लिन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा दिये गये भाषणों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है और यदि हां तो क्या उनके रिकार्ड बनाये गये हैं और यदि उनके रिकार्ड बनाये जा चुके हैं तो क्या उन्हें भारत में लाये जाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**डा० केसकर :** जैसा कि मैंने बताया है कि हमने कई सूत्रों से पूछताछ की है और अभी जिन का उल्लेख किया गया है उनके अलावा अन्य रिकार्डों का हमें ज्ञान नहीं है ।

संश्लेषित उर्वरक

†*१५०२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संश्लेषित उर्वरकों के बारे में नवीनतम प्रगति का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार ने एक पदाधिकारी को विदेश में भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पदाधिकारी का अभिधान और उसका चुनाव करने का तरीका क्या है; और

(ग) उक्त पदाधिकारी कितने साल तक अध्ययन करेगा और क्या सरकार ने उसे किसी विशेष बात का अध्ययन करने के लिये कोई निर्देश दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) जी हां ।

(ख) वह अधीक्षक इन्जीनियर (रसायनिक) है जो कि नायवेली परियोजना का वरिष्ठ रसायनिक इन्जीनियर है और नायवेली उर्वरक कारखाने की योजना और निर्माण के प्रविधिक पहलुओं के लिये उत्तरदायी है ।

इससे पहले वह सिंदरी फर्टिलाइजर कंपनी का प्रबन्धक था । इसके बाद चूंकि उर्वरकों के क्षेत्र में नयी प्रगति का अध्ययन करने के लिये वह विशेष रूप से योग्य था और अमरीकी सरकार के प्रविधिक सहयोग सहायता कायक्रम के अन्तर्गत, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कंपनी ने उसे एक ऐसा पदाधिकारी के नाते चुनकर भेजा जो स्थापित की जाने वाली नई फैक्टरियों के सम्बंध में उत्तरदायी कार्यवाही करने के लिये आवश्यक होगा । जब प्रविधिक सहयोग मिशन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था की तब उसे नायवेली परियोजना का रसायनिक इन्जीनियर नियुक्त किया गया था । सब बातों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निश्चय किया कि दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाया जाये और इस पदाधिकारी को अध्ययन यात्रा के लिये रवाना हो जाना चाहिये ।

(ग) वह अमरीका में तीन महीने तक रहेगा और उसके अध्ययन कार्यक्रम में यूरिया के उत्पादन के क्षेत्र में हुई नयी प्रगति, अमरीकी विधि से बड़े पैमाने पर आक्सीजन बनाने का तरीका द्रव नाइट्रोजन वाश और अन्य तरीकों से गैस को साफ करने के क्षेत्र में हुई नई प्रगति, पुरानी विधियों में हुए सुधार और व्यय को कम करने के तरीके ये बातें होंगी तथा दो अमरीकी विशेषज्ञ फर्मों द्वारा बनाये गये नाइट्रोजन उर्वरक कारखानों का अध्ययन भी उसके अध्ययन कार्यक्रम का एक अंग रहेगा ।

सरकार ने उसे लौटते समय जर्मनी में एक महीना रह कर वहां प्रयोग में आनेवाली विभिन्न विधियों का विशेष कर लिगनाइट के वायुकरण पर आधारित उत्पादन के तरीकों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है ।

श्री विभूति मिश्र : यह जो अफसर बाहर विदेश में स्टडी (अध्ययन) करने के हेतु भेजे गये हैं तो जब वे बाहर से अनुभव प्राप्त करके यहा पर लौटेंगे तो यहां जो अभी फर्टिलाइजर्स उर्वरक बनते हैं उनकी क्वालिटी में और उनकी कीमतों में उनके अध्ययन से देश को कितना लाभ होगा, क्या इस बात का अन्दाजा सरकार ने लगाया है ?

श्री रा० गि० दुबे : जैसा कि मैंने अपने जवाब में अभी पढ़कर बताया, कौस्ट आफ प्रोडक्शन (उत्पादन व्यय) में कमी करना यह एक दृष्टि भी है और मैं समझता हूं कि जब वह अफसर शिक्षा और अनुभव प्राप्त करके यहां लौटेंगे तो वे इस चीज पर ज्यादा अच्छी तरह से रोशनी डाल सकेंगे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि विशेषज्ञ के लौटने पर और उसकी सिफारिशों के अनुसार योजना बनाने पर उत्पादन व्यय कम होगा । यह योजना मौजूदा उर्वरक कारखानों और उनमें उत्पादन व्यय के बारे में किस प्रकार अनुकूल होगी ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : उर्वरक का मूल्य कम करने के लिये ऐसी विधियों को काम में लाने और नई विधियां खोजने के लिये हम सदा प्रयत्नरत होंगे । हमारे उर्वरक कारखानों में अब उत्पादन व्यय क्या होगा और नये उर्वरक कारखानों में क्या होगा इन बातों के बारे में अनुभव ही लगाया जा सकता है और इस के सम्बंध में एक निश्चित वक्तव्य देना सम्भव नहीं होगा किन्तु मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस विशेषज्ञ द्वारा किये गये अध्ययन और उसके द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप उर्वरक का उत्पादन व्यय कम हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० रामा राव :** संश्लेषित उर्वरक और हमारे पास जो उर्वरक हैं, उदाहरण के लिये अमोनियम सल्फेट, उनमें क्या अन्तर है ? मुझे ज्ञात हुआ है कि हम अपने एक इस्पात कारखाने में जिसमें ब्लास्ट भट्टी का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन को संश्लेषित उर्वरक बनाने के लिये काम में लाने की आशा करते हैं । यदि ऐसा है तो इतने बड़े कारखाने की देखभाल करने के लिये एक व्यक्ति कैसे पर्याप्त हो सकता है । आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये सरकार बहुत से लोगों को क्यों नहीं भेजती ?

†**श्री क० च० रेड्डी :** मेरे पास यह जानकारी है कि जिसे संश्लेषित उर्वरक कहा गया है वह उन रसायनिक उर्वरकों के समान ही है जिनका उल्लेख हम अब तक करते आये हैं । मेरा ख्याल है कि संश्लेषित उर्वरकों और रसायनिक उर्वरकों में कोई अन्तर नहीं है ।

जहां तक अधिक लोगों को विदेशों में भेजने का सम्बंध है हम सदा यह देखते रहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता है या नहीं । जब हम ऐसी कोई आवश्यकता पाएंगे तो हम और लोगों को प्रशिक्षण और अध्ययन के लिये विदेशों में भेजेंगे । किन्तु इस समय हमने ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं की है और उस प्रयोजन के लिये केवल एक ही व्यक्ति को भेजा है ।

विकास परिषदें

***१५०७. श्री खू० चं० सोधिया :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन उद्योगों में विकास परिषदें काम कर रही हैं और वे किन-किन तारीखों को गठित हुई थीं;

(ख) विकास परिषदों को जो काम सौंपे गये थे उन्हें पूरा करने के लिये प्रत्येक परिषद को १९५५-५६ में कितनी कितनी रकम दी गई थी, और

(ग) इसी अवधि में सम्बंधित उद्योगों द्वारा इन परिषदों को यदि कोई आर्थिक सहायता दी गई हो तो वह कितनी है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) एक विवरण सदन की मेज पर उपस्थित किया जाता है जिसमें यह जानकारी दी गई है । [**देखिए परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) किसी विकास परिषद को कोई धन नहीं दिया जाता लेकिन इन परिषदों के कुछ प्रशासकीय खर्च फिलहाल केन्द्रीय राजस्व से किये जाते हैं ।

(ग) कुछ नहीं दी गयी ।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** क्या यह विचार किया जा रहा है कि इन परिषदों के व्यय का कुछ हिस्सा सम्बन्धित उद्योगों से वसूल किया जायेगा ?

†**श्री म० म० शाह :** इस मामले पर विभिन्न अवस्थाओं में चर्चा की गई है और उपकर लगाने के प्रश्न पर भी विचार किया गया था। किन्तु बाद में यह अनुभव किया गया था कि परिषदों पर होने वाले इस थोड़े से व्यय को उपकर के किसी कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध करना ठीक नहीं होगा ।

त्रावनकोर-कोचीन में समुद्र द्वारा मिट्टी का कटाव

†***१५०८. श्री अ० म० थामस :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन में समुद्र द्वारा मिट्टी का कटाव रोकने के कार्यों के लिये :

(१) दूसरी पंचवर्षीय योजना में;

(२) वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये क्या व्यवस्था है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उन कार्यों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) (१) २८५ लाख रुपये (२) २८ लाख रुपये।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजनामें ९.६१ लाख रुपये और चालू वर्ष में २४ लाख रुपये।

†**श्री अ० म० थामस** : उस राज्य में समस्या के गंभीर रूप को देखते हुये, जिसके परिणाम-स्वरूप उपजाऊ और कीमती जमीन नष्ट हो गयी है; इस कटाव के हानिकारक परिणामों को रोकने के लिये क्या कोई व्यापक योजना तैयार की गयी है ?

†**श्री हाथी** : जी हां। सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। किन्तु संपूर्ण तट पर एक दीवाल बनाना, उसकी लागत को देखते हुये संभव नहीं है। किन्तु पूना गवेषणा स्टेशन में किये गये प्रयोगों से यह दिखायी पड़ता है कि ६०० फीट के फासले पर २०० फीट लंबे ग्रोयन्स से काम चल जायगा। इस सम्बंध में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। यद्यपि संपूर्ण तट के समानान्तर समुद्री-दीवाल बनाना संभव नहीं होगा, फिर भी ये ग्रोयन्स बनाये जा सकेंगे।

†**श्री अ० म० थामस** : प्रति वर्ष जो हानि हो रही है क्या सरकार के पास उसका कोई अनुमान है ? दीवाल बनाने की ठीक-ठीक लागत कितनी होगी और क्या वह उपयुक्त होगी ?

†**श्री हाथी** : हमे ठीक-ठीक अनुमान नहीं मालूम है कि इससे कुल कितनी क्षति हुई है, किन्तु तीन जिलों को अधिक क्षति हुई है।

†**श्री वेलायुधन** : कोचीन बन्दरगाह के पास समुद्री कटाव विरोधी कौन सा कार्य किया गया है ? इस विशिष्ट पत्तन के लिये इस विषय में कितनी धनराशि खर्च की गयी है और क्या यह काम कुछ उपयोगी रहा है ?

†**श्री हाथी** : ११ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी। लगभग ९ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। वास्तव में कई जगहों पर ग्रोयन्स बनाने का काम शुरू किया गया था। उससे सम्बंधित क्षेत्र को लाभ हुआ है।

†**श्री पुन्नूस** : किन-किन जगहों पर समुद्री कटाव से एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है और किन-किन जगहों पर समुद्री कटाव विरोधी कार्य अब शुरू किये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : मेरे पास तीन जिलों के उन जगहों की सूची है जो समुद्री कटाव से प्रभावित हुए हैं या जहां समुद्री कटाव होने की संभावना है। मैं इन जगहों के नाम बता सकता हूं। मैं योजनाओं और उन स्थानों की संख्या भी जहां काम किया गया है, बता दूंगा।

†**श्री अच्युतन** : जब माननीय मंत्री पहले ही उस स्थान को देख चुके हैं और समस्या की गंभीरता समझ चुके हैं, क्या शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई योजना है कि त्रावनकोर कोचीन से एक इंजीनियर इस कार्य में प्रशिक्षण के लिये अमेरिका भेजा जाये। इस योजना को चालू करने और सम्बंधित इंजीनियर को इस वर्ष भेजने में क्या आपत्ति है, ताकि इस योजना पर ३ करोड़ रुपये खर्च करने से पहले वह प्रशिक्षण प्राप्त कर वापस आ जाये ?

†**श्री हाथी** : यह एक सुझाव है। मेरे विचार में माननीय सदस्य ने अभी दो दिन पहले ही उसका उल्लेख किया है। शिक्षा मंत्रालय से मैं इस सम्बंध में बातचीत कर रहा हूं। जो भी संभव होगा किया जायगा। यदि कोई प्रशिक्षण योजना बनाना संभव हुआ तो सिंचाई मंत्रालय उसे बनायेगा।

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ समय पहले त्रावनकोर कोचीन सरकार ने यह प्रस्थापना रखी थी कि इस समस्या को बाढ़ विरोधी उपायों के समान ही समझना चाहिये। क्या सरकार ने उस प्रस्थापना पर विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हाथी** : केन्द्रीय सरकार ने वास्तव में इस प्रस्थापना पर विचार किया है। अनुसंधान के लिये हमने पदाधिकारियों की एक टोली भेजी है। इकट्ठी की गई सामग्री आंकड़ों से पूना गवेषणा स्टेशन में गवेषणा की जा रही है। हम जो कुछ संभव है करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

दूसरी योजना के सम्बंध में विश्व बैंक मिशन की टिप्पणी

†***१५०९. श्री मात्तन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक मिशन ने दूसरी पंचवर्षीय योजना पर हाल में जो टिप्पणी की है, उसके बारे में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : विश्व बैंक मिशन की अधिकतर टिप्पणियां इस प्रकार की हैं जिनसे आयोग अपरिचित नहीं है। ये टिप्पणियां महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक तया योजना कार्यान्वित करने समय उन्हें ध्यान में रखना होगा।

†**श्री मात्तन** : उनका कहना है कि उन्हें परिवहन स्थिति के बारे में बड़ी चिन्ता है और उनका सुझाव है कि उपलब्ध रेल, सड़क, तटीय नौवहन और अन्तर्देशीय जल मार्ग जैसे परिवहन के साधनों को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये। उनका विचार है कि रेलवे दरों का सार और ढांचे का तुरन्त संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है ताकि परिवहन के अन्य साधनों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। इस बारे में आयोग का क्या विचार है और इस विषय में उसका क्या करने का विचार है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : ये सब विस्तार की बाते हैं। योजना कार्यान्वित करने में उन्हें कहां तक कार्यरूप में परिणत किया जा सकता है इसे देखने के लिये सम्बंधित डिविजनों में उनका स्वाभाविक-तया परीक्षण होगा।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : यह कहां तक सच है कि ये टिप्पणियां इस अर्थ में पक्षपातपूर्ण हैं कि उनमें देश में विदेशी पूंजी और गैर सरकारी उपक्रम की स्थिति का जानबूझ कर समर्थन किया गया है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इन टिप्पणियों पर ऐसी कोई आलोचना करना उचित नहीं होगा। वास्तव में ये बहुत उपयोगी हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विश्व बैंक मिशनने गैर सरकारी उद्योगों को अधिक रियायतें देने और भूमि तथा जल दर के रूप में खेतिहरों पर अधिक कर लगाने की सिफारिशें की हैं। क्या योजना आयोग उस दृष्टिकोण से सहमत है और क्या वह गैर-सरकारी उद्योगपतियों को रियायतें देने के लिये किसानों पर अधिक कर लगाने की सिफारिश करने जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : योजना आयोग किसी पर कोई कर नहीं लगाता।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विश्व बैंक मिशन ने कहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन निश्चित किये गये लक्ष्य बहुत ऊंचे हैं और उसने यह आशंका प्रकट की है कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये वित्तीय साधन अपर्याप्त होंगे, क्या योजना में नियतन के लक्ष्यों को संशोधित करने का सरकार का विचार है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : हमने योजना में बताया है कि सरकार और समाज के सभी विभागों को वित्तीय और प्रबन्धकीय पहलुओं से बहुत भारी प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिये यह टिप्पणी भी ऐसी नहीं है जिसे हम न जानते हों।

†**श्री पुन्नूस** : क्या योजना आयोग ने विश्व बैंक मिशन से चर्चा की है और क्या हमारी **योजना** के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के मामले पर आयोग मिशन से सहमत था ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इस प्रश्न का ठीक-ठीक अर्थ मेरी समझ में नहीं आया।

†**अध्यक्ष महोदय** : योजना के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के बारे में आयोग और मिशन सहमत थे?

†**श्री पुन्नूस** : प्रश्न यह है कि क्या उनकी सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी। मैं यह जानता हूं कि योजना के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के सम्बंध में सहमति है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उनके और हमारे बीच सहमति का कोई प्रश्न नहीं है। संभवतः कुछ मामले में तो असहमति है। योजना हमने बनायी है और हम दूसरे लोगों से नहीं कहते कि वे हमारे सामाजिक उद्देश्यों से सहमत हों, उसका निश्चय हमें करना है। हम वित्तीय तथा अन्य परिणामों की चर्चा उनके साथ कर सकते हैं और हमारी योजना पर अपनी राय जाहिर करने की उन्हें भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी अन्य लोगों को। हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं कि इसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा की जाये। वास्तव में विश्व बैंक के दृष्टि-कोण के अतिरिक्त हमें अनेक देशों से उसके बारे में टिप्पणियां, आलोचनाएं, प्रशंसा अथवा निन्दा प्राप्त हुई है। हम इन सब का स्वागत करते हैं ताकि हम विचार कर सकें कि वह कहां तक उपयोगी है।

भारतीय वैदेशिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्ति

†*१५१२. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि किन किन विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय वैदेशिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये भेजे जाते हैं?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : भारतीय वैदेशिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्ति प्रायः ब्रिटेन में आक्सफोर्ड या केम्ब्रिज में भेजे जाते हैं किन्तु यदि कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति पहले वहां पढ़ चुका हो तो उसे किसी दूसरे विदेशी विश्वविद्यालय में भेजने की व्यवस्था की जाती है।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : हमारे परीवीक्षाधीन व्यक्तियों को सरकार विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजना क्यों आवश्यक समझती है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वास्तव में हम इसे बहुत आवश्यक समझते हैं ताकि वे अधिक विस्तृत दृष्टिकोण, भाषाओं का अधिक अच्छा ज्ञान और अन्य कई बातें सीख सकें और यह ज्ञान उन के उस प्रशिक्षण के लिये जो वे यहां प्राप्त करते हैं अनुपूरक सिद्ध होता है।

कोयला वितरण

†*१५१३. **श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि चाय उद्योग को आसाम में ऊंचे भाव पर घटिया किस्म का कोयल खरीदने के लिये बाध्य किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार किसी क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर या सामान्यतया चाय उद्योग के लिये जरूरी कोयले का प्रामाणिक वितरण मूल्य निर्धारित करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है?

†**उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) कोयले के क्षेत्रीय वितरण की नीति के अनुसार आसाम में चाय उद्योग के लिये तथा राज्य के अन्य उपभोक्तओं के लिये साधारणतया आसाम की कोयला खानों से ही कोयला दिये जाने की व्यवस्था की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

आसाम के कोयले में १० प्रतिशत से अधिक धूलितत्व नहीं होता है और वह बंगाल या बिहार के कोयले की तुलना में अच्छा होता है और इस प्रकार वह घटिया किस्म का नहीं होता । चाय उद्योग को इस कोयले के लिये जो मूल्य देना पड़ता है वह आसाम के अन्य उद्योगों द्वारा दिये जाने वाले मूल्य की अपेक्षा अधिक नहीं है।

(ख) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : क्या यह सच है कि आसाम में दो तरह का कोयला है, एक खासी पहाड़ियों में जो घटिया होता है और दूसरी पूरब में जो बढ़िया होता है और क्या खासी पहाड़ियों के कोयला का भाव दूसरे कोयले के भाव की अपेक्षा कहीं अधिक है? यदि हां, तो चाय उद्योग के सम्बंध में भाव किस प्रकार तय किया जाता है?

†**श्री रा० गि० दुबे** : आसाम में दो जगहों से कोयला प्राप्त होता है---खासी खानें और आसाम कोयला खानें। वास्तविक स्थिति यह है कि खासी खानों से प्राप्त किये हुये कोयले का भाव बिहार और बंगाल से प्राप्त कोयले के भाव के लगभग बराबर ही होता है।

†**श्री का० प्र० त्रिपाठी** : मेरा प्रश्न प्रत्येक प्रकार के कोयले के मूल्य के बारे में है और उस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया गया है। मैं विभिन्न श्रेणियों के कोयले के भाव जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कोयले के भावों के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रख सकते हैं।

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : कोयले के भाव प्रदेशवार निर्धारित किये जाते हैं, न कि उद्योगवार। चाय उद्योग या पटसन उद्योग या किसी अन्य उद्योग के लिये कोई विशेष मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। माननीय सदस्य ने चाय उद्योग के लिये मूल्य निर्धारित किये जाने की ओर निर्देश किया था किन्तु मेरा यह कहना है कि उस आधार पर मूल्य निर्धारित नहीं किये जाते। जहां तक आसाम का सम्बंध है, विभिन्न कोयला खानों के लिये मूल्य निर्धारित किये जात है। आसाम रेलवे ऐन्ड ट्रेडिंग कंपनी, मरघरीटा कोयला खानें आदि के लिये करीब १२ भिन्न भिन्न मूल्य निर्धारित किये जाते है। भिन्न-भिन्न कोयला खानों के लिये भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। उसमें हमें परिवहन के तथा अन्य व्यय जोड़ने होते हैं। इन सब को मिला कर, चाय बागानों को जिस मूल्य पर कोयला मिलता है वह बंगाल बिहार प्रदेश में अन्य लोगों को मिलने वाले मूल्य से अधिक हो सकता है। केवल मूल्य के कारण ही यह अन्तर नहीं है। इसलिये सरकार वस्तुभाग व्यय को बराबर करने और विभिन्न प्रदेशों में एक ही मूल्य पर कोयला देने के प्रश्न पर विचार कर रही है। प्राक्कलन समिति ने भी उसी आशय की सिफारिश की है। सरकार उस पहलू पर विचार कर रही है, और यदि हम वह नीति स्वीकार कर लें तथा वस्तुभाग बराबर कर दें, तब एक ही मल्य पर विभिन्न प्रदेशों को कोयला प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : आसाम चाय बगानों में और धनबाद क्षेत्र में एक ही प्रकार के कोयले के वर्तमान मूल्यों में जो अंतर हैं मैं वह जानना चाहता हूं। आसाम में दो किस्म हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें अन्तर किस प्रकार है?

†**श्री क० च० रेड्डी** : मैं काफी विस्तृत उत्तर देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया है प्रत्येक कोयला खान में और प्रत्येक प्रदेश में भिन्न-भन्न मूल्य हैं। उसमें हमें फिर परिवहन व्यय जोड़ने पड़ते है जो प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न होते हैं और जो गंतव्य स्थान पर निर्भर होते है। माननीय सदस्य वास्तव में क्या चाहते हैं मैं नहीं जानता। चाय बागानों को जिस किस्म का कोयला दिया जाता है वह बिहार बंगाल के उद्यागों को दिये जाने वाले कोयले की तुलना में घटिया नहीं होता।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उनके मूल्यों में कितने प्रतिशत का अंतर है?

†**श्री क० च० रेड्डी** : वह गणित का प्रश्न है। मुझे आंकड़े का हिसाब लगाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : रेल सीमाओं पर कोयले का एक ही दाम लेने के बारे में कब विनिश्चय किया जायगा ? प्राक्कलन समिति ने एक वर्ष पहले ही यह सिफारिश की थी।

†**श्री क० च० रेड्डी** : मेरे विचार में प्राक्कलन समिति ने एक साल पहले यह सिफारिश नहीं की थी। लगभग एक साल पहले उसकी बैठक में उसकी चर्चा हुई थी किन्तु उस समय वह सरकार के सामने नहीं आयी। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि समय एक साल से कम है। हम सारे विषय का अति सूक्ष्म परीक्षण कर रहे है। वह एक पेचीदा विषय है और उसमें दूसरे मंत्रालयों से भी काफी परामर्श जरूरी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम सक्रिय रूप से उस प्रश्न की जांच कर रहे हैं और हम स्वयं चिन्तित हैं कि इसे कार्यान्वित किया जाये।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

गोदावरी और कृष्णा नदियों में बाढ़

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५. डा० रामा राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी और कृष्णा नदियों में बाढ़ आई हुई है;

(ख) इससे कितने एकड़ भूमि जल मग्न हो गई है और फसलों की कितनी हानि हुई;

(ग) कितने गांव डूब गये हैं और कितने पशु बह गये हैं;

(घ) राज्य सरकार को कितनी सहायता दी गई है या देने का विचार है;

(ङ) इस बाढ़ से 'बुदामेरु बाढ़ नियंत्रण योजना' के परियोजना कार्य को कितनी क्षति पहुंची है; और

(च) अधिक भूमि को जल मग्न होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (च). मांगी गई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ११]**

†**श्री हाथी** : यह विवरण दो पृष्ठ का है। यदि अध्यक्ष महोदय कहें तो मैं उसे पढ़ सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उसे पढ़ लें और उसके बाद यदि वे चाहें, तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसे यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

†**डा० रामा राव** : केवल तीन वर्ष पहले गोदावरी में भयंकर बाढ़ आई थी और उसके बार कुछ बांध बनाये गये थे। अब वहां फिर उसी प्रकार की बाढ़ आई है। वहां बांध में कुछ और मिट्टी लगाने के बजाय क्या सरकार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की बात सोच रही है ?

†**श्री हाथी** : वर्तमान बाढ़ नियंत्रण कार्य का सम्बन्ध बुदामेरु घाटी से है। इसमें तीन प्रकार के निर्माण कार्यों का उल्लेख है।

†**डा० रामा राव** : क्या सरकार को विदित है कि बुदामेरु बाढ़ नियंत्रण योजना के सम्बन्ध में कुछ जमीदार एक जलाशय परियोजना को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि उनकी जमीन जलमग्न हो जायेगी ?

†**श्री हाथी** : इस सभा और दूसरी सभा के सदस्यों ने मुझसे बताया था कि आंध्र में कुछ लोगों की यही धारणा है। सदस्यों के सुझाव पर हम ने बुदामेरु बेसिन की स्थानीय जांच के लिए एक विशेष पदाधिकारी भेजा था ताकि वह यह मालूम करे कि वहां कितनी क्षति हुई है और वास्तव में वह काम क्यों रुका हुआ है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मैंने उप मुख्य मंत्री को भी लिखा था और हमें यह उत्तर मिला है कि विलम्ब का कारण यह नहीं है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति की भूमि जल मग्न हो रही है बल्कि यह है कि उन्होंने कोलेर झील के लिये भी एक विशाल योजना बनाई है। वह पदाधिकारी १८ तारीख को लौटा है और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उस पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद मैं संसद सदस्यों से मिलूंगा जैसाकि हमारा तरीका है। एक सप्ताह के भीतर हम इस सम्पूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे।

†**डा० रामा राव** : आपने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ बातों के उत्तर नहीं भी दिये जाते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि जहां तक गोदावरी और कृष्णा का सम्बन्ध है, आंध्र ने बाढ़ नियंत्रण योजनायें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं और वे यहां काफी समय से अनावश्यक रूप में रुकी हुई हैं।

†**श्री हाथी** : यहां तो बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य की कोई योजना अधिक समय तक नहीं रोकी गई।

†**श्री रघुरामैया** : इस बात पर विचार करते हुये कि एक न एक कारण से बुदामेरु योजना में विलम्ब से आंध्र के कुछ क्षेत्रों में बहुत हलचल सी मची हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में अब क्या स्थिति है? क्या इसकी राज्य सरकार ने सिफारिश की है और क्या केन्द्रीय सरकार ने उसका अनुमोदन किया है अथवा इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है?

†**श्री हाथी** : राज्य सरकार ने इस योजना का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार ने प्रविधिक रूप से उसका अनुमोदन किया था और उसकी स्वीकृति दी थी। किन्तु यह योजना प्रारम्भ नहीं की गई थी और जैसा मैंने कहा है इस पर कुछ सदस्यों को चिन्ता हुई थी। अतः हमने एक पदाधिकारी भेजा है जिस ने वहां राज्य सरकार के पदाधिकारियों के परामर्श के साथ स्थानीय रूप से जांच की है। राज्य सरकार एक सम्पूर्ण योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार कोलेर झील को भी बनाया जा सकेगा। इस योजना पर विचार किया जा रहा है। वह पदाधिकारी वहां से १८ तारीख को लौटा है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम ठीक-ठीक स्थिति जान सकेंगे।

†**श्री रघुरामैया** : माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है और इस योजना को जो महत्व दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुये, क्या हम माननीय मंत्री से यह आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि इस विषय में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायेगा और इसमें शीघ्रता लाने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा?

†**श्री हाथी** : हम इसमें शीघ्रता लाने की यथाशक्ति कोशिश करेंगे। माननीय सदस्यों ने यह बात मुझे ११ तारीख को बताई थी और उस पदाधिकारी को वहां तुरन्त भेज दिया गया था। वह १८ तारीख को लौटा है। यह एक प्रविधिक विषय है और प्रविधिक रूप से ही इस की जांच की जायेगी।

†**डा० रामा राव** : मैंने गोदावरी नदी की बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के बारे में पूछा था। क्या सरकार के पास ऐसी कोई परियोजनायें हैं जिनसे वहां इसकी भलीभांति कार्यवाही की जा सके?

†**श्री हाथी** : बाढ़ नियंत्रण कार्यों के प्रस्ताव आमतौर से राज्य सरकारों द्वारा भेजे जाते हैं। अतः प्रस्ताव उनके द्वारा भेजे जाने चाहियें।

†**श्री कामत** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर सभा-पटल पर रखे गये विवरण के रूप में होता है, तो जो सदस्य उस में दिलचस्पी लेते हैं, उनके लिये विवरण की प्रतियां नोटिस आफिस में उपलब्ध होनी चाहियें। आपने यह निर्देश दिया

†मूल अंग्रेजी में।

है कि तारांकित प्रश्नों के उत्तर में दिये गये ऐसे विवरणों की प्रतियां नोटिस आफिस में तुरन्त उपलब्ध कराई जानी चाहिये। मैं यह सुझाव देता हूं कि अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में भी आप ऐसा ही एक उपयुक्त निर्देश दे दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : ज्योंही उत्तर मिले त्योंही मैं उस की प्रति नोटिस आफिस में रखवाने का प्रयत्न करूंगा। किन्तु ऐसा होता है कि अल्प-सूचना के कारण सरकार अंतिम क्षण तक जब मंत्री विवरण पेश करते हैं या सभा में उत्तर देते हैं ऐसे प्रश्न के उत्तर की सामग्री एकत्र करती रहती है। यदि वे चाहें, तो उन्हें अपने उत्तर में कोई शुद्धि करने का अवसर दिया जाना चाहिये ताकि उन पर गलत उत्तर देने का आरोप न लगाया जा सके। अतः इस बीच में वे अपने उत्तर को ठीक कर लेते हैं। फिर भी हम ऐसे उत्तरों को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री कामत** : तारांकित प्रश्नों के विषय में तो ऐसा किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक पृथक विषय है। जैसा मैंने अभी कहा है, मैं ऐसे विवरणों को नोटिस आफिस में यथाशीघ्र रखवाने का प्रस्ताव करूंगा ताकि माननीय सदस्य उन्हें पढ़ सकें और अनुपूरक प्रश्नों के साथ तैयार होकर आ सकें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संश्लेषित रबड उद्योग

†*१४९५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में संश्लेषित रबड़ उद्योग प्रारम्भ करने के विषय में क्या प्रगति हुई है?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : कच्चे माल की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिये तथा संश्लेषित रबड़ के उत्पादन का आर्थिक दृष्टि से अध्ययन करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों का एक दल देश में भ्रमण कर रहा है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

†*१५०१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टीटागढ़ महिला कैम्प संख्या २ में कितनी स्त्रियां व्यवसायिक शिक्षा पा रही हैं ;

(ख) यह शिक्षा कितने समय से और किन किन शिल्पों में दी जा रही है ;

(ग) कितने प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं और ;

(घ) उनकी औसत आमदनी कितनी है?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** (क) इस समय दो स्त्रियों को अग्रिम योजना के अधीन रेशम लपेटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले कुछ स्त्रियों को बचे खुचे रेशम को कातने और बचे खुचे सूत को कातने का प्रशिक्षण दिया जाता था।

(ख) और (ग). बचे खुचे रेशम को कातने का प्रशिक्षण चार दलों में मार्च १९५४ से मार्च १९५५ तक दिया गया था और प्रत्येक दल को तीन महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। सूत कातने का प्रशिक्षण दिसम्बर १९५५ में एक महीने तक दिया गया। रेशम लपेटने का प्रशिक्षण ३१ मार्च, १९५६ को शुरू किया गया था और यह एक साल तक रहेगा। १७० स्त्रियों को बचे खुचे रेशम को कातने का प्रशिक्षण दिया गया था और ५० स्त्रियों को सूत कातने का।

(घ) इन शिल्पों में नियोजन केवल अंशकालिक रूप से किया जाता है ताकि स्त्रियां अपनी आय में वृद्धि कर सकें। बचे खुचे रेशम की कताई से लगभग ७ रुपये और सूत कातने से लगभग ४ रुपये की आय होती है। रेशम का धागा लपेटने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्त्रियां दो से तीन रुपये तक प्रतिदिन रोज कमा सकतीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप से काम पर लगाये गये कर्मचारी

†*१५०३. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप से काम पर लगाये गये कर्मचारियों से भी उनको दिये गये आवास का वही किराया लिया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों से लिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न वेतन क्रमों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के क्वार्टर दिये जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों को भी उन के वेतन क्रमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्वार्टर दिये जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां, श्रीमान। उनसे भी केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान ही किराया लिया जाता है अर्थात् कुल वेतन का अधिक से अधिक वेतन का १० प्रतिशत।

(ख) और (ग) . नियमित सरकारी कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतनों के अनुसार मकान दिये जाते हैं किन्तु काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों में से अधिकांश को चाहे इनके वेतन कुछ भी हों, केवल एक कमरे वाले क्वार्टर दिये जाते हैं।

(घ) काम के लिये स्थायी रूप से रखे गये कर्मचारियों के साथ भिन्न व्यवहार करने का कारण यह है कि उनके लिये पृथक् आवास पुंज है और अधिक से अधिक कर्मचारियों को क्वार्टर दिये जा सकें। इस पुंज में केवल एक कमरे वाले मकान बनाये गये हैं।

साउथ पटेल नगर

†*१५०४. **श्री टेक चन्द** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ पटेल नगर के कुछ मकान ऐसी भूमि पर बनाये गये थे, जो बहुत नीची है और जहां गढ़े और ईंटों की भट्टियां थीं जिसके कारण नींव अधिक गहरी और चौड़ी बनानी पड़ी थी और लागत अधिक आई थी ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि पर कितने मकान बनाये गये थे ;

(ग) क्या ऐसी गहरी नींव के मकानों के मालिकों को उनका कब्जा देने से पहले यह कह दिया गया था कि ऐसी नींवों के लिये उन्हें अधिक दाम देने पड़ेंगे ;

(घ) यदि हां, तो क्या उस सूचना की एक प्रति दी जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन्हें ऐसी सूचना क्यों नहीं दी गई ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) जी, हां।

(ख) ३६।

(ग) से (ङ) प्रत्येक मकान के मूल्य के बारे में विशिष्ट जानकारी नहीं दी जाती है। सदैव यही समझा गया है कि वे, वास्तविक व्यय देकर जिसमें मकान की लागत और भूमि साफ करने की लागत सम्मिलित है, अपने मकानों के स्वामी बन सकते हैं। इन मकानों के मामलों में उन लोगों को सूचित कर दिया गया था कि ५००० रुपये पेशगी, जो उनसे मांगी गई थी मकान का अनुमानित मूल्य था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

चाय उद्योग

†*१५०५. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चाय उद्योग में सुधार करने के लिए कोई रकम दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्योरा है?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** (क) और (ख). चाय उद्योग के विकास के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कोई विशिष्ट रकमें निश्चित नहीं की गई हैं किन्तु प्रतिवर्ष चाय उपकर की रकम चाय उद्योग के विकास की विभिन्न कार्यवाहियों के लिये चाय बोर्ड को दे दी जाती है। इस उद्योग को और अधिक सहायता देने के प्रश्न पर बागान जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†*१५०६. **श्री मादिया गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना किन्ही भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किन भाषाओं में और कितनी कितनी प्रतियां प्रकाशित हुई है ; और

(ग) क्या ये योजना-प्रकाशन विक्रय के लिये उपलब्ध हैं और यदि हां, तो कहां ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा योजना के हिन्दी और उर्दू के अनुवाद प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया गया है। योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अन्य भारतीय भाषाओं में योजना का अनुवाद तैयार करें। किन्तु इस काम में काफी समय लगेगा अतः यह निश्चय किया गया है कि योजना के विभागीय सारांश तथा पब्लिकेशन्स डिवीजन द्वारा तैयार किये गये संक्षिप्त रूप को समस्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाये।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा उसके सारांश की प्रतियां मैनेजर आंफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली देश के विभिन्न भागों में स्थित उस के एजेन्टों और पब्लिकेशन्स डिवीजन की स्टालों पर मिल सकती हैं। पब्लिकेशन्स डिवीजन ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित अपने निम्नलिखित प्रकाशनों की कुल एक लाख से अधिक प्रतियां बेची हैं :–

(१) सेकन्ड फाइव इयर प्लेन––दी फ्रेमवर्क ;

(२) सैकन्ड फाइव इयर प्लेन––समरी आफ दी प्लेन फ्रेम पेपर्स।

(३) सेकन्ड फाइव इयर प्लेन ––समरी आफ दी ड्राफ्ट आउटलाइन (हिन्दी और अंग्रेजी)।

(४) एग्रीकल्चर इन दि सेकन्ड फाइव इयर प्लेन।

निर्यात संवर्द्धन परिषदें

†*१५१०. **श्री मु० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का इस वर्ष कौन सी वस्तुओं के लिये निर्यात संवर्द्धन परिषदें बनाने का विचार है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (१) अभ्रक।

(२) लाख।

(३) चमड़ा और चमड़े के सामान, तथा

(४) खेल का सामान।

---

†मूल अंग्रेजी में।

कोसी के किनारे पर बांध

†*१५११. **श्री ल० ना० मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कोसी नदी के दोनों किनारों पर बनाये गये बांधों से कितना क्षेत्र का और कितनी जन-संख्या का बाढ़ से बचाव हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जिन क्षेत्रों का बचाव हुआ है वे ये हैं :

समस्त पूर्निया क्षेत्र; सहरसा जिले का पांच में से चौथाई भाग; और दरभंगा जिले में कोसी से पीड़ित क्षेत्र का आधा हिस्सा। लगभग १५ लाख लोगों की रक्षा हुई है।

आरफनगंज मार्केट, किदिरपुर

†*१५१४. **श्री अ० कृ० दत्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ते में, खिदिरपुर में आरफनगंज मार्केट का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता और उसे बहुत ही गन्दी हालत में रखा जाता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी विदित है कि मार्किट के दूकानदारों और खोमचेवालों ने मार्किट के अधीक्षक के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) श्रीमान् इस के विपरीत मैं समझता हूं कि उस मार्किट का प्रबन्ध काफी अच्छा है और उस की सफाई की हालत उतनी ही अच्छी है जितनी कि ऐसे बहु-प्रयोजनीय मार्किट बाजार में हो सकती है।

(ख) और (ग). ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि अधीक्षक ने नियमों के पालन के लिये जो कार्यवाही की है उस से क्षुब्ध होकर दूकानदारों और खोमचे वालों ने ये अभ्यावेदन भेजे हैं।

नोआमण्डी में विस्फोट

†*१५१५. **श्री बोस** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ७ अगस्त १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोआमण्डी में टाटा की लौह अयस्क खान के अस्त्रादि कोष में १५ जुलाई १९५६ के विस्फोट के कारणों की जांच की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) रिपोर्ट में क्या निर्णय और सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) नहीं श्रीमान्। कुछ मुख्य साक्षी अब भी अस्पताल में हैं और उनकी गवाही अभी नहीं ली जा सकती। अतः वह जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

गिरिडीह कोयला खानें

†*१५१६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **उत्पादन** मंत्री १६ जुलाई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरीडीह कोयला खानों के लाभप्रद कार्यकरण की जांच करने के लिये नियुक्त की गई "विशेषज्ञ समिति" के प्रतिवेदन की जांच को अन्तिम रूप देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : प्रविधिक आर्थिक और अधिकरण के पहलुओं से प्रत्यावेदन की विस्तृत जांच करने की अवश्यकता थी और इसमें नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय भी सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन की जांच को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सरकार के आदेश जारी कर गये दिये हैं।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां लोक-सभा पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सिफारिशों का संक्षेप और उनके सम्बन्ध में सरकार के निर्णय सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२]**

हथकरघे और विद्युत-चालित करघे

†*१५१७. **श्री हेम राज :**
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९५२ से १९५६ तक बर्षवार कितने हथकरघे और विद्युत-चालित करघे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) उक्त वर्षों में पंजाब में कितने हथकरघा सहकारी संघठन कार्य कर रहे हैं ;

(ग) पंजाब में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने हथकरघों को विद्युत-चालित करघे बनाने की प्रस्थापना है ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार ने केन्द्र से कोई आर्थिक सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३]**

मैसूर की खानों के मालिक

†*१५१८. **श्री केशव अय्यंगार :**
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मैसूर की खानों के मालिक छोटे पैमाने के उद्योगपति हैं और वे अपना खनिज प्रस्तर निर्यातकों को रेलभाड़े सहित के आधार पर बेचते हैं;

(ख) क्या २७ जुलाई १९५६ के मंत्रालय के परिपत्र द्वारा भेजे जाने वाले कोटे के आवंटन पर प्रतिबन्ध लगता है और क्या इसके परिणामस्वरूप वे डिब्बों के लिये पंजीयन पर्णी प्राप्त नहीं कर सकते हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) क्या सरकार पहले किये गये आयात को ध्यान में न रखते हुए रेल और निर्यात के कोटे दोनों आवंटन पर विचार करेगी अन्यथा पूरा उद्योग बन्द हो जायेगा और हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार ने इस आशय के कुछ अभ्यावेदन रखे हैं।

(ख) और (ग). निर्यातकों और खान मालिकों को जुलाई-दिसम्बर १९५५। जनवरी-जून १९५६ के उनके वास्तविक निर्यात का ७५ प्रतिशत कोटा प्रदान किया जाता है। कोटाधारियों को डिब्बों का आवंटन अनुपाततः किया जाता है। जो खान मालिक पहले प्रस्तर खनिजों का सीधा निर्यात न करके रेल भाड़े के आधार उसे बेचते रहे हैं, वे वर्तमान नीति के अन्तर्गत ऐसा कर सकते हैं।

सामुदायिक रेडियो सेट

†*१५१९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के गांवों में सामुदायिक रेडियो सेट लगाने के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) उक्त राशि को किस आधार पर राज्यों को वितरित किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ७५ लाख रुपये।

(ख) यह राशि रिसीवर सैटों और उनके पुर्जों के ५० प्रतिशत मूल्य के बराबर आर्थिक सहायता देने के लिये व्यय की जानी है। ये सेट आल इन्डिया रेडियो के क्षेत्र में १००० और उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सामान्यतः लगाये जायेंगे । उक्त आधार पर गांवों की संख्या का निर्धारण और उनका चुनाव राज्यों पर छोड़ दिया गया है। विभिन्न रेडियो की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में, उन ग्रामों की संख्या के आधार पर जहां राज्य सरकारों का सामुदायिक सेट लगाने का विचार है, रेडियो सेटों के ५० प्रतिशत मूल्य और उनके संधारण की व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

†*१५२०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के देहाती क्षेत्रों के विद्युतीकरण में वृद्धि करने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में लाइन लगाने की वस्तुओं, विशेषतया सपोर्ट तथा कन्डक्टर का संभरण, इस समय पर्याप्त आसान हो गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: अभी पूर्णतया नहीं। स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १४**]

कुवैत के लिये भारतीय कर्मचारियों की भरती

†*१५२२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने, टेलीफोन तथा तार विभाग के महा-निर्देशक को कुवैत सरकार की टेलीफोन सेवाओं के लिये भारत में उपयुक्त भारतीय कर्मचारियों की भरती करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति भरती किये गये हैं तथा उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). कुवैत सरकार ने भारत सरकार से इस बारे में कोई प्रार्थना नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सीमाओं का निर्धारण

†*१५२३. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **प्रधान मंत्री** २१ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटारिया बन क्षेत्र में संयुक्त सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा के खंभे कब तक लगा दिये जायेंगे ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). जी नहीं

चल चित्रोंका आदान प्रदान

†*१५२४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पोलैण्ड में, वस्तु विनिमय आधार पर, दोनों देशों में चलचित्रों के आदान प्रदान के संबंध में कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) केवल समाचार फिल्मों की मदों के अदाना प्रदान के संबंध में चलचित्र विभाग ने पोलिश सरकार समाचार फिल्म संस्था के साथ एके प्रबन्ध किया हुआ है।

(ख) समाचार फिल्मों के अन्तर्वस्तु पत्र मदों को चुनने के लिये विनिमय किए जाते हैं। फिर चुनी हुई मदों को समाचार फिल्मों में उपयोग करने के लिये बिना दाम के आदान प्रदान किया जाता है। दोनों पक्षों को यह छट है कि अपनी अपनी समाचार फिल्मों में उपयोग के लिये चाहे जितनी मदें चुनें। अन्य कई देशों की समाचार फिल्म संस्थाओं के साथ भी ऐसी ही व्यवस्थायें की गई हैं।

इंजीनियरों का केंद्रीय पुंज

†*१५२५. **श्री ल० ना० मिश्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में काम कर रहे इंजीनियरों का एक केन्द्रीय पुंज बनाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं ; और

(ख) पुंज द्वारा कब तक कार्य प्रारम्भ किए जाने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नाहन फाउंडरी लिमिटेड

†*१५२६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाहन के ढलाई कारखाने के कार्य तथा प्रबन्ध में सुधार करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) क्या ढलाई कारखाने में सर्वांगीण सुधार की कार्यवाही का सुझाव देने के लिये समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १६]**

पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगोंको मुआवजा

†*१५२७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष अब तक उन दावेदारों में से कितने व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान किया गया है जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं और जिन्होंने इसके लिये १ जनवरी १९५६ से ३१ जुलाई १९५६ तक प्रार्थना पत्र भेजे थे ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों से प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख २६-९-१९५५ थी। इस तारीख के बाद केवल वही मामले स्वीकार किये गये थे जिनमें देरी माफ कर दी गई थी। विलम्ब माफ करने के बाद १-१-१९५६ से ३१-७-१९५६ तक प्राप्त हुए मामलों की संख्या ७०४६ है। इन प्रार्थनापत्रों में से कितने लोगों को प्रतिकर दिया गया है, विदित नहीं है। १ जनवरी १९५६ से ३१ जुलाई १९५६ तक पश्चिमी पाकिस्तान के दावेदारों में से कुल ३४,२८१ को प्रतिकर का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त इस काल में १३,५१४ दावेदारों को, जिन्हें अन्तरित प्रतिकर दिया गया था, प्रतिकर की अन्तिम किस्त भी दे दी गई है। फिर, ३,६४५ मामलों में प्रतिकर की स्वीकृति के प्रमाण पत्र दे दिये गये हैं और ४०७२ मामलों में प्रतिकर पर ऋण दिये गये हैं।

अचल सम्पत्ति

†*१५२८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** :
सरदार इकबाल सिंह :
सरदार अकरपुरी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक की और उसमें अचल सम्पत्ति के प्रश्न पर विचार विमर्श करने की बात स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने मत प्रकट किया है कि सरकारी स्तर पर इस समस्या को निबटाने के लिये कान्फ्रेंस या विचार विमर्श करने से कोई लाभ न होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई और प्रस्ताव हो तो और कान्फ्रेंस की जा सकती है। भारत सरकार के मतानुसार इस तंग करने वाली समस्या का व्यवहारिक और समन्याय दल केवल दोनों सरकारों के स्तर पर ही हो सकता है। तदनुसार हमने पाकिस्तान सरकार से पुनः आग्रह किया है कि इस समस्या को दोनों सरकारों के बीच निवटारे के आधार पर हल करने के लिये बात चीत शुरू की जाय। अब तक पाकिस्तान सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सरकारी धन का गबन

†*१५२९. **श्री झूलन सिंह**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक नीलाम करने वाली फर्म यहाँ सरकारी धन के गबन हरण के उस मामले से सम्बद्ध विभागीय अधिकारियों के खिलाफ, जिसका उल्लेख लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५५, भाग १ के पैरा संख्या २६ में किया गया है, क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : इस मामले में न्यायिक कार्यवाही का वृत्तान्त केवल १६ जुलाई, १९५६ को समाप्त हुआ है जहां तक विभागीय अधिकारियों का संबंध है, उत्तरदायित्व के निर्धारण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लोहा और इस्पात का आयात

†*१५३०. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में रूस और चीन से लोहे और इस्पात का कितना आयात किया गया;

(ख) इसमें से रेलों को कितना आवंटित किया गया ;

(ग) क्या उस काल में थामस प्रकार और "मिलीमीटरस सेक्शन" की किसी मात्रा का आयात हुआ था ;

(घ) यदि हां, तो किन देशों से; और

(ङ) क्या रेलों ने उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रकार की इस्पात की कोई मात्रा स्वीकार की थी ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क)

रूस	७१,३५२ मीट्रिक टन
चीन	३१,७१३ मीट्रिक टन

(ख) कोई मात्रा नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) मुख्यतः फ्रांस, जर्मनी, बेलजियम और लक्जम्बर्ग से।

(ङ) जी, हां।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वाशिंगटन

†*१५३१. **श्री विभूति मिश्रः** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने इस वर्ष (अर्थात् मई, १९५६ में) वाशिंगटन के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनार्थ रखी गई वस्तुओं में से कौन कौन वस्तुयें सबसे अधिक पसंद की गईं ; और

(ग) कितने मूल्य की वस्तुयें बेची गई तथा संभरण के लिये आदेश प्राप्त हुए ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां।

(ख) सूचना मिली है कि निम्न वस्तुयें सबसे अधिक पसंद की गई :

"संगनीर के छपे कपड़े, काले मिट्टी के बर्तन, चमकीले मिट्टी के बर्तन, जरी के बुटए, सींग से बने परियें, हस्तिबणि जड़ित आभूषण और वक्स आदि, बम्बई और दिल्ली का तांबा, चांदी के आभूषण, जयपुर के बने पीतल के पशु और लालटेन, संगमरमर, पूना की गुड़िया,

†मूल अंग्रेजी में।

बम्बई के छपे सूती कपड़े, बिहार की धारीदार बिस्तर के चादरें, काश्मीर का लकड़ी का काम, कान्दोपाली के खिलौने, आदि।"

(ग) बिके माल का मूल्य ६,२२० रु०

प्राप्त क्रयादेशों का मूल्य १,१६० रु० (लगभग)

पटसन जांच आयोग

†*१५३२. **श्री स० ना० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री ५ अप्रैल १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन जांच आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पटसन के विक्रय और क्रय के संबंध में सहकारिता विपणन का संगठन करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: संबंधित राज्य सरकारों का इस सिफारिश की ओर ध्यान दिलाया गया है ताकि वे उस पर आवश्यक कार्यवाही करें।

काजू का आयात

†१०६२. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें १९४७–४८ से लेकर अबतक की उन फर्मों का नाम हो जो कच्चे काजू का आयात करती हैं और उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे ये फर्में आयात करती हैं?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : १९५५ और ५६ में कच्चे काजू का आयात करने वाली फर्मों की संख्या क्रमश: ३१ और ३३ है। इस से पहिले के वर्षों के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

ब्रिटिश ईस्ट अमरीका के जंजीबार, टंगानीका और कीनिया तथा पुर्तगाली ईस्ट अफ्रीका से आयात किया गया है।

छोटे और बड़े पैमान के उद्योग

†१०६३. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री उन छोटे और बड़े पैमाने के उद्योगों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनके लिए आसाम की सरकार को १९५४—५५ और १९५५–५६ में अनुदान अथवा ऋण दिये गये हैं?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमचारी)** : जानकारी एकत्रित की जा रही हैं जो यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काजू के कारखाने

†१०६५. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में त्रावनकोर-कोचीन राज्य में काजू के कारखानों कच्चे काजू का क्या मूल्य दिया है ; और

(ख) उसी काल में विदेशी बाजारों में तैयार किये गये काजू की गिरी के विक्रम के लिये निर्यात करने से कितनी आय हुई?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) जनवरी १९५२ से प्रत्येक मास के अन्त तक काजू के ठोक मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान श्री वें० प० नायर के १४-८-५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है।

कपडे की मिलें

†१०६६. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में कपड़े की मिलें खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो ये मिले कहां कहां खुलेंगी ; और

(ग) उनके लिये कितने तकुए और ऋण स्वीकृत हुये हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) से (ग). अब तक दो सूत कातने की मिलें राजस्थान में खोलने के लाइसेन्स दिये गये हैं। उनमें से एक जयपुर में होगी और दूसरी उदयपुर में तथा इनमें क्रमशः १०,००० और १५,००० तकुए होंगे।

कलकत्ता में खादी वाणिज्यालय

१०६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी की बिक्री बढ़ाने के लिये क्या कलकत्ते में एक बड़ा वाणिज्यालय खोला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब खोला जा रहा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) तथा (ख). ज्योंही ठीक जगह मिल जाएगी, ऐसा करने का विचार है।

राज्य व्यापार निगम

†१०६८. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य व्यापार निगम ने अपनी एजेंसियां विदेशों में भी स्थापित की हैं ; और

(ख) भारत में किन विदेशों की राज्य व्यापार एजेंसियां हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) छः अर्थात्, बलगेरिया, जेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रूमानिया तथा रूस।

काठमांडू का राजदूतावास

१०६९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के स्वाधीन होने के पूर्व काठमांडू (नेपाल) के राजदूतावास में विभिन्न वर्गों के कितने कर्मचारी थे और ३० जून, १९५६ को कितने थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय जगहों से भरती होने वाले व्यक्तियों के वेतन क्रमों और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में भेद किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**:(क) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रक्खा ह। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ख) तथा (ग). ब्रिटिश दूतावास से जो भारतीय क्लर्क लिए गए थे, उनके साथ, विदेशी भत्तों और मकान वगैरह के मामलों में, भारतीय आधार के लोगों की तरह बर्ताव किया जाता था। भरती किए गए अन्य स्थानीय कर्मचारियों को, विदेश-स्थित सभी मिशनों के लिये भारत सरकार की आम नीति के अनुसार जाति भेद के बिना, स्थानीय दरों पर वेतन दिया जाता है।

निष्क्रांत चल सम्पति पर भारत-पाकिस्तान करार

†**१०७१. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान उन निष्कर्षों को कार्यान्वित कर रहा है जो नवम्बर १९५५ में निष्क्रान्त चल सम्पत्ति संबंधी जून १९५० के भारत-पाकिस्तान करार की कार्यान्विति पर सहयोजित कार्यान्विति-अनुदेशों के रूप में किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने विनिश्चय कार्यान्वित किये गये हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना)** : (क) और (ख). विनिश्चयों में बहुत सी बातें आ जाती हैं। जमीन में दबे खजानों संबंधी कार्य सन्तोषजनक ढंग से हो रहे हैं। अन्य बातों संबंधी विनिश्चय एक स्वीकृत निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे। पाकिस्तान ने यह प्रोग्राम केवल आंशिक रूप में कार्यान्वित किया है। अतः जुलाई १९५६ में कराची में हुई चल सम्पत्ति करार कार्यान्विति समिति की बैठक में इस मामले पर विचार विमर्श किया गया। इसके परिणामस्वरूप पुनरावर्तित लक्ष्य तारीखें निश्चित की गई हैं।

मेव

१०७२. श्री बाल्मीकी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में क्रमशः कितने कितने मेव भारत आये ; और

(ख) वे कहां-कहां बसाये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) : (क) उन मेवों के जो १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में भारत वापिस आए कोई आंकड़े नहीं रखे गये।

(ख) जो मेव १८ जलाई १९४८ से पहिले भारत में वापिस आए उन्हें ही बसावट की सुविधाएं प्राप्त थीं। जो बाद में आए उन्हें नहीं इसलिये उनके बसावट का प्रश्न नहीं उठता।

भाखड़ा बांध

†**१०७३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बान्ध की अनुमानित अस्तित्व-अवधि क्या है ; और

(ख) इसकी परियोजना कैसे की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभग ६०० वर्ष।

(ख) ये अनुमान भाकड़ा बान्ध जलाशय की मिट्टी इकट्ठी करने की सम्भाव्यताओं के निर्धारण पर आधारित है। इस विचार के आधार पर कि यदि धिसाई से पैदा होने वाली मिट्टी आदि का भीतर आना जारी रहता है, तो मिट्टी इकट्ठा हो जाने के कारण भाखड़ा जलाशय की चालू संग्रहण-क्षमता ६०० वर्ष में पूर्णतया समाप्त हो जायेगी।

केन्द्रीय लोक निर्मा, विभाग में स्थायी रूप स काम पर लगाये गये कर्मचारी

†**१०७५. श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्य-विशेष के लिये रखे गये कर्मचारी सरकारी काम करने के लिये मुख्यालय के स्थान से बाहर भेजे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें ऐसे अवसरों पर कितना यात्रा और दैनिक भत्ता मिलता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां।

(ख) एसे अवसरों पर उन्हें एक व्यक्ति का निम्नतम श्रेणी का किराया दिया जा रहा है तथा कोई दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता। सरकार ने हाल में ही कार्य विशेष के लिये रखे गये विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों को जो लोकहित में स्थानान्तरित किये जाते हैं या यात्रा करते हैं, केन्द्रीय सरकार के अन्य सेवकों की भांति ही कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता देने के आदेश दिये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप से काम पर लगाये गये कर्मचारी

†**१०७६. श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्य-विशेष के लिये रखे गये कर्मचारियों का स्थानान्तरण लोक-सेवा के हित में किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अवसरों पर उन्हें कितना यात्रा भत्ता दिया जाता है ;

(ग) क्या उन्हें काम के स्थान पर पहुंचने के लिये कुछ समय दिया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उन्हें यात्रा-भत्ता के रूप में निम्नतम श्रेणी का एक व्यक्ति का किराया दिया गया था, और यात्रा में लगा वास्तविक समय काम के स्थान पर पहुंचने के लिये दिया गया था। सरकार न हाल में ही कार्य-विशेष के लिये रखे गये विशिष्ट श्रेणियों के कर्मचारियों को जिनका स्थानान्तरण लोकहित के लिये किया जाता है, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुये, केन्द्रीय सरकार के अन्य सेवकों के आधार पर ही यात्रा भत्ता और कार्य-स्थल पर पहुंचने के लिये समय देने के आदेश दिये हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

युरेनियम अयस्क

†१०७७. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५–५६ में भारतीय भूतत्वीय परिमाप विभाग ने आसाम में युरेनियम की खोज की है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां, और कैसे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेंधा नमक का आयात

†१०७८. **श्री भू० ना० मिश्र :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से मंगवाये गए सेंधा नमक के संबंध में कोई राज्यवार अभ्यंश नियत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी हां। पाकिस्तान से जो सेंधा नमक मंगवाया जाएगा।

(ख)

१. राजस्थान	३५,७५०	मन
२. आसाम	१६,५००	मन
३. बिहार	८९,१००	मन
४. उत्तर प्रदेश	१,८९,२००	मन
५. पंजाब	२,८९,०००	मन
६. दिल्ली	१,००,१००	मन
७. मध्य प्रदेश	१९,२५०	मन
८. मध्य भारत	७,७००	मन.
९. पैप्सू	८९,१००	मन
१०. अजमेर	२८,६००	मन
११. विन्ध्य प्रदेश	७,७००	मन
१२. पश्चिमी बंगाल	२,०००	मन

†मूल अंग्रेजी में।

काफी का निर्यात

†१०७९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ की अवधि में भारत का रूस को काफी भेजने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात की मात्रा कितनी होगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) तथा (ख) . अप्रैल तथा मई, १९५६ में हमने ५०० टन काफी रूस को भेजी है।

चाय का निर्यात

†१०८०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में रूस का भारतीय चाय खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो चाय की कितनी मात्रा किन दामों पर खरीदी जायगी ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) तथा (ख). इस वर्ष अप्रैल से सात जुलाई तक रूस को कलकत्ता से ३३१,२८४ पौंड चाय निर्यात की गई थी।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†१०८१. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब तथा पैप्सू में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा १९५५–५६ से कितनी राशि खर्च की गई थी;

(ख) किन-किन संस्थाओं ने सहायता प्राप्त की थी; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) तथा (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १९**]

(ग) क्योंकि संस्थाओं को १९५५–५६ की अन्तिम त्रैमासिक अवधि में निधियां बंटित की गई थीं अतः उनके प्रयोग के संबंध में ब्योरा अभी प्राप्त नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बुनकर सहकारी समितियां

†१०८२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बुनकर सहकारी समितियों को १९५५–५६ में कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) उसी काल में इन समितियों ने हथकरघा से उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन तथा विक्रय में कितनी प्रगति की थी ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस बारे में किन्हीं और सुविधाओं की मांग भी की है ; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में क्या कार्यक्रम है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** (क) पंजाब में हथकरघा उद्योग के विकास के निमित्त १९५५–५६ में ७८,००० ऋण रूप से तथा २,९४, ८५८ रूपये अनुदान रूप से स्वीकार किए गए थे।

(ख) सहकारी समितियों द्वारा वर्ष १९५५–५६ में किए गए तैयार कपड़े के विक्रय सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी अप्रैल, १९५६ के मास में यह बताया जाता है कि सहकारी समितियों के नियन्त्रणाधीन ६,८७२ करघों ने २,७३,९०२ गज कपड़े का उत्पादन किया तथा ३,२०,७१५ गज कपड़ा बेचा ।

(ग) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त के बाहर कोई विशेष सुविधा के दिए जाने की मांग नहीं की है।

(घ) चालू वर्ष में २,१८,७०८ रुपये के अनुमानित व्यय की योजनाएं पहले ही स्वीकार की गई हैं तथा २,३४,००० रुपये के अनुमानित व्यय की योजनाएं विचाराधीन हैं।

बिजली के पंखो का संभरण

†१०८३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली के टेबल फैन केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को दिये जा रहे हैं जिनका वेतन ५०० रुपये प्रतिमास अथवा इससे अधिक हो;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसा विभेद करने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन सरकारी कर्मचारियों को कोई पंखे नहीं दिये जाते हैं जो दूसरों के साथ रह रहे हों ; और

(घ) इन सुविधाओं को उन सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्हे इनकी आवश्यकता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) टेबल फैन प्रायः उन्हीं आधिकारियों को दिए जाते हैं जिनका वतन ५०० रुपये प्रति मास अथवा इससे अधिक हो। परन्तु विशेष मामलों में और अधिकारी पदाधिकारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद पंखों के उपलब्ध होने पर ऐसे पंखे ५०० रुपये प्रति मास से कम पाने वालों को भी दिए जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) ५०० रुपये प्रति मास अथवा इससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को विशेष प्रार्थना पर पंखों के उपलब्ध होने की अवस्था में किराये पर देने के लिये पंखे थोड़ी संख्या में ही उपलब्ध हैं। यह निर्बन्धन इन पंखों की खरीद तथा संभरण में निहित व्यय को कम रखने के विचार से लगाया गया है।

(ग) हां, श्रीमान।

(घ) विद्यमान स्थिति में किसी परिवर्तन का विचार नहीं किया गया है।

ग्रामोद्योग

†१०८४. **श्री देवगम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ वर्ष की अवधि में निम्न ग्रामोद्योगों के विकास के लिये भारत सरकार ने योजनायें प्रस्तुत की है (१) खादी, (२) घानी तेल उद्योग, (३) चावल को हाथ से कूटना, (४) मधुमक्खी पालन, (५) हाथ से बना कागज, (६) कुटीर दियासलाई उद्योग तथा (७) अभक्ष्य तैलों से साबुन बनाना ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण रूप में या अन्यथा किसी भी रूप में प्रत्येक योजना के अधीन कितनी रकम की स्वीकृति दी गई है ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां खादी उद्योग के अतिरिक्त शेष योजनायें हैं।

(ख) योजनायें अभी विचाराधीन हैं।

स्थानीय विकास कार्य

†१०८५. **श्री सै० वें० रामस्वामी:** क्या **योजना** मंत्री ९ अगस्त, १९५६ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थानीय विकास कार्यों के लिये आवंटनार्थ निधियों की रकम क्या है ;

(ख) राज्यवार बंटन क्या है ; और

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में मद्रास राज्य में जिन स्थानीय विकास कार्यों का काम प्रारम्भ किया गया था उनका परिगणन क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) तथा (ख). स्थानीय विकास कार्यों के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५ करोड़ रुपये की रकम रखी गई है। तथापि विभिन्न राज्यों को प्रतिवर्ष रकम बंटित की जाती है और लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें चालू वर्ष के लिये राज्यों को बंटित राशि उल्लिखित है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या २०**]

(ग) निर्धारित किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर १४३१–५३

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
१४९०	इस्पात का आयात	१४३१
१४९२	इस्पात का आयात	१४३२–३४
१४९१	कते हुये रेशम के कारखाने	१४३४–३५
१४९३	भाखड़ा नंगल परियोजना	१४३६–३७
१४९४	मवेशियों के चाटने का नमक	१४३७
१४९६	कम्बोडिया को भेजा गया प्रविधिक सर्वेक्षण दल	१४३७–३८
१४९७	साइकिल टायर	१४३८–४०
१४९८	संश्लेषित रबड़ का कारखाना	१४४०–४२
१४९९	पाकिस्तान से भारत में हरिजनों का प्रव्रजन	१४४२–४३
१५००	नेता जी के भाषणों के रेकार्ड	१४४३–४४
१५०२	संश्लेषित उर्वरक	१४४४–४६
१५०७	विकास परिषदें	१४४६
१५०८	त्रावणकोर-कोचीन में समुद्र द्वारा मिट्टी का कटाव	१४४६–४८
१५०९	दूसरी योजना के संबंध में विश्व बैंक मिशन की टिप्पणी	१४४८–४९
१५१२	भारतीय वैदेशिक सेवा के परिवीक्षाधीन व्यक्ति	१४४९
१५१३	कोयला वितरण	१४५०–५२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

१५	गोदावरी और कृष्णा नदियों में बाढ़	१४५१–५३

[दैनिक संक्षेपिका] पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर १४५३–६९

तारांकित प्रश्न संख्या विषय

१४९५ संश्लेषित रबड़ उद्योग १४५३

१५०१ व्यावसायिक प्रशिक्षण १४५३

१५०३ केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप से काम पर लगाये गये कर्मचारी १४५४

१५०४ साऊथ पटेल नगर . १४५४

१५०५ चाय उद्योग १४५५

१५०६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना . १४५५

१५१० निर्यात संवर्द्धन परिषद . १४५५

१५११ कोसी के किनारे पर बान्ध १४५६

१५१४ आर्फनगंज मार्केट, किदिरपुर १४५६

१५१५ नोआमंडी में विस्फोट १४५६

१५१६ गिरिडीह कोयला खानें १४५७

१५१७ हथकरघे और विद्युत चालित करघे . . १४५७

१५१८ मैसूर की खानों के मालिक . . . १४५७–५८

१५१९ सामुदायिक रेडियो सेट . १४५८

१५२० ग्रामीण क्षत्रों का विद्युतीकरण . १४५८

१५२२ कुवैत के लिये भारतीय कर्मचारियों की भरती . १४५८

१५२३ सीमाओं का निर्धारण . १४५९

१५२४ चलचित्रों का आदान प्रदान १४५९

१५२५ इंजिनियरों का केन्द्रीय पुंज १४५९

१५२६ नाहन फाउंडरी लिमिटेड . . . १४५९–६०

१५२७ पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को मुआवजा . १४६०

१५२८ अचल सम्पत्ति . . १४६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५२९	सरकारी धन का गबन	१४६०–६१
१५३०	लोहा और इस्पात का आयात	१४६१
१५३१	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वाशिंगटन	१४६१–६२
१५३२	पटसन जांच आयोग . .	१४६२

तारांकित प्रश्न संख्या

१०६२	काजू का आयात	१४६२
१०६३	छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग	१४६२
१०६५	काजू के कारखाने .	१४६२–६३
१०६६	कपड़े की मिलें .	१४६३
१०६७	कलकत्ता में खादी वाणिज्यालय . . .	१४६३
१०६८	राज्य व्यापार निगम . .	१४६३
१०६९	काठमांडू का राजदूतावास .	१४६३–६४
१०७१	निष्क्रान्त चल सम्पत्ति पर भारत-पाकिस्तान करार	१४६४
१०७२	मेव .	१४६४
१०७३	भाखड़ा बांध . .	१४६४–६५
१०७५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्थायी रूप से काम पर लगाये गये कर्मचारी	१४६५
१०७६	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में स्थायी रूप में काम पर लगाये गये कर्मचारी	१४६५
१०७७	यूरेनियम अयस्क .	१४६६
१०७८	सेंधा नमक का आयात . . .	१४६६
१०७९	काफी का निर्यात	१४६७
१०८०	चाय का निर्यात .	१४६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०८१	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड .	१४६७
१०८२	बुनकर सहकारी समितियां .	१४६७
१०८३	बिजली के पंखों का संभरण . .	१४६८–६९
१०८४	ग्रामोद्योग . .	१४६९
१०८५	स्थानीय विकास कार्य	१४६९

खण्ड ६—अंक ३१
२८ अगस्त, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५६

(२७ अगस्त से १३ सितम्बर १९५६ तक)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ८ में अंक ३१ से ४५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

6—257 L.S. 57.

विषय-सूची

[भाग २—वाद-विवाद खंण्ड ८—२७ अगस्त से १३ सितम्बर, १९५६]

अंक ३१—सोमवार, २७ अगस्त, १९५६ — पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४८५

समिति के लिये निर्वाचन—

लोक लेखा समिति १४८६

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक . . . १४८६

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १४८६

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(त्रावनकोर-कोचीन), १९५६–५७ . १४८७–१५०९

तोल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १५०८–२८

मनीपुर के लिये विकास अनुदानों की बारे में आधे घंटे की चर्चा . १५२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १५३४–३५

अंक ३२—मंगलवार, २८ अगस्त १९५६

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . १५३६–३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५३८

राज्य-सभा से सन्देश १५३८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

साठवाँ प्रतिवेदन. १५३८

सभा का कार्य १५३८–४०

कार्य मंत्रणा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन १५४०

हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक १५४०

त्रावनकोर कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक . . . १५४०–४१

तौल और माप मानदन्ड विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव १६४१–४५

पृष्ठ

राष्ट्रीय स्वंय सेवक बल विधयक—

विचार करने का प्रस्ताव १५४५–७२

खंड २ से ११ और १ . . . . . १५५९–६८

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव. . . . १५६८

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . १५७२–९२

जिप्सम के बारे में आधे घंटे की चर्चा १५९२–९४

दैनिक संक्षेपिका . १५९५–९६

अंक ३३—गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५९७

बीमे के राष्ट्रीयकरण के बारे में वक्तव्य . . १५९८–१६०२

सभा का कार्य . . . १६०२–०३

राज्य-सभा से सन्देश १६०३–०४

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १६०४–१२

खण्ड २ से ४ और १ . . १६०४–१२

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६१२

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १६१४–३८

खण्ड २ से २५ और १ . . . . . १६१४–३८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव १६३५

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियमों के बारे में संकल्प . १६३८–४८

सरकारी रिहाई १६४८

कोयला खानें भविष्य निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . १६४८–५४

दैनिक संक्षेपिका १६५५–५६

अंक ३४—शुक्रवार, ३१ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखा गया पत्र १६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन १६५७

राज्य-सभा से संदेश . . १६५७

पृष्ठ

प्राचीन एवं एतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक . १६५८

सभा का कार्य १६५८, १६९२

खान पट्टों के प्रारूप (शर्तों का रूपभेद) नियम त्रावणकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा से सम्बन्धित संकल्प १६५८–८०

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयकों सम्बन्धी समिति—

साठवां प्रतिवेदन. १६८०–८१

राज्यनीति के विदेशक तत्वों के कार्य-संचालन के बारे में समिति की नियुक्ति सबन्धी संकल्प . . . १६८०–८१, १६९३–१७००

आणविक तथा तापीय आणविक परीक्षकों सम्बन्धी संकल्प १७००–०१

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक . १६९१–९२

दैनिक संक्षेपिका १७०२–०३

अंक ३५—शनिवार, १ सितम्बर १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली में बम विस्फोट . १७०५–०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १७०७

राज्य-सभा से सन्देश . १७०७–०८

सभा का कार्य . . . १७०८–१०

कार्य मंत्रणा समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . १७०९

जन प्रतिनिधान (तीसरा संशोधन) विधेयक . . . १७१०

त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उदघोषणा से सम्बन्धित संकल्प . १७११–१८

लोक ऋण (संशोधन) विधेयक १७१८–१९

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१८

खण्ड १ से १५ . . १७१८–१९

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१९

पृष्ठ

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १७१६–२६

खण्ड ८, १ और २ . . . १७१६–२६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १७२६

अखिल भारत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक . १७२६–६०

विचार करने का प्रस्ताव . . १७२६

खण्ड २ से २६ और १ . . . १७५६–५६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १७६०

दैनिक संक्षेपिका . . १७६१–६२

अंक ३६—सोमवार, ३ सितम्बर, १६५६

स्थगन प्रस्ताव—

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना . . १७६३–६६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १७६६

राज्य-सभा से संदेश . . १७६७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १७६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

इंडियन ऐल्युमीनियम कं०लिमिटेड अल्वाई में हड़ताल . १७६७

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक— . .

विचार करने का प्रस्ताव १७६८–१८०६

खण्ड २ और १ . . . . १८०६

पारित करने का प्रस्ताव १८०६

दैनिक संक्षेपिका १८१०–११

अंक ३७—मंगलवार, ४ सितम्बर, १६५६

राज्य-सभा से सन्देश १८१३–१४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकसठवां प्रतिवेदन . . . १८१४

सभा पटल पर रखा गया पत्र १८२०–२४

संविधान (७वां संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . १८१४–२०, १८२४–६३

पृष्ठ

दैनिक संक्षेपिका १८६४

अंक ३८—बुधवार, ५ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से संदेश. १८६५

गैरे-न्यायिक तथा न्यायालय शुल्क मुद्रांक पत्रों के बारे में याचिका . १८६५

सभा का कार्य . . . १८६६

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक . . . १८६६–१९०६
. . . १९११–१४

खंड २ से १० . . १८८४–१०

खंड ११ से १६, २० क और २५ . . . . १८८४–१९०६
. . . . १९११–१४

जड़चरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना सम्बन्धी वक्तव्य . १९०६–१०

दैनिक संक्षेपिका . . १८१५

अंक ३९—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १९१७

शिशू सन्यास दीक्षा निरोध विधेयक सम्बन्धी याचिका . १९१७

समिति का निर्वाचन—

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद १९१७

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९१८

संविधान (नवा संशोधन) विधेयक १९१८–९१

खण्ड १७ से २९, और अनुसूची. . १९१८–९१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . १९८९

दैनिक संक्षेपिका . १९९२

अंक ४०—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९५६

राज्य-सभा से सन्देश . १९९३

लोक लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १९९३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

साईप्रस में राष्ट्र मण्डल की ओर अन्य सेनाओं का रखा जाना १९९३–९४

पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन—

विश्व भारती की संसद १९९४

सभा का कार्य . . १९९४–९७

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . १९९७–२०१५

लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २०१५–२४

खंडों पर विचार . २०१५–२४

पारित करने का प्रस्ताव २०२४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकासठवां प्रतिवेदन २०२५

मजूरी का भुगतान (संशोधन) विधेयक २०२५–२६

निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक . . . २०२६

भारतीय लाइट रेलवेज राष्ट्रीयकरण विधेयक . . . २०२६

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक और . २०२६–२७

संविधान (संशोधन) विधेयक २०२७

लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावलियां तैयार करना) नियम, १९५६ के

बारे में प्रस्ताव . . २०२७–४४

दैनिक संक्षेपिका . २०४५–४६

अंक ४१—शनिवार, ८ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

कलकत्ता पत्तन की स्थिति . . २०४७–५०

सभा पटल पर रखा गया पत्र २०५०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दामोदर घाटी निगम परियोजना में सार्वजनिक निधि का कथित अपव्यय २०५०–५२

सभा का कार्य २०५२–५३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . २०५३–९८

दैनिक संक्षेपिका . २०९९

पृष्ठ

अंक ४२—सोमवार, १० सितम्बर, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१०१–०२

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेलवे), १९५३-५४ . . २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका २१०२

सभा का कार्य २१०२

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २१०२–०५

खण्ड २ से ७, अनुसूचित १ से ४ और खण्ड १ . . . २१०५–५०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . २१५०

भारत की शासन प्रणाली के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में एप्पलबी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . २१५१–६८

सदस्यों की रिहाई २१६८

दैनिक संक्षेपिका २१६९–७०

अंक ४३—मंगलवार, ११ सितम्बर, १९५६

नेताजी जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य . . . २१७१–७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २१७३

राज्य-सभा से संदेश २१७३

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २१७४

सभा की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

१७वां प्रतिवेदन २१७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम में बाढ़ और दी गई सहायता २१७४–७५

दूसरी पंच-वर्षीय योजना के बारे में संकल्प . . . २१७६–२२२१

दैनिक संक्षेपिका २२२२–२४

अंक ४४—बुधवार, १२ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

प्रतिरक्षा कर्मचारियों की आसन्न छंटनी . . . २२२५–२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २२२७–२८,२२२९

विशेषाधिकार का प्रश्न २२२८–२९

लोक लेखा समिति—

उनीसवां प्रतिवेदन २२३०

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन . . . २२३०
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२३०–७९
दैनिक संक्षेपिका २२८०–८१

अंक ४५—गुरुवार, १३ सितम्बर, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
स्वेज के मामले पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . २२८३–८६
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के वेतन क्रम और सेवा की शर्तें . २२८६–८७
उत्तर प्रदेश में बाढ़ . . . २२८७–८९
सभा पटल पर रखे गये पत्र २२८९–९०
राज्य सभा से संदेश २२९०
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २२९०
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन २२९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टिहरी गढ़वाल में बाढ़ २२९०–९२
अनुपस्थिति की अनुमति . . २२९२
रेलवे यात्रियों पर सीमा कर विधेयक २२९२
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . . . २२९३
जडचरला और महबूबनगर के बीच रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . २२९३–९५
विशेषाधिकार प्रश्न २२९५–९९
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी संकल्प . . . २२९५, २२९९–२३५५
आगामी सत्र की तिथि . . . २३५५
दैनिक संक्षेपिका २३५६–५८
१३ व सत्रकी संक्षेपिका २३५९–६१

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

१२.०८ म० प०

विशेषाधिकार का प्रश्न

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मैंने एक विशेषाधिकार सम्बंधी प्रस्ताव की सूचना दी है । यह २६ अगस्त, १९५६, रविवार को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक की एक टिप्पणी के सम्बन्ध में है । मेरी शिकायत यह है कि इसमें यह प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि मैंनें रेलवे मंत्री और उपमंत्री, श्री लालबहादुर शास्त्री और श्री अलगेशन को छोटे कद वाला कहा है, उसमें कहा गया है कि "यह बात समझ ली जानी चाहिये कि मंत्री और उपमंत्री के मार्ग में केवल उनका 'आकार' ही रुकावट था।" हम सदन में सभी प्रकार की बातें कहते हैं और उनका सम्बन्ध केवल नीति से होता है, व्यक्तिगत विवरण से नहीं । मैंनें ऐसे शब्द कहने का अक्षम्य अपराध कभी नहीं किया। मैंने सारे भाषण में कहीं कभी भी शब्द 'आकार' का प्रयोग ही नहीं किया । फिर उसने यह प्रकट करने का प्रयत्न किया है कि मंत्री और उपमंत्री महोदय केवल अपने कद के कारण मंत्री पद के योग्य नहीं हैं । मैं ऐसी बात कभी नहीं कह सकता । मैंनें तो कहा था कि वे अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु कमजोर हैं । हां, मैंनें प्रेम से उन्हें "प्रिय छोटा व्यक्ति" अवश्य कहा था परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं निकलता कि वह मंत्री पद के अयोग्य हैं ।

इसी मामले पर मैं आपका ध्यान पी० टी० आई की एक रिपोर्ट की ओर भी दिलाना चाहता हूं । इसमें जो कुछ मैंनें कहा था वह ठीक तरह से दिया गया है । इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैंने श्री अलगेशन के सम्बन्ध में कड़े शब्द कहे, परन्तु इसमें "आकार" के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मेरी शिकायत यह है कि क्या इस प्रकार से समाचार देने की आज्ञा दी जा सकती है क्योंकि यह गलत और द्वेषपूर्ण है ।

†मूल अंग्रेजी में

1—233 L. S./56

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर विचार किया जायेगा । इससे पहले भी मैंने एक माननीय सदस्य द्वारा एक वरिष्ठ मंत्री का उल्लेख करते समय "छोटा व्यक्ति" पसन्द नहीं किया । क्या आप डा० काटजू को छोटा व्यक्ति कह सकेंगे ? मैंने उस समय माननीय सदस्य को अपने उद्गार प्रकट करने से रोका नहीं था । परन्तु जो कुछ भी वह कह रहे थे उसे दूसरे ढंग से इससे भी अधिक प्रभावशली रूप में कहा जा सकता था । कुछ भी हो इस मामले पर ठीक और उचित कार्यवाही की जायेगी । अब हम कार्यसूची की अगली मद को लेगें ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

बागान जांच आयोग की रिपोर्ट

भाग १—चाय

उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : श्रीमानजी, मैं परिशिष्टों और अनुबन्धों सहित बागान जांच आयोग की रिपोर्ट–भाग १–चाय, १९५६ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस—३५४/५६**]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने २५ अगस्त, १९५६ को अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १० अगस्त , १९५६ को पारित राज्य पुनर्गठन विधेयक १९५६ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

साठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला-भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का साठवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**ससद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: आप की आज्ञा से मैं मेरे द्वारा २५ अगस्त को घोषित सरकारी कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किये जाने की घोषणा करना चाहता हूं ।

कुछ आवश्यक अन्य कारणों के कारण अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग विधेयक को स्थगित करना आवश्यक हो गया है । यदि समय मिला तो बाद में उसे किसी दिन और ले लिया जायेगा । उसके स्थान पर इस सप्ताह में त्रावनकोर-कोचीन सम्बन्ध में राष्ट्रपति की घोषणा को जारी रखने के सम्बन्ध में इस सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये सरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा । २८ और ३० अगस्त की संशोधित कार्यसूची में सदस्यों ने देख भी लिया होगा कि इस की व्यवस्था कर दी गयी है ।

इस अवसर पर मैं अपने २५ अगस्त वाले अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां आदेश (संशोधन) सम्बन्धी वक्तव्य को भी शुद्ध कर देना चाहता हूं । मैंने कहा था कि मेरी अनुपस्थिति में यह घोषित किया गया था कि इसके लिये ६ और ७ सितम्बर रखे गये थे । यद्यपि इस विधेयक के लिये निर्धारित तिथियों के बारे में ठीक अनुमान लगाया गया था परन्तु इस तिथि विशेष के सम्बन्ध में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गयी थी । इस विधेयक को संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के पारित होने के तुरन्त बाद लिया जायेगा ।

†**श्री शं० शा० मोरे** (शोलापुर) : मेरी प्रार्थना है कि जहां तक कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट का सम्बन्ध है श्री एपिलबी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये दो घंटे रखे गये हैं । उसका विषय

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासन का पुनर्गठन है। उसमें कई सुझाव भी दिये गये हैं और कई ऐसी बातें भी कही गई हैं जिनसे कि हम लोक-सभा के विशेष अधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। इन सब पर अच्छी तरह विचार किया जाना जरूरी है, इस लिये चर्चा के लिये चार घंटे रखे जाने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं कह सकता कि सदन योजना पर विचार किये जाने वाले समय में इस मामले पर विचार करने के लिये समय देनें पर सहमत होगा। उसमें कुछ ऐसे आरोप लगाये गये हैं जिनकी कि व्याख्या सदन में होनी चाहिये। इस लिए कठिनाई से एक घंटे के स्थान पर दो घंटे रखे गये थे। द्वितीय योजना पर चर्चा के समय भी इस रिपोर्ट का उल्लेख किया ही जायेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमानजी मैं श्री मोरे से सहमत हूं। डा० पाल एपलबी की रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक है। यदि इस सत्र में ऐसा करना सम्भव न हो तो इसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में लिया जाये, क्योंकि इसका सम्बन्ध संसद की कार्य प्रणाली से है। इस पर चर्चा के लिये चार घंटे तो होने चाहियें।

इसके अतिरिक्त, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० के अन्तर्गत बनाये गये नियम सभा-पटल पर रखे गये थे। अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मैंनें कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे। परन्तु उस सम्बन्ध में चर्चा किये जानें की कोई घोषणा नहीं की गयी है। यदि उस पर इस सत्र में चर्चा न हुई तो हमारे संशोधन रद्द हो जायेंगे। श्री पाटस्कर ने यह आश्वासन भी दिया था कि १९५१ के बड़े अधिनियम के अन्तर्गत नियम सभा-पटल पर रखे जायेंगे, परन्तु अभी तक तो वे रखे ही नहीं गये हैं। आगामी सूत्र इस संसद का शायद अन्तिम सत्र होगा। इसलिये इसके आरम्भ में ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

†**श्री शं० शा० मोरे** : मेरा सुझाव है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत जो नियम बनाये गये हैं, उन पर एक साथ चर्चा होनी चाहिये। क्योंकि यह दोनों एक ही विषय से सम्बन्ध रखते हैं। ऐसा करने से सारी बात एक साथ समझ में आ जायेगी और संशोधन को प्रस्तुत करने में सुविधा रहेगी।

†**श्री क० कु बसु** (डायमंड हार्बर) : श्री मोरे वास्तविक बात को समझे नहीं हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० का सम्बन्ध मतदाताओं की सूचियां तैयार करने से है। यदि हमनें उस पर नवम्बर में विचार किया तो आगामी चुनावों की सूचियां लगभग तैयार हो चुकी होंगी और फिर उसमें संशोधन कैसे हो सकेगा। इसलिये इन नियमों पर पहले चर्चा की जानी चाहिये।

साथ ही कार्य मंत्रणा समिति ने इन नियमों पर विचार करने के लिये केवल दो घंटे निर्धारित किये हैं। इन नियमों को आधीनस्थ विधान संबंधी समिति के पास भी भेजा गया था। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार करने के लिये अधिक समय दिया जाये।

†**श्री कामत** : नहीं तो यह अधिनियम का उल्लंघन होगा।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : कल छुट्टी है, परसों अपने सहयोगियों से परामर्श करके मैं इस सम्बन्ध में वक्तव्य दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य देंगे यदि एपलबी रिपोर्ट पर सत्र में चर्चा जारी रखी जायेगी।

†**श्री कामत** : नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने भी एपलबी रिपोर्ट की आलोचना की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पता है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा के समय यदि सम्भव हुआ तो इसके लिये और समय निकाल लिया जायेगा ।

†**श्री क० कु० बसु** : एपलबी रिपोर्ट की चर्चा तो अभी स्थगित कर दी जानी चाहिये । विशेषत: उस मांग पर, जिसका कि सम्बन्ध संसदीय नियन्त्रण से है, पृथक चर्चा होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यक हुआ तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर होने वाली चर्चा के समय में से इसके लिये एक घंटे का समय और निकाल लिया जायेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से जो २५ अगस्त १९५६ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है ।"

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चालीसवें प्रविवेदन से जो २५ अगस्त १९५६ को रखा गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

*हैदराबाद का राज्य बैंक विधेयक

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि हैदराबाद के राज्य बैंक की अंश पूंजी को भारत के रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करने तथा उचित प्रबन्ध करने और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषांगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हैदराबाद के राज्य बैंक की अंश पूंजी को भारत के रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित करने तथा उसका उचित प्रबन्ध करने और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषांगिक अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करनें की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

† **श्री अ० चं० गुह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक*

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

*भारत के असाधारण गज़ेट्, भाग २, अनुभाग २ में दिनांक २८-८-५६ को प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी मे

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री म० च० शाह** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं और* प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६–५७ के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य की संचित निधि में से कुछ राशि यों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खन्ड १ से ३, अनुसूचीं, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नामविधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री म० च० शाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तोल और माप मानदण्ड विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री कानूनगो द्वारा २५ आगस्त १९५६ को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी । श्री स० चं० सामन्त अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं कल पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में प्रचलित सेर के बांटों का उल्लेख कर रहा था । एक ही जिले में, यहां तक कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये भी ये बांट भिन्न भिन्न हैं । कल कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इसके सम्बन्ध में सामान्य जनता की राय नहीं ली गयी है । यह सही नहीं है । सरकार १८७० से ही देश में प्रचलित बांटों और मापों में एकरूपता लाने का प्रयास कर रही है । अब तक नियुक्त की गयी अनेक समितियों ने इस प्रश्न की जांच की है और प्रतिवेदन तैयार किये हैं । १८६६ की बांट और नाप एकरूपता सम्बन्धी बंगाल समिति के प्रतिवेदन से लगा कर १९५३ तक के प्रतिवेदनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इन सभी प्रतिवेदनों में एक बड़े विशद रूप में यह स्पष्ट किया गया है कि बांटों और मापों की विभिन्नता से व्यापार आदि में

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित और प्रस्तुत ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० चं० सामन्त]

कितनी कठिनाई पड़ती है। इस बीच में योजना आयोग और भारतीय मानक संस्था ने भी इस विषय के सम्बन्ध में काफी प्रगति की है। उससे पता चलता है कि देश का प्रत्येक राज्य बांटों और मापों में एकरूपता किये जाने के पक्ष में है। सभी सदस्य इसके पक्ष में है। कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि इसे पन्द्रह वर्ष के बाद लागू करना चाहिये लेकिन मेरा विचार है कि इसे लागू करने का यही सबसे उपयुक्त अवसर है।

इस विधेयक को पारित करने के बाद, सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह इसे सुदूरवर्ती गांवों तक में भी पहुंचा दे। योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर इसके पारित होने के बाद विचार किया जाना चाहिये। उसके सुझाव ये हैं। मुद्राओं और बांटों तथा मापों को मीट्रिक प्रणाली पर आधारित करना चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि व्यापक शिक्षा और प्रचार का एक कार्यक्रम चालू किया जाये, और साथ ही साथ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इसी के अनुसार शिक्षा दी जाये, सभी प्रादेशिक भाषाओं में सूचना देने वाले बुलेटिन, पुस्तिकायें और परिवर्तन सारिणियां प्रकाशित की जायें और गांवों और पंचायतों आदि के जरिये इनका प्रचार किया जाये। इनमें सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों, सामुदायिक विकास परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

इंग्लैंड के सर एडवर्ड बुल्लार्ड का भी यही मत है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली ही चालू की जानी चाहिये। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे भारत के इंग्लैंड और अमरीका के साथ होने वाले वाणिज्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अन्त में संयुक्त समिति से मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार हमने "पैसा" नाम को बनाये रखा है, इसी प्रकार नई प्रणाली में भारत में प्रचलित पुराने नामों को बनाये रखने का प्रयास किया जाये। संयुक्त समिति और सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**उपभोग-वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मुझे इसके सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि सभी माननीय सदस्यों, विशेषकर श्री चौधरी और श्री सामन्त ने बहुत कुछ कह दिया है। सभा के सामने प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाये। श्री रेड्डी सहित सभी वक्ता इससे सहमत हैं कि बांटों और मापों का एक मानदण्ड निश्चित किया जाना आवश्यक है। इसे कब, कैसे और किस प्रकार से किया जाये, इसके सम्बन्ध में विभिन्न सुझाव दिये गये हैं।

यहां विभिन्न माननीय सदस्यों ने इस संक्रमण और परिवर्तन काल में पड़ने वाली अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया। उनमें सैंकड़ों अन्य कठिनाइयों को और जोड़ा जा सकता है। हमें यह आशा नहीं है कि कठिनाइयां अधिक नहीं होंगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि उनके सम्बन्ध में विचार करने वाला प्रत्येक सदस्य और विशेषकर संयुक्त समिति के सदस्य, यही अनुभव करेंगे कि हम जितनी ही जल्दी इन कठिनाइयों का सामना करें और उनका समाधान निकालें उतना ही सभी को लाभ होगा। इनमें से अधिकांश कठिनाइयों पर पार पाने का एक साधन यह भी है कि हम परिवर्तन के इस कार्यक्रम को तीव्र गति से पूरा कर दें। कुछ यह आशंकायें भी प्रकट की गयी हैं कि राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है या नहीं और उन्होंने काफी सोच विचार के बाद अपनी सहमति प्रकट की है या नहीं। राज्य सरकारें यह भलीभांति जानती हैं कि वर्तमान संविधान के अन्तर्गत इस परिवर्तन को कार्यान्वित करना उनका ही एक उत्तरदायित्व है। वास्तव में, वे इसे बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। प्रायः सभी राज्यों ने विशेष समितियां स्थापित कर दी हैं, जिनके सभापति या तो इस कार्य से सम्बन्धित कोई मंत्री हैं, या कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं। कुछ स्थानों में तो इस बीच इन समितियों की कई बैठकें भी हो चुकी हैं, जिनमें इस बात पर विचार किया गया है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करनी आवश्यक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक वक्ता ने यह भी कहा कि १९३९ का अधिनियम संविधि-पुस्तक पर मौजूद था लेकिन फिर भी कोई एक मानदण्ड निश्चित नहीं किया जा सका था। पर मुझे विश्वास है कि वर्तमान सभा के निर्देशन में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में कोई भी ढिलाई नही होने दी जायेगी। इसकी तात्कालिकता इतनी अधिक है और इसकी कार्यान्विति इतनी आवश्यक हो गयी है कि मेरे विचार से तो अब इसके लिये और अधिक नहीं रुका जा सकता है।

जनमत जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित करने के प्रस्ताव का यही आधार था कि विभिन्न वाणिज्यिक निकायों और राज्य सरकारों को इसके सम्बन्ध में विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला है। कई माननीय सदस्यों ने ऐसे स्पष्ट उदाहरण बताये हैं कि पिछले कई दर्शकों में किस प्रकार इसके सम्बन्ध में परामर्श होते रहे हैं और इस विषय पर चर्चायें होती रही हैं। मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि एक ऐसे विषय के सम्बन्ध में, देश में बांटों और मापों का एक मानदण्ड निश्चित करने जैसे इस आधारभूत महत्व जैसे विषय के सम्बन्ध में, केवल संसद सदस्य ही प्रभावशाली ढंग से विचार कर सकते हैं और अपनी कोई राय व्यक्त कर सकते हैं। इस सभा का प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के लाखों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। वही इसके सबसे अच्छे निर्णेता हो सकते हैं। वे सदा ही जनमत के सम्पर्क में रहते हैं। उनका निर्णय जनता का ही निर्णय होता है। इसलिये इसे परिचालित करने के इस प्रस्ताव को स्वीकृत करने से कोई भी लाभ नहीं होगा, हां चार या छः महीने अवश्य ही व्यर्थ में लग जायेंगे। एक माननीय सदस्य ने जनमत जानने की औपचारिकता का भी उल्लेख किया था। वह प्रक्रिया आवश्यक नहीं है और उससे कोई बड़ा परिणाम भी निकलने की आशा नहीं है।

इस विधेयक में उल्लिखित दस वर्षों के संक्रमण काल के बारे में भी आशंकायें व्यक्त की गयी हैं। अधिकतर यही कहा गया है कि इस कार्य के लिये यह समय बहुत कम है। लेकिन, अन्य देशों का अनुभव बताता है कि यह कार्य इतना कठिन भी नहीं है। सोवियत संघ में उन्होंनें इस परिवर्तन के लिये दस वष का समय रखा था लेकिन उन्होंने इसे आठ वर्षों में ही पूरा कर लिया था। थाईलैंड में १३, इटली में केवल १०, जेकोस्लोवाकिया में चार, और टर्की में केवल तीन ही वर्ष इस कार्य में लगे थे। सीरिया में तो इस परिवर्तन में कुछ भी समय नहीं लगा था। मैं मानता हूं कि सीरिया एक छोटा सा देश है और पता नहीं वे किस प्रकार अब इसे चला रहे हैं। अपने देश की विशालता को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि कई अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में पर्यवेक्षण प्रक्रिया और इस कार्य को करने वाले कर्मचारी मौजूद नहीं हैं और अधिकांश राज्यों में वे पर्याप्त नहीं हैं, मैं पूरी तौर पर यह अनुभव करता हूं कि हमारे यहां इस कार्य को सम्पन्न करना अधिक कठिन होगा। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि एक बार जब संसद अपनी इच्छा व्यक्त कर देगी तब कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में आड़े न आ सकेगी, हम इस कार्य को जितनी ही शीघ्रता से करेंगे हमारे लिये वह उतना ही आसान होगा।

तमाम सदस्यों ने इस विचार का प्रचार किये जाने के सम्बन्ध में कई सुझाव दिये हैं। हमें और भी सैंकड़ों सुझावों का पता लगाना पड़ेगा। हमने इसलिये विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में शीघ्रता करने के साधनों का पता लगाने के लिये विशेष समितियां गठित की हैं। हम अपनी ओर से उस तमाम सामग्री को भी प्रकाशित करते रहेंगे जो समय समय पर इसके सम्बन्ध में उठनें वाली आशंकाओं और कठिनाइयों को दूर करने में उपयोगी होगी। मैं जिस समिति का सभापति हूं उसने तो यह भी निर्णय कर दिया है कि एक पत्रिका निकाली जायेगी जिसमें ऐसे पत्र और सामग्री को प्रकाशित किया जायेगा जो राज्यों की जनता के इस विचार को अधिक से अधिक स्पष्टता के साथ समझाने में सहायता दे सके।

हमनें वाणिज्यिक और औद्योगिक संस्थाओं से तो हर अवस्था पर और कई बार परामर्श किया है। वे सभी इससे सैद्धान्तिक रूप से सहमत भी हैं। इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सही है कि इस काम में कठिनाइयां भी पड़ेंगी। वह तो हर परिवर्तन में होता ही है। हमें उन पर पार पाना पड़ेगा। इसलिये भारत सरकार नें यह निर्णय किया है कि जहां भी अपेक्षाकृत

[श्री कानूनगो]

छोटे उपक्रमों, छोटे संस्थापनों को आवश्यकता पड़ेगी वह सलाह देने को तैयार रहेगी, जिससे कि सरकार के साथ परामर्श करके अपनी विशिष्ट समस्याओं को हल कर सके। थोड़े ही समय बाद यह सलाहकारी सेवा सुलभ हो जायेगी। कुछ सुझाव ऐसे भी आये हैं कि मीट्रिक प्रणाली को अपनाने के बदले, अपने देश के लिये किसी एक नयी प्रणाली का आविष्कार किया जाये। इसके बारे में तो कुछ कहना आवश्यक ही नहीं है। देश के वर्तमान बांटों और मापों तथा उनके नापो को भी अपनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि किसी भी एक बांट विशेष के भार के सम्बन्ध में अभी जो धारणा बनी हुई है वह नयी प्रणाली में नहीं रहेगी वह उससे भिन्न होगी और इससे गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। उससे तमाम बुराइयां पैदा हो जायेंगी। इन बुराइयों को दूर करने के लिये ही तो हम बांटों तथा मापों की नयी प्रणाली को चालू कर रहे हैं। इस विधेयक विशेष में तो केवल मानदण्ड ही निर्धारित किया गया है और जहां तक उस मानदण्ड का सम्बन्ध है जनता उसे शायद ही समझ सकेगी। इसमें जो परिभाषायें आदि दी गयी हैं उन पर सामान्य जनता शायद ही चर्चा कर सकेगी। सभा के माननीय सदस्यों को ही चाहिये कि वे इसे भली प्रकार समझकर इस पर अपनी राय व्यक्त करें जिन अन्य अधिक महत्वपूर्ण कायवाहियों के सम्बन्ध में यहां कुछ आशंकामें व्यक्त की गयी हैं, उनके सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम इस सभा में विधान प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रमों और उनकी कार्यान्विति के सम्बन्ध में, हमें केवल संसद सदस्यों से ही नहीं राज्य विधान मंडलों, की जनता के प्रतिनिधियों से भी परामर्श करना पड़ेगा, क्योंकि उस कार्यक्रम को समूचे देश में कार्यान्वित करना है। मुझे आशा है कि संसद् द्वारा मानदण्ड के विधि द्वारा निर्धारित किये जाने पर इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सकेगा और यह कार्यान्विति हमारी आशा के कुछ कम ही समय में पूरी हो जायेगी।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मुझे अपने संशोधन को वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दशमिक प्रणाली पर आधारित तोल और नापों के मानदण्ड स्थापित करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४५ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें ३० सदस्य इस सभा के अर्थात, श्री र० द० मिश्र, श्री थानू पिल्ले, श्री भागवत झा आजाद, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन, श्री मुत्तुकृष्णन, श्री बोगावत, श्री चावदा, श्री मू० भू० वैश्य, श्री गणपति राम, श्री सुन्दर लाल, श्री अ० रा० सेवर, श्री सू० चं० सोधियां, श्री तेल कीकर, श्री भा० न० मालवीय, श्री बलवन्त सिंह महता, सरदार अकरपुरी, श्री बासप्पा, श्री ले० जो० सिंह, श्री अच्युतन, श्री क० कृ० दास, श्री कथम, श्री भवानी सिंह, श्री न० रा० मुनिस्वामी, श्री ब० ये० रेड्डी, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री म० शि० गुरुपादस्वामी, श्री रा० ना० सिंह, श्री नन्द लाल शर्मा, श्री कै० प० सिन्हा, और श्री कानूनगो, और १५ सदस्य राज्य सभा के हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति की समस्त सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को २० नवम्बर, १९५६ तक अपना प्रतिवेदन देगी,

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो कि अध्यक्ष करें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले राज्य सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल विधेयक

†**प्रतिरक्षा मंत्री (डा० काटजू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि भारत के नागरिकों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये एक राष्ट्रीय स्वंयसेवक बल गठित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य तो सभी को भली प्रकार विदित है और मुझे उसके सम्बन्ध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । सर्वाधिक संतोष की बात तो यह है कि यह विधेयक जिस संगठन का निर्माण करता और उसे चालू करना चाहता है, वह संगठन पिछले लगभग अठारह महीनों से कार्य भी कर रहा है और देश की जनता ने उसे काफी पसन्द भी किया है ।

जनता में प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करनें की भावना अत्यन्त ही बलवती है । यह एक वांछनीय भावना है और जनता को इसकी आवश्यकता है और यह प्रशिक्षण उसे मिलना भी चाहिये । अभी हमारे यहां कई संगठन हैं । कालिजों के विद्यार्थियों के लिये राष्ट्रीय सेना छात्र दल है । स्कूली बालकों के लिये सहायक सेना छात्र दल है। नागरिकों के लिये प्रादेशिक बल है । १९५३ में हमने उसकी कार्य-वाही को अधिक विस्तृत करना और सैनिक प्रशिक्षण दे कर जनता की इच्छा को पूरा करने के लिये कुछ ठोस कार्य करना ही अच्छा समझा था । इसलिये, पहले तो प्रादेशिक संगठन को कुछ अधिक विस्तृत किया गया था, लेकिन १९५४ में हमने सोचा कि एक अलग संगठन बनाना ही ठीक होगा और इसलिये मई, १९५५ से इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल ने, जिसे मैंने अपने संशोधन द्वारा अब लोक सहायक सेना का नाम देने का प्रस्ताव किया है, कार्य करना आरम्भ कर दिया था । अब प्रस्ताव यह है कि आरम्भ में प्रतिवर्ष एक लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये, जिसमें कि हम पांच वर्ष में पांच लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर सकें ।

जिस तरीके का सुझाव दिया गया है वह यह कि एक मास का कैम्प लगाया जाये । एक वर्ष में २०० कैम्प आयोजित किये जायेंगे और प्रत्येक में ५०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी और इस प्रकार संख्या एक लाख तक पहुंच जायेगी । अब तक गत १६ से १७ मास में हमनें २६१ कैम्प आयोजित किये हैं, यह बहुत लोक प्रिय सिद्ध हुए हैं । यह भारत के सभी भागों में यहां तक कि जम्मू तथा काश्मीर में लेह जैसे दूरस्थ स्थान पर भी आयोजित किये गये हैं । कैंम्पों की मांग बहुत अधिक है । यह सुझाव दिया गया है कि कैम्प सामुदायिक परियोजना केन्द्र में आयोजित किये जायें । हम सदा इस बात का ध्यान रखते हैं । यह सुझाव दिया गया है कि इसे विधेयक मे साम्मालित किया जाये । परन्तु मेरे विचार से ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि कैम्प का स्थान चुनते समय वहां की जनता में सहयोग और उसकी इच्छा वहां उपलब्ध सुविधाओं और अन्य बातों को देखा जाता है । मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जाये ।

†**श्री रघुबीर सहाय** (जिला एटा-उत्तर पूर्व व जिला बदायूं–पूर्व) : परन्तु आप उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में पहले ही कह चुके हैं कि आप यह कैम्प सामुदायिक परियोजनाओं के आसपास आयोजित करेंगे ।

†**डा० काटजू** : इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है परन्तु विधेयक में इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने वाला खंड रखना उपयोगी नहीं होगा ।

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तूत ।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० काटजू]

हम यह सैनिक प्रशिक्षण उन लोगों को देना चाहते हैं जो इसके योग्य हैं। इस विधेयक में और व्यवहारिक रूप से भी हमने आयु सीमा १८ और ४० के बीच रखी है। ऐसा करना बहुत उपयुक्त और लाभदायक होगा। यह सुझाव दिया गया है कि अब यह सीमा ५० तक बढ़ा दी जाये। सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है और कैम्प का जीवन सैनिक जीवन से बहुत मिलता जुलता होता है, यह केवल एक मास के लिये है। मेरा सुझाव है कि अधिक मांग को देखते हुए आयु सीमा ४० रखना ही ठीक होगा। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि छावनियों में जो रंगरूट आते हैं उनकी आयु १८ या १९ वर्ष की ही होती है। क्योंकि यह प्रारम्भिक प्रशिक्षण ही है इसलिये हमने यथा सम्भव आयु सीमा बढ़ा दी है और हमने इसे १८ और ४० के बीच रखा है। उन लोगों की संख्या जिन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है, काफी अधिक है अर्थात जहां १०० व्यक्तियों की आवश्यकता थी वहा १४० आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मेरा विचार है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा और यह देखा गया कि लोक सहायक सेना की अधिक मांग है तो इसको स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं होगी। माननीय सदस्यो नें विधेयक से संलग्न वित्तीय ज्ञापन में देखा होगा कि इस पर एक करोड़ रुपया खर्च होगा परन्तु उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि लोक सहायक सेना को जनता ने अधिक पसन्द किया तो लोक-सभा बड़ी प्रसन्नता से अधिक व्यय की स्वीकृति दे देगी।

हम विधेयक को अधिक विस्तृत नहीं बनाना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नियम बनाने पड़ेंगे। यह मांग की गयी है कि यह नियम जानकारी देने और मंत्रणा प्राप्त करने के लिये संसद के समक्ष रखे जायें। यह उचित मांग है और इसे पूरा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बात की सावधानी रखी जायेगी कि ज्यों ही नियम बनाये जायें १५ या ३० दिन के भीतर उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जाये परन्तु मैं सदस्यों की मंत्रणा से कार्य करना चाहता हूं। यदि उन नियमों में कोई कमी रह गयी हो तो उसे पूरा किया जा सकता है। परन्तु यह वांछनीय होगा कि कोई मामला अस्पष्ट न रहने दिया जाये। जब मैं अपने लिये एक सीमा निश्चित कर रहा हूं कि बनाये गये नियम ३० दिन के भीतर सभा-पटल पर रखे जायेगें तो इसी प्रकार यदि माननीय सदस्य कोई परिवर्तन अथवा रूपभेद रखना चाहते हों तो वह भी निश्चित समय के भीतर अर्थात ३० दिन में अथवा सत्र की समाप्ति तक उनकी सूचना दे दें। ताकि हमें वास्तविक स्थिति का पता रहे।

विधेयक का उद्देश्य सैनिक प्रशिक्षण देना है, जिसमें अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और देश भक्ति की भावना आदि जैसी कई बाते हैं। हम सैनिक प्रशिक्षण के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हमें सभी आवश्यक बातों के बारे में निर्णय कर लेना चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं यह ठीक नहीं समझता कि हर एक बात विस्तार पूर्वक की जाये और इस अवसर पर नैतिक सिद्धांत बनाये जायें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विधेयक के उद्देश्य, अर्थात सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था को पर्याप्त माना जाना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

कई साधारण बातें हैं परन्तु एक जरूरी बात भी है। यह योजना पूर्णतः एच्छिक आधार पर चलेगी किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा। यदि कोई चाहे तो अपना नाम लिखवा सकता है। कैम्प एक मास तक चलेगा। यदि संसद चाहें तो नियमों के अन्तर्गत इसकी अवधि छ सप्ताह की जा सकती है। परन्तु जितने भी समय तक कैम्प चलेगा तब तक सैनिक अनुशासन का पालन किया जायेगा और यदि कोई उस अनुशासन को भंग करेगा तो उसे मामूली दंड देने का भी उपबन्ध किया गया हैं। परन्तु कैम्प समाप्त हो जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। यदि किसी स्थान पर भूकम्प आता है अथवा १०० मील की दूरी पर बाढ़ आती है तो मैं उन्हें वहां जाकर कार्य करनें के लिये बाध्य नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि लोग स्वयं इस प्रकार की सेवा के लिये आगे बढ़ेंगे। अनिवार्यता तो इस योजना के सिद्धान्तों के बिल्कुल विरुद्ध है और किसी हालत में भी बाध्य नहीं किया जाना चाहियें।

एक और साधारण सी बात है कैम्प की अवधि ३० दिन है और कभी कभी अनुशासन भंग करने की घटनाओं का होना भी सम्भव है। इसकी संक्षिप्त सुनवाई हो सकती है। और हमने थोड़े से जुर्माने की व्यवस्था को है। किसी ने सुझाव दिया है कि जुर्माना ५० रुपये से घटाकर ३० रुपये कर दिया जाये, मेरा विचार है इसे बहुत कम नहीं किया जाना चाहिये। दंड सदा अधिक से अधिक निर्धारित किया जाता है। यदि जांच अधिकारी अनुभव करे कि अपराध मामूली हो तो वह उसे चेतावनी देकर अथवा सख्त सुस्त कह कर छोड़ सकता है। मैं जानता हूं कि न्यायालयों में कई अपराधों के लिये एक रुपया, ५ आने और १ आना तक जुर्माना होता है। परन्तु जिसे काफी बड़ा अपराध कहा जा सकता है उसके लिये ५० रुपये जुर्माना अधिक नहीं है।

मेरे एक माननीय मित्र ने यह सुझाव दिया कि जब जुर्माना किया जाये तो वह अवश्य अदा किया जाना चाहिये परन्तु यह सिद्धान्त के अनुकूल है। जुर्माना अदा न करने पर कारावास दंड देने का अभिप्राय जुर्माने की वसूली नहीं है, बल्कि आदेश को पालन कराने का एक तरीका है। तभी तो यह कहा गया है कि यदि आप जुर्माना नहीं देते तो आप को एक सप्ताह तक बन्दी रखा जा सकता है।

विधेयक में यही महत्वपूर्ण बातें हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में कहा जाये। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिफारिश करता हूं कि लोक-सभा इस विधेयक पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

†**श्री उ० च० पटनायक** (घुमसूर) : अपने संशोधन संख्या १९ से २२ और २४ से २६ को प्रस्तुत करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि मैं विधेयक के महत्व को घटाना नहीं चाहता हूं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह लोक-सभा में प्रस्तुत किये गये अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक है। इस विधेयक से राष्ट्र निर्माण और अंग्रेजी शासन के समय से चली आ रही कमियों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। अंग्रेजी शासन काल में हमें जान बूझ कर सैनिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था कि कहीं १८५७ के भारत स्वतंत्रता युद्ध की पुनरावृत्ति न हो जाये।

इस से हमारे युवकों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा होगा और वे अनुशासन में रहना सीखेंगे। अंग्रेजों के समय में इसका सर्वथा अभाव था और स्वतंत्र होने के पश्चात भी हमने इस विषय में विशेष कार्य नहीं किया।

सन् १९४८-४९ में उस समय के प्रतिरक्षा मंत्री नें १,२०,००० व्यक्तियों की एक प्रादेशिक सेना बनानें की घोषणा की थी। परन्तु १९५२–५३ तक इसका पांचवां भाग तक भी तयार नहीं हो पाया था और वे कुछ हजार व्यक्ति देश की प्रतिरक्षा अथवा राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिये अपर्याप्त थे।

सन् १९५३ में, जब कि प्रधान मंत्री प्रतिरक्षा संगठन के प्रभारी थे, सहायक प्रादेशिक सेना और सहायक छात्र सेना योजनाएं आरम्भ की गयी थीं। यह योजनाएं संसद् सदस्यों के समक्ष रखी गयी थीं और उनकी सम्मति ज्ञात की गयी थी।

प्रतिरक्षा अध्ययन वर्ग ने दस पृष्ठ के एक ज्ञापन में सहायक प्रादेशिक सेना के पुनर्गठन के लिये कई सुझाव दिये थे और उसमें से कई स्वीकार भी किये गये थे।

एक बार फिर जब कि प्रतिरक्षा विभाग प्रधान मंत्री के अधीन था, तो १५,००० व्यक्तियों की सहायक प्रादेशिक सेना बनाने की योजना को छोड़ कर एक बड़ी योजना आरम्भ की गयी जिसमें अगले पांच वष में पांच लाख व्यक्तियों की एक सेना तैयार की जानी थी। प्रधान मंत्री यह चाहते थे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० च० पटनायक]

कि इसका मूल उद्देश्य युद्ध करना नहीं बल्कि देश में रचनात्मक कार्य करना होना चाहिये और वह पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक परियोजनाओं और विकास खंडों के साथ इसका समन्वय करना चाहते थे ।

हम यह अनुभव करते हैं कि हमारी आशा के अनुसार कार्य नहीं हुआ है । जब प्रधान मंत्री ने पांच वर्ष में पांच लाख व्यक्ति भर्ती करनें का सुझाव दिया तो उनका आशय हमारे विभिन्न राष्ट्र निर्माण कामों के लिये सक्षम और वास्तव में प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना था। परन्तु इस विधेयक के खंडों में इस संगठन को राष्ट्रीय विकास आन्दोलन से मिलने का कोई उपबन्ध नहीं है । हम अनुभव करते हैं कि न तो यह विधेयक और न ही वह संगठन जो गत वर्ष मई से चल रहा है, जनता को प्रोत्साहन दे सका है ।

यह ठीक है कि १४५ प्रतिशत लोगों ने इच्छा प्रकट की है परन्तु कई लोगों के लिये वह १५ रुपये के जेब खर्च का भी प्रलोभन था जो कि कैम्प की समाप्ति पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को मिलते हैं । एक लाख लोगों की आवश्यकता थी और ४५ प्रतिशत अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

इस संगठन से लोगों के दिलों में कोई उत्साह पैदा नहीं हुआ है। हम स्काउट दल, हिन्दुस्तान सेवा दल और श्री ज० कृ० भोंसले की राष्ट्रीय अनुशासन योजना को देखा है उनमें बडा उत्साह है और उनमें नेतृत्व करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, परन्तु इस कैम्प में ५०० व्यक्ति होते हैं और उनमें से एक भी नेतृत्व करने योग्य नहीं होता है । मेरा तो यही अनुभव है, । मैंने कई कैम्पों में जा कर देखा है । वे साधारण ड्रिल करते हैं, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता और निरक्षरता विरोधी कार्य सिखाया जाता है परन्तु हम चाहते हैं कि उन्हें और काम भी सिखाये जायें ।

इसमें लोगों में उत्साह पैदा करने की सामर्थ्य होनी चाहिये । इसे लोगों में नेतृत्व के गुण पैदा करनें का प्रयत्न करना चाहिये परन्तु होता यह है कि एक लाख व्यक्ति प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण पाते हैं और वे अपने गांवों को लौट जाते हैं और बाद में उन्हें संगठित नहीं किया जाता है । कई कैम्पों में मैंने देखा कि प्रशिक्षण पा चुके व्यक्तियों की वह सूचियां ही उपलब्ध नहीं थीं जो कि जिला पदाधिकारी को भेजी जानी थीं ।

प्रशिक्षण में भी विकास कार्य के साथ समन्वय किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है । सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने कहा है कि वे महीने में सोलह घंटे सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे जिस के बाद में उन्हें सामुदायिक परियोजनाओं में लगाया जा सकें परन्तु उन्हें यह लाभ भी प्राप्त न हो सका ।

हमें यह देखना है कि यह संगठन इस प्रकार चलाया जाये कि अवधि की समाप्ति पर कम से कम उन लोगों को जिन्होंने कि राष्ट्रीय सेवा करने का व्रत लिया है विकास कार्यों तथा आपात कार्यों में लगाया जाये । इन बातों की कमी है ।

सैनिकों की शिकायत है कि एक महीने की प्रशिक्षण अवधि अपर्याप्त है । विदेशों में प्रादेशिक सेना का प्रशिक्षण १४ से २१ दिन तक का होता है । मैं मानता हूं कि यहां प्रादेशिक सेना में भरती होने वाले का मानसिक स्तर विदेशों के समान उतना उच्च नहीं होता है । इसके अतिरिक्त यहां के प्रशिक्षकों का स्तर भी विदेशों के प्रशिक्षकों से कम होता है । लोक सहायक सेना के प्रशिक्षण के लिये प्रतिरक्षा कर्मचारी ३०दिन अपर्याप्त समझते हैं तो मेरा सुझाव है कि ७ दिन और बढ़ा दिये जाये और समुदायिक परियोजना प्रशासन को १६ घंटे के अधिक प्रशिक्षण का व्यय उठाने को कहा जाये क्योंकि इतना अधिक व्यय होने और प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात जब वे लोग गांवों में जाते हैं तो उनसे काम लेने का कोई कार्यक्रम नहीं होता है । केवल उनसे राष्ट्रीय सेना की प्रतिज्ञा लेने से काम नहीं चलेगा ।

एक ओर तो ऐसी राष्ट्रीय सेवा के लिये प्रशिक्षण दिया जाना चहिये दूसरी ओर विभिन्न परियोजनाओं में उनकी सेवाओं का उपयोग करने की योजना होनी चाहिये। केवल दिल्ली में होने वाली परेडों में सरकारी खर्च पर आने के अतिरिक्त और भी दूसरे विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहियें ।

एक शिविर की समाप्ति पर मैंने ग्राम समूहों के सर्वोत्तम और दूसरे नम्बर के छात्र सैनिकों को चुनने के लिये कहा । तदुपरांत सामुदायिक परियोजना प्रशासन ने अपने सात दिन के शिविर में उनको अधिक प्रशिक्षण दिया । मैं माननीय मंत्रियों और इस संगठन के प्रभारी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को राष्ट्रव्यापी स्तर पर किया जाना चाहिये ताकि एक योजना के अनुसार समचे राष्ट्र का पुनर्गठन किया जा सके । इस से राष्ट्र में जोश पैदा किया जा सकता है और राष्ट्र निर्माण के कार्यों की ओर लोगों की शक्तियों को प्रवृत्त किया जा सकता है ।

अत: मैं मंत्री से अपील करूंगा कि तीन वर्ष के प्रयोग के बाद इस विधान को लाने के बजाय उन्हें इस विधेयक को ऐसा बनाना चाहिये कि जो सबको पसन्द आये और देश में उत्साह पैदा करे । इस प्रकार इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह (जिला गढ़वाल पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर उत्तर) : मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आप ने मुझे समय दिया ।

मेरे भाई सोचेंगे कि इस बिल पर स्त्रियों के बोलने का क्या काम है । लेकिन मैं श्रीमान जी से पूछती हूं कि क्या स्त्रियां भारत की नागरिक नहीं हैं ? क्या उनके इसमें भाग लेने में कोई हर्ज है, या उनके सम्बन्ध में कोई शंका है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सवाल तो हुआ ही नहीं, किसी ने शक तो किया नहीं, आप जवाब क्यों देने लगीं ?

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह: इस विधेयक में स्त्रियों का कहीं नाम नहीं है । उन का नाम न होने के कारण मैं सोचती हूं कि क्या उन के बारे में सोचा ही नहीं जाता ? क्या वह इस देश की नागरिक नहीं हैं ? मैं जानना चाहती हूं कि उन को उस में दाखिल किया जायेगा या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप देखिये, आप को सबसे पहले बुलाया गया, आप कैसे कह सकती हैं कि स्त्रियों को नहीं पूछा जाता ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : पहले नहीं दूसरे नम्बर पर ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री उ० च० पटनायक का ही अपवाद है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : इसलिये श्रीमान जी, मेरा निवेदन है कि जो वालैंटियर फोर्स (स्वंयसेवी बल) स्त्रियों की बनायी जाये, उसमें, जिस तरह से पुरुषों के लिये लिखा गया है कि उनकी आयु १८ से ४० वर्ष तक होगी और वह ४५ तक भी हो सकती है, उस तरह स्त्रियों के लिये १४ से ३० तक की आयु रक्खी जानी चाहिये । स्त्रियों का इसमें भाग लेना आवश्यक है क्योंकि इस तरह से वे भी डिसिप्लिन (अनुशासन) सीखेंगी और हर तरह से मजबूत हो कर अपना बचाव कर सकेंगी । स्त्रियों में देश प्रेम भी पुरुषों से अधिक है यह मैं दावे के साथ कह सकती हूं।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्निया व संथाल परगना) : आप यह कह सकती हैं कि उनमें पुरुषों के बराबर ही देशप्रेम है, यह नहीं कह सकतीं कि पुरुषों से अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : मेरा यह मतलब नहीं है कि पुरुषों में देशप्रेम कम है, लेकिन वे लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, स्त्रियां दिखावा कम करती हैं वे ठोस कार्य करती हैं। जो ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) होगी उस के विषय में भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। कहीं तो यह होगा कि एक साल तो ट्रेनिंग होगी, बाकी साल वह ढीले पड़ जायेंगे। आगे ट्रेनिंग न होने की वजह से मैं समझती हूं कि जो सिखाया जायेगा या जो खर्च किया जायेगा वह सब मिट्टी में मिल जायेगा। इसलिये साल में कम से कम एक महीना या दो महीने ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिये। मैं चाहती हूं कि इस चीज को आप को करना ही चाहिये ताकि जो कुछ वे लोग सीखेंगे वह भूलें नहीं।

मैंने केवल आप से दो मिनट मांगे थे, इसलिये मैं समाप्त करती हूं, और जो कुछ कहना होगा मेरे दूसरे भाई कहेंगे।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्तशासी जिले-रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का स्वागत करती हूं। हम सब चाहते हैं कि राष्ट्र अनुशासित और स्वावलम्बित होना चाहिये और इसके लिये सैनिक प्रशिक्षण आवश्यक है। यह विधेयक सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक से अधिक लोक प्रिय होगा, क्योंकि उसमें तो सरकारी कर्मचारियों आदि कुछ श्रेणियों के लोगों को अनिवार्य रूप से भर्ती करने का उपबन्ध था, परन्तु इस विधेयक में अधिक से अधिक नागरिकों को प्रारम्भिक सैनिक प्रशिक्षण देने का विचार है ताकि अनिवार्य बिना ही उनमें अनुशासन की भावना उत्पन्न की जा सके। यह पांच लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना है और समीपवर्ती क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। क्योंकि यह जनता में अनुशासन और स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करने का एक अच्छा साधन है अतः मैं इसका स्वागत करती हूं।

मुझे इसके बारे में एक शिकायत है कि स्त्रियों को इस योजना के लाभ से क्यों वंचित रखा गया है। भारत की नारियां देश निर्माण के कार्य में खूब हाथ बटा रही हैं और आन्ध्र में तो आठ महिलायें पंचायतों की मूखिया चुनी गयी हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि १८ और ४० वर्ष के बीच की आयु के शारीरिक रूप से स्वस्थ्य पुरुष ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही सेना में भर्ती हो सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वास्तविक खंडों में स्त्रियों को वंचित नहीं रखा गया है। माननीय मंत्री का इसके बारे में क्या उत्तर है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : जब कि यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि जो स्त्रियां कर सकती हैं वह पुरुषों के लिये करना सम्भव नहीं है, इस मामले में .....

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं। पिछले अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा यह विनिर्णय दिया गया था कि सभा में स्त्रियों के स्वभाव और विशेष गुणों के बारे में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं भी यही कह रहा हूं कि इसका सीधा उत्तर दिया जाना चाहिये।

†**श्री त्यागी** : यह विधेयक केवल पुरुषों को प्रशिक्षण देने के लिये है।

†**श्रीमती खोंगमेन**: विदेशों में और हमारे देश में भी स्त्रियों का सैनिक संगठनों से सम्बन्ध रहा है। राष्ट्रीय छात्र सेना में भी स्त्रियों का विभाग है। इस योजना में स्त्रियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक का उद्देश्य प्रतिरक्षा नहीं बल्कि अनुशासन और आत्म विश्वास की भावना पैदा करना है। स्त्रियों को भी उतनी आवश्यकाता है जितनी कि पुरुषों को। स्त्रियां युद्धों में भाग लेती रहीं हैं और बड़ी कुशलता पूर्वक सैन्य संचालन करती रही हैं और नेताजी ने झांसी की रानी नाम की सेना तैयार की थी, जिसने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य करके दिखाया था यह अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं है, प्रारम्भिक सैनिक प्राशिक्षण है और अनुशासन तथा लोगों में आत्म विश्वास पैदा करने की योजना है। इसलिये इस से स्त्रियों को कदापि वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में २० नवम्बर, १९५४ को दिये गये रेडियो का भाषण याद करेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि श्री पटनायक और श्रीमती खोंगमेन का अपवाद माना जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : देश में बड़े पैमाने पर सैनिक प्रशिक्षण की बड़ी आवश्यकता है और मांग भी है। प्रायः सभी राज्य सरकारें इसके पक्ष में हैं। सीमान्त घटनाओं को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि यदि आक्रमण हो तो हम उसका सामना करने को तत्पर रहें।

इस अणु युग में युद्धों का स्वरूप भी बदल गया है। प्रतिरक्षा की दूसरी पंक्ति किस प्रकार संगठित करते हैं इस पर बहुत कुछ अवलम्बित है। हमारे देश के नवयुवकों में अनुशासनहीनता बहुत बढ़ती जा रही है, जिसे हमें दबाना होगा। इस विधेयक का उद्देश्य अनुशासन और आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करना है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख व्यक्तियों को प्रति वर्ष प्रशिक्षण देने और इसे राष्ट्रीय विस्तार सेवा और दूसरे कार्यक्रमों के साथ समन्वयित करने का विचार है। मैं अनुभव करता हूं कि यह देश की समूची आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेगा और जनसाधारण में यह यथोचित उत्साह पैदा करने सें असफल रहेगा। हमें ऐसा उपबन्ध करना चाहिये कि स्कूलों और कालिज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाये। इस विधेयक के लक्ष्यों का विस्तार किया जाना चाहिये। तब इसके दो लाभ होंगे, एक तो देश आपत्तिकाल के लिये तैयार हो जायेगा और दूसरे जो विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता बढ़ रही है वह समाप्त हो जायेगी।

मैं श्रीमती खोंगमेन के कथन का समर्थन करता हू कि स्त्रियों को भी सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, क्यों कि घर का अनुशासन अति अनिवार्य है। मैं प्रार्थना करूंगा कि स्त्रियों को भी इसमें स्थान दिया जाये और इस विधेयक का लक्ष्य एक लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना होना चाहिये।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सुझाव देता हूं कि इसके द्वारा जो प्राधिकार दिया गया है उसके प्रयोग में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय को आश्वासन देना चाहिये कि किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की अनिवार्यता नहीं होंगी और सेवा बिल्कुल स्वेच्छापूर्वक होगी। शिविर में रहते हुए प्रशिक्षण काल में काम करने की अनिवार्यता तो ठीक है, परन्तु तत्पश्चात अनिवार्यता नहीं होनी चाहिऐ। प्रतिज्ञा के बारे में क्या है?

†**डा० काटजू** : प्रतिज्ञा शिविर से जानें के बाद ली जायेगी और सर्वथा स्वैक्षिक होगी।

†**श्री कामत** : राष्ट्रीय सेवा करने के लिये युवकों और युवतियों को प्रोत्साहित करना इस विधेयक का उद्देश्य है, परन्तु इस विषय में अनिवार्य रूप से प्रतिज्ञा करना ठीक नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कामत]

खंड ८ में सदाचार के लिये दंड की व्यवस्था है, परन्तु अपील की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं समझता हूं कि अपील के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये।

शिविरों में प्रशिक्षण देनें के लिये भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को रखा जाये। इससे उन लोगों की बेकारी की समस्या कुछ हल हो जायेगी, क्योंकि उन लोगों में बहुत बेकारी फैली है और उन्होंने देश के लिये बड़ा त्याग किया है।

माननीय मित्रों नें जनरल भोंसले की राष्ट्रीय अनुशासन योजना का सहानुभूति पूर्वक उल्लेख किया है। कई राज्यों में यह योजना बड़ी अच्छी तरह चल रही है। अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस योजना पर विचार किया जाये और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल योजना का रूप दिया जाये इसके लिये पृथक विधेयक प्रस्तुत किया जाये।

पहले इसका नाम सहायक प्रादेशिक सेना था और जब हिन्दी में इसे लोक सहायक सेना कहा जाता है। इसका शुद्ध अनुवाद है "राष्ट्रीय स्वंय सेवक सेना"। शायद उससे कुछ और अर्थ निकलता अतः यह नाम स्वीकार नहीं किया गया है।

यह विधेयक गत नवम्बर में रखा गया था और उसके बाद सभा की मंजूरी के बिना कुछ व्यय हो गया है। इस प्रकार सभा की मंजूरी के बिना खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जो ठीक नहीं है। अतः यह विधेयक गत नवम्बर में ही पारित कर दिया जाना चाहिये था।

इन लोगों को सत्तारूढ दल के लिये काम करने के लिये कहना ठीक नहीं है। अतः मैं आशा करता हूं कि इनका चुनाव जैसे कार्यों के लिये उपयोगी नहीं किया जायेगा।

†**श्री ले० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): सर्व प्रथम मेरा निवेदन है कि आयु के संबंध में ४० वर्ष के स्थान पर ४५ वर्ष का उपबन्ध किया जाना चाहिये। संसद सदस्यों के लिये जो योजना बनायी गयी थी वह इसी कारण नहीं चली क्यों कि पर्याप्त संख्या सें ४० वर्ष तक की आयु के सदस्य नहीं थे। मैं स्वयंसेवक बनना चाहता हूं परन्तु आयु अधिक होने के कारण नहीं बन सकता, अतः यह परिवर्तन अवश्य किया जाना चाहिये।

मैं श्रीमती खोंगमेन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, क्योंकि युद्ध में बच्चों को गोदी में लेकर स्त्रियां लड़ नहीं सकती हैं।

प्रशिक्षण काल में उन लोगों को जो खर्च बर्दास्त नहीं कर सकते, कुछ वेतन भत्ता मिलना चाहिये। योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है।

ये प्रशिक्षण शिविर सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में खोले जाने चाहियें, ताकि राष्ट्र निर्माण कार्य की वृद्धि में सहायक हो सके।

इस में अनिवार्यता नहीं है, बल्कि यह एक एच्छिक संस्था है और शान्तिपूर्ण विदेश नीति के अनुसार है, अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** (डिंडीगल): मुझे इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने पर बड़ी प्रसन्नता है। यह एक महत्वपूर्ण विधान है। इसके उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में इस योजना का उद्देश्य देश वासियों में अनुशासन और देश सेवा की भावना पैदा करने के लिये उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना बताया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब भारत की नारियां देश सेवा में हाथ बटा रही हैं और उनमें अनुशासन की भावना पैदा करना आवश्यक है। इसलिये मेरी समझ में यह नहीं आया कि नारियों को क्यों इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ? जैसा कि श्रीमती खोंगमेन नें कहा है, नारियों को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल जैसी योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिये ।

एक प्रशिक्षण शिविर में ५०० की संख्या बहुत अधिक हो जायेगी । यह तो सही है कि प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना चाहिये, लेकिन प्रत्येक शिविर में ३०० व्यक्तियों को लेना ही उचित होगा । प्रशिक्षण केवल एक ही माह का तो होगा । पता नहीं अधिक शिविर कायम करने में कितना और अधिक खर्च बैठ जायेगा । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह कैम्प केवल सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में ही नहीं खोले जायेंगे । इसके सम्बन्ध में कोई कठोर नियम नहीं होना चाहिये । सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के अतिरिक्त अन्य स्थानों को इस प्रकार की योजनाओं से लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिये ।

एक मास के प्रशिक्षण के बाद क्या प्रशिक्षणार्थियों का कोई रिकार्ड रखा जाता है, और यदि रखा जाता है तो उसे कौन रखता है ।

†**श्री त्यागी** : रिकार्ड रखा जाता है ।

†**श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन** : संभव है कि इनमें से कुछ प्रादेशिक सेना में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहें, इस के लिये इन्हें नवागुन्तकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

हमारे नवयुवकों को अनुशासन और नागरिक भावना का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये । एक मात्र इसी उद्देश्य से ही यह योजना बहुत आवश्यक है । परन्तु इसमें जो शब्द "सैनिक" प्रयुक्त किया गया है वह ठीक नहीं है । इसका आशय यह है कि उन्हें शस्त्रास्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा परन्तु इसके लिये तो हमारे पास अन्य संस्थायें हैं । अतः नवयुवकों को अनुशासन पालन, नागरिकता और नागरिक भावना का प्रशिक्षण दिये जाने पर अधिक बल दिया जाये ।

मुझे आशा है कि माननीय प्रतिरक्षा मंत्री देश में छोटे कैम्प खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे और मुझे यह भी आशा है कि इस शिक्षण को प्राप्त करके हमारे नवयुवक भी बहुत प्रसन्न होंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्री त्यागी ने कहा कि रिकार्ड रखे जाते हैं । यह रिकार्ड किस प्रकार के हैं और किस उद्देश्य से रखे जाते हैं । समूचा प्रशिक्षण तीस दिनों में समाप्त हो जाता है और फिर बाद में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

†**श्री त्यागी**: सूचियां बनायी जाती हैं और रजिस्टर जहां कैम्पों का आयोजन किया जाता है वहाँ के जिलाधीश के पास रहते हैं । राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है और उन्होंने उनकी आवश्यकता पड़नें पर उन्हें बुलाना स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार की कार्यवाहियां सदा राज्य सरकार द्वारा ही की जाती हैं और इसी लिये रिकार्ड भी उन्हीं के द्वारा रखे जाते हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब के मौजूदा बिल और जो उसके मुकासिद उन्होंने दिये हुए हैं उनको खुश आमदीद करते हुए दो चार बातें इस हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं ।

जहां तक इस नैशनल वालंटियर फोर्स के देश में कायम किये जाने का ताल्लुक है इसके बारे में मुझे यह कहना है कि इसकी जरूरत हम सब यूं महसूस कर रहे हैं क्योंकि जहां आज़ाद हिन्दुस्तान में बाकी कामों की तरफ हमने तवज्जो की वहां इस शोबे की तरफ हम पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सके । इस चीज़ की जरूरत काफी अर्से से महसूस की जा रही थी कि हमारे स्कूल कालिजों के नौजवानों और देहाती भाइयों को डिसिपलिन सिखाया जाय और उसके लिये कोई तरीका निकाला जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[ठाकुर लक्ष्मणसिंह चाड़क]

यह बड़ी खुशी का मुकाम है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिये हमारी गवर्नमेंट ने यह मौजूदा बिल हाउस की मन्जूरी के लिये पेश किया है और क्या ही अच्छा होता अगर यह बिल आज से दो चार वर्ष पहले आता। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई है कि इतने जोशोखरोश के साथ इस हाउस ने इस बिल को रिसीव किया है। और हमें सबको इस बात की बड़ी खुशी है कि बहुत जल्दी ही यह कानून की सूरत अख्तियार कर लेगा। जिस जोशोखरोश के साथ इस बिल का यहां पर खैर मुक्कदम किया जा रहा है उस जोशोखरोश के साथ मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स इस काम को अपने हाथ में लेकर चलाये तो हमें बहुत खुशी होगी। आज की तकरीरों में एक दो साहबान ने और खास तौर पर मेरे दोस्त कामत साहिब ने जो एक लफ्ज पर एतराज किया है कि इसमें "शैल" का लफ्ज होगा मैं जनाब के जरिये हाउस के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी को खा वह शहर का हो या देहात का स्कूल का लड़का हो या कालिज का डिसिपलिन का ए० बी० सी० सिखाना हो तो सबसे पहली जरूरी चीज़ यह है कि वह हुक्म मानना सीखे। अगर वह हुक्म मानने के लफ्ज से घबराता है तो मैं नहीं समझ सकता कि डिसिपलिन का कोई भी आर्गेनाईजेशन खा वह फौज का हो या स्कूल का ही कोई डिसिपलिन की स्कीम हो उससे फायदा मुल्क के आम लोगों को पहुंच सकता है। औरतों की तरफ से मांग की गयी है कि उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाये यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूं कि अभी यह हमारा नया तजरबा है इसलिये अगर हमारी बहनें चार पांच साल के लिये इंतजार कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। आज नेशनल केडेट कोर बहुत अच्छा काम कर रहा है। ए० सी० सी० भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। यह मैदान बहुत वसीह है। इसमें काम करने का यह नया तजरबा है। पता नहीं इसमें हम कामयाब होंगे या नाकामयाब।

दूसरी बात चंद साथियों ने यह कही कि इसमें लफ्ज "मिलिट्री" रखा गया है। हमारे पास पक्की फौज आक्ज़िलरी फोर्स बहुत है भला हमारे लिये और ज्यादा मिलिट्री की क्या जरूरत है। इस बारे में मैं हाउस के सामने मुअदबाना तरीके से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान की आबादी के लिहाज से देखा जाये तो हिन्दुस्तान के पास काफी फौज नहीं है। हमारा बार्डर लद्दाख से समुद्र तक फैला हुआ है। अगर इसको पूरी तरह से देखना है तो हमारे पास इतनी फौज नहीं है कि हम इसकी हिफाजत कर सकें और न हमारी माली हालत इतनी अच्छी है कि हम बहुत बड़ी फौज रख सकें। ऐसी हालत में हमारे वास्ते रास्ता ही क्या है सिवाय इसके कि हमारे पास फर्स्ट लाइन आफ डिफेन्स हो, सैकेन्ड लाइन आफ डिफेन्स हो, और थर्ड लाइन आफ डिफेन्स हो। थर्ड लाइन आफ डिफेन्स एक अच्छी फोर्स हो सकती है कि वह साहबान जो खुशी से मुसीबत के वक्त अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देना चाहते हैं उनको ले लिया जाये। इस लिये मैं समझता हूं कि यह जो ट्रेनिंग रखी गयी है वह ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग तो नहीं होगी लेकिन इनको फौजी फन्डामेन्टल अच्छी तरह समझ जायेंगे।

लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी होगा कि इस किस्म का कोई रिकार्ड रखा जाये कि कौन आदमी ट्रेनिंग पा चुका है और अगर हर साल उन्हीं आदमियों में से चन्द आदमी बुलाये जायें और वे बार बार ट्रेनिंग लेते रहें तो आपको यह फायदा होगा कि आपको उनमें से ही इन्स्ट्रक्टर्स मिल जायेंगे साथ ही जब वो देहातों को वापिस जायेंगे तो किसी कदर व लोक अपनी लीडरशिप को कायम रख सकेंगे महज डिसिपलिन ही सिखा दिया जाये यह काफी नहीं है जब तक आप यह कोशिश न करें कि उन्हीं नौजवानों में से लीडर पैदा किये जायें जो देहातों में जा कर लोगों को आरगेनाईज करें और वह लोग कैम्पों में जो स्कीमें हैं उनको जारी रखें।

मैंने एक और बात सुनी है कि फौज की तरफ जो इन्स्ट्रक्टर जाते हैं वह सिवाय चन्द एक इलाकों के बहुत इलाकों की जबान नहीं जानते हैं इसलिये बड़ी दिक्कत पेश आती है। इस सिलसिले में मेरी अर्ज यह है कि जो आई० एन० ए० के लोग काम के काबिल हों जो इस काम में दिलचस्पी रखते हों जिनको इस काम का थोड़ा बहुत तजुरबा हो उनको रख लिया जाये नहीं तो पुराने फौजी जो इस इलाके की जबान जानते हों उनसे यह काम लिया जाये। यह जरूरी नहीं है कि रेगुलर फोर्स

में से आदमी को भेजा जाये ट्रेनिंग देने के लिये। अगर मद्रास में काम शुरू करना है तो वहां मद्रास की जबान जानने वाले आदमी भेजे जायें जो कि देहातों में जाकर वहां के अदमियों को ट्रेनिंग दे सकें। इस तरह से काम किया जायेगा तो हमारा काम ज्यादा कामयाब होगा।

इसके अलावा चन्द एक बातें और अर्ज करना चाहता हूं जहां हम इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां हमको दो चार बातें और याद रखनी चाहिय। एक तरफ तो आपका रिहैब्लीटेशन का महकमा है जनरल भोंसले के मातहत भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां पर लडकियां और लड़के दोनों ही ट्रेनिंग पाते हैं हम में बहुत से साथियों को मौका मिला हमने जा कर देखा आई० एन० ए० के सिपाहियों ने वहां पर सही मानों में बच्चों में एक जान भर दी है। कोई भी इस स्कीम को जा कर देख सकता है वह यह बात जरूर समझ जायेगा कि वहां के लोगों में एक स्पिरिट पैदा हो गयी है। यह स्पिरिट ही एक ऐसी चीज है जिस से सारी दुनिया का काम चलता है। कुछ अरसा हुआ इस हाउस में एक घंटे का डिस्कशन इसी बात पर हुआ था। उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था कि कोई ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि किसी तरह से जनरल भोंसले और आई० एन० ए० के पुराने फौजी हैं उनमें जो काबलियत जोश और वलवले हैं उनको कोआरडिनेट करके डिफेन्स फोर्स के लिये उनसे फायदा उठाया जाये। साथ ही हिन्दुस्तान स्काउटस आरगिनिजेशन और भारत सेवक समाज वाले भी इस तरह के काम कर रहे हैं। हमेशा से हिन्दुस्तान में जिस्मानी ताकत फौजी ताकत, और काबलियत की कमी नहीं रही है लेकिन कमजोरी जो अक्सर देखन में आई है वह यह रही है कि मुल्क में कोआर-डिनेशन कम रहा है। अपनी अपनी कोशिश हर एक इन्सान करता है सब अपनी अपनी डफली अलग अलग बजाते हैं कि हमारा नाम हो। अगर हम सब मिल कर यह कोशिश करें कि हिन्दुस्तान का नाम हो और हिन्दुस्तान की जितनी ताकतें हैं उन सबको इकट्ठा किया जाये ताकि किसी एमरजेन्सी में खुदा-न-खास्ता कोई आफत हिन्दुस्तान पर आ जाये उस वक्त बहुत बड़ी फौज इकट्ठी हो जाये तो हमें बड़ी कामयाबी मिल सकती है।

मैं समझता हूं कि डिफेन्स मिनिस्ट्री मे डिफेन्स कैडेट कोर ने और ए० सी० सी० ने बहुत बड़ा काम किया है। डिफेन्स मिनिस्ट्री ही एक ऐसा अदारा है जो इन सब चीजों को अच्छी तरह से को-आर्डिनेट कर सकती है। अब सवाल यह रह जाता है कि यह किस तरह से हो तो इसके लिये यह गवर्नमेंट और यह कैबिनिट फैसला कर सकती है कि किस तरह से इस प्रोग्राम को कोआरडिनेट किया जाये। लेकिन मैं यह जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि अलग अलग रुपया खर्च करना और स्कीम बनाना मुल्क के लिये अच्छा नहीं होगा इसके लिये एक कोआरडिनेटेड स्कीम बनाना ज्यादा बैहतर होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं डिफेन्स मिनिस्टर (प्रतिरक्षा मंत्री) डा० काटजू को मुबारक-बाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा बिल हाउस के अन्दर पेश किया जिसका चारों तरफ से सब लोग सपोर्ट (समर्थन) कर रहे हैं और लोगों के अन्दर इस को देख कर बड़ी खुशी है। इंडेपेंडेंस (स्वतंत्रता) के बाद हमको आज एक ऐसे बिल को पेश करने का मौका मिला है जिस पर किसी का कोई एख्तलाफ नहीं है। पहले भी बिल आये हैं इस हाउस के अन्दर, लेकिन उनके अन्दर ऐसी चीजें थीं, जैसे आग्जिलरी फोर्स बिल वगैरह के अन्दर, जो आम लोगों के वास्ते पूरी तरह से काबिल कबूल नहीं थी। यह ऐसा बिल आया है जिसकी सबसे बड़ी मेरिट (गुण) यह है कि हिन्दुस्तान के सब सिटिजेन्स (नागरिकों) के वास्ते है, यह सब बिरादरियों को एक करता है, ख्वाह वह अपने को मिलिटरी रेसेज (सैनिक जातियां) कहती हों या नानमिलिट्री रेसेज, उन सब को एक जगह मिलिट्री ट्रेनिंग देना, उन में एक स्पिरिट डी कोर (संगठन की भावना) पैदा करना, यह चीज दूर करना कि फलां इस कौम का है और फलां दूसरी कौम का, बाई इटसेल्फ एक ऐसी चीज है जो डा० काटजू को मुबारक बाद देने के लिये काफी है। जो चीज हम आर्मी में देखते हैं, जिसकी हम रोज तारीफ करते हैं उसको उन्होंने सिविल के अन्दर लाकर रखा है।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

इसके अलावा यह कहना कि यह बिल सिर्फ पांच वर्ष तक काम करेगा, उस के लिये मैं कह सकता हूं कि मैं इसको इस बिल के अन्दर कहीं नहीं पाता हूं। मुझे तो यह नजर आता है कि यह पहला इन्सटालमेंट (किश्त) है अपनी किस्म का, और आगे चल कर मोमेंटम बढ़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि १८ से ले कर ४० वर्ष के मर्द और औरत इसमें शामिल हैं। इसके यह माने हैं कि हजार के पीछे सिर्फ एक आदमी इसमें शामिल है जो तादाद कि इस देश के लिये बहुत ही कम है, मेरी तो यह नियत थी, मैं यह चाहता था कि इस देश में कांस्क्रिप्शन (जबरदस्ती भर्ती) हो, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इस देश में कांस्क्रिप्शन फिलहाल होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह जरूरी है कि इस तरह कदम बढ़ाया जाये। मैं जब स्विटजरलेंड गया तो मुझे पता लगा कि २४ घंटे की नोटिस पर औरतों और मर्दों की पांच लाख फौज मुल्क को बचाने के लिये वहां पर मौजूद हर वक्त तैयार रहती है, उनके पास कोई रेगुलर फोर्स (नियमित बल) नहीं है। मैं चाहता हूं हालांकि हमने नानवायलेंस (अहिंसा) को अपनाया है, और हम रोज उसकी बात करते हैं, अपनें देश को बचाने के वास्ते कुछ ऐसा इन्तजाम हो कि २४ घंटों की नोटिस पर ५ लाख क्या, कम से कम एक करोड़ आदमी डिफेन्स मिनिस्ट्री (प्रतिरक्षा मंत्रालय) के हुक्म पर आकर मौजूद हो जायं। आइन्दा आने वाले जमाने में मुझे नहीं मालूम क्या क्या चीजें होंगी, पता नहीं ऐटमिक एनर्जी (आणविक शक्ति) आ जाय या कोई दूसरी एनर्जी आ जाये और पता नहीं कैसे उसके खिलाफ हमारा डिफेन्स होगा, वह सब मेरे नुक्तेनजर के बाहर है, लेकिन फिर भी जरूरी है कि लोगों को हम इसके लिये तैय्यार करें कि वह किसी वक्त अपने मुल्क को बचाने के लिय आगे आयें। मुझे पता लगा है कि टैरिटोरियल फोर्स (प्रादेशिक बल) के लिये जो आदमियों की मांग थी उसके लिये ४४ परसेंट आदमी आये इसके लिये और बहुत ज्यादा आदमी आने चाहियें थे। लेकिन आज लोगों के अन्दर ज्यादा इसके लिये जोश नहीं है। इसी लिये शायद आज डा० काटजू ने कहा कि यह चीज बिल्कुल वालेन्टरी (स्वयंसेवा) हो, किसी किस्म की कोई लागलपेट न होगी। मिलिट्री सर्विस के वास्ते कोई लायबल्टी (दायित्व) या बाइन्डिग (बंधन) उनके लिये नहीं है। लेकिन मैंने श्री त्यागी से सवाल पूछा कि आप जो रजिस्टर रखते हैं, वह किस लिये रखते हैं? किस लिये यह फोर्स रखी जा रही है।

मेरी नाकिस राय में इस सारी फोर्स को रखने का मतलब यह है कि जब देश के अन्दर एमरजेंसी आपत्तिकाल हो, जब कोई खराबी पैदा हो या जब कोई मुसीबत आये, तो हमारे वालेंटियर सबसे आगे हो कर उसका मकाबला करें। इस वक्त आपने उनके लिये किसी किस्म की लायबिलिटी नहीं रखी है। मैं जानता हूं कि जो अगली इंस्टालमेंट आयेगी, उसमें लायबिलिटी की बात भी रखी जायेगी।

इस बिल के अन्दर जो दूसरे प्राविजन्स (उपबन्ध) हैं वे एक से एक अच्छे हैं। शुरू में ही आपने आफेंसिस (अपराध) और पेनेलिटीस (दन्ड) की प्राविजन्ज (उपबन्ध) रखीं इनमें हमारे कामत साहब भी कोई बात नहीं पकड़ सके हैं। एक बात को उन्होंनें लिया है और उसको भी ज्यादा नहीं प्रेस किया।

अगर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट (विभाग) में एजुकेशन (शिक्षा) पाने के लिये जाता है या कुछ सीखने के लिये जाता है और उसको वहां पर डिसिपलिन में रहने के लिये कहा जाता है तो यह ठीक ही है और इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह अफसर को जा कर पीटना शुरू कर दे। तो ये जो आबलीगेशंस (दायित्व) प्रोवाइड की गई है ये लिस्ट (न्यनतम) है। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन को खैरबाद नहीं कहना चाहते तो आपको इन आबलीगेशंस को निभाना ही होगा। कामत साहब ने इस बात पर जोर नहीं दिया।

तो जहां तक इस बिल को पहली इंस्टालमेंट के तौर पर लाया गया है यह निहायत अच्छा है। आपने खर्च के बारे में भी कहा है कि एक करोड़ रुपया खर्च होगा और आप की तजवीज यह है कि इस रुपये को खजाने में से न लेकर इसका इंतजाम ऊपर ऊपर से ही कर लिया जाये। आपने फाईनेंसल मेमोरंडम (वित्तीय ज्ञापन) में लिखा है :

"जो अंशत: प्रादेशिक सेवा के अनावश्यक कर्मचारियों में कमी करके और अनावश्यक सामग्री में कमी करके किया जायेगा ।"

तो रुपया आप मांगते नहीं हैं और साथ ही साथ देश के अन्दर ऐसी अच्छी स्पिरिट लोगों के अन्दर पैदा कर देते हैं तो इससे बढ़ कर के और कौन सी अच्छी बात हो सकती है । मैं चाहूंगा कि डाक्टर साहब ने इस बार एक लाख की लिमिट रखी है और अगले साल जब वह दूसरा बिल लायें तो उसमें कम से कम पांच लाख की लिमिट तो रखें । आपने उस वक्त भी पांच लाख की बात कही थी जब आप पहला बिल लाये थे ।

एक और बात का यहां पर जिक्र आया है और वह था स्काउट मूवमेंट (आन्दोलन) का । भोंसले साहब ने भी एक मूवमेंट जारी की है जिसको कस्तूरबा निकेतन तथा दूसरी जगहों में लागू किया गया है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सारी स्कीम्स (योजनायें) हैं इनको कोआर्डिनेट (समन्वित) किया जाना चाहिये और इनको अलग अलग नहीं रखा जाना चाहिये । मैं नहीं चाहता कि इनको बन्द कर दिया जाये लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि इनको कोआर्डिनेट किया जाय आप एक लाख के लिये कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इसको बढ़ायें । मैं यह भी चाहता हूं कि आप तमाम स्कूल्स और कालिजिज में भोंसले साहब की स्कीम को चलायें और उन्हें अपनी ऐक्टीविटीज (कार्यों) का ही एक हिस्सा बनायें । मैं चाहता हूं कि आप मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों और कालिजों में जारी कर दें ।

मैं और एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज तक लोगों की यह शिकायत रही है कि उनको लकड़ी व लाठी के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग सिखायी जाती है । मैं अर्ज करता हूं कि थोथी बंदूकों का या इस किस्म की दूसरी चीजों का जमाना चला गया है । मैं चाहता हूं कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग उनको दी जाये उसके दौरान में उनको बंदूकों तथा दूसरे हथियारों से एक्वैट (परिचित) कराया जाये । इस तरह से कोई भी चीज बाकी नहीं रह जानी चाहिये जिससे उनको वाकफियत न हो ।

आपने इसमें ट्रेनिंग का पीरियड ३० दिन का रखा है यह भी मुनासिब है । पहले जो बिल आप लाये थे उसमें आपने एक रियायत रक्खी थी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कुछ और किसी प्राईवेट सर्विस में हो उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी गवर्नमेंट एम्प्लायी (सरकारी कर्मचारी) और न नौकरी से महरूम होंगे । लेकिन इस तरह की कोई भी रियायत आपनें इस बिल में नहीं रखी है । तो मैं चाहता हूं कि अगली जो इंस्टालमेंट आये, उसमें यह सब चीजें हों और वाइलेंसेस के हकूकव जिम्मेवारी उसमें दर्ज हो--ऐसा गंजानंगा बूचा न हो, जैसा यह मौजूदा बिल है । इतना कह कर मैं डा० काटजू को इस बिल को पेश करने के लिये फिर मुबारिकबाद देता हूं ।

†**डा० सुरेशचन्द्र** (औरंगाबाद) : इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है, परन्तु इस विधेयक को बहुत ही हड़बड़ी में प्रस्तुत किया गया है ।

हमारे नवयुवकों में अनुशासन, सुरक्षा और आत्म विश्वास की भावना का समावेश किया जाना अत्यावश्यक है । राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय में भी यह कार्य किया जा रहा है । परन्तु यह विधेयक स्पष्ट नहीं है । अभी तक जनता को वास्तविक सैनिक प्रशिक्षण दिये जाने का कोई उपबन्ध नहीं है इसलिये "सैनिक प्रशिक्षण" शब्दावलि यहां कुछ जचती नहीं है ।

कोई भी देश बिना अपने नागरिकों में अनुशासन की भावना, नागरिक भावना और देश प्रेम की भावना को अपनी स्वतंत्रता, अपने आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा को बनाये नहीं रख सकता है । हिटलर ने भी जर्मनी में हिटलर युवक आन्दोलन चलाया था । इसी संगठन ने अन्तिम

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुरेशचन्द्र]

क्षण तक हिटलर का साथ दिया था। इसी संगठन के युवकों ने सेना के हतोत्साहित हो जाने के बाद भी बर्लिन की गली कूचों में डट कर मुकाबिला किया था। अतः इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता है परन्तु इसके लिये सहयोजित कार्यवाही की जानी चाहिये। केवल इस विधेयक के पारित कर देने से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय छात्र सेना निकाय है, परन्तु मैंने बड़े दुःख के साथ यह देखा है कि देश के युवक तथा युवतियों में जो जोश होना चाहिये उसका सर्वथा अभाव है। अतः इस विधेयक को पारित करने से पूर्व हमें जो कोई भी संगठन इस समय देश में है उन्हें सुदृढ़ बनाना चाहिये।

मेरे विचार से अभी स्त्रियों को इस विधेयक के अन्तर्गत लाने का समय नहीं आया है। प्रारम्भ पुरुषों से किया जाये, और फिर बाद में महिलाओं को स्थान दिया जाये। अन्यथा अव्यवस्था फैल जाने की आशंका है। मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर देने की प्रार्थना करूंगा।

अत में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल एक योजना ही भली प्रकार से चलायी जानी चाहिये ताकि देश भर में उसका अच्छा प्रभाव पड़ सके। यह कहने से काम नहीं चलता कि प्रत्येक समर्थ नागरिक स्वेच्छा से ऐसी योजनाओं में भर्ती हो सकता है।

†**डा० काटजू** : मैं अपने भाषण के लिये अधिक समय नहीं लूंगा। श्री कामत ने कहा है कि यह विधेयक के पारित होने के बाद लोक सहायक सेना को अपना काम प्रारम्भ कर देना चाहिये था। यह विधेयक सितम्बर १९५५ में पुरःस्थापित किया गया था। किन्तु कार्याधिक्य के कारण यह अब तक पारित न हो सका।

जहां तक डाक्टर सुरेश चन्द्र के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोक सहायक सेना जितनी अच्छी बनायी जा सकती है बनायी जायेगी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने निवास स्थान के समीप ही किसी आगामी कैम्प का निरीक्षण करें। वे देखेंगे कि वहां अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है और जो लोग उनमें भर्ती होते हैं वे उसका पूरा लाभ उठाते हैं। उन्हें पूरी सैनिक शिक्षा दी जाती है अर्थात उन्हें कवायद, बन्दूक चलाना, मार्च करना आदि सब बातें पूरे क महीनें तक सिखायी जाती हैं।

इस विधेयक में सेना की संख्या के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है। यदि हमें सफलता नहीं मिली तो हम ऐसे सैनिकों की संख्या दो तीन लाख तक कर सकते हैं और आशा है कि सभा उसके व्यय के लिये स्वीकृति देगी। एक माननीय सदस्य नें कहा है कि कैम्प छोटे होने चाहियें किन्तु यह सम्भव नहीं है। हम सामुदायिक जीवन चाहते हैं। उनकी संख्या लगभग ५०० है।

महिलाओं को सम्मिलित करने के औचित्य के बारे में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा। यह एक ऐसी बात है जिस पर मतभेद हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि डा० सुरेश चन्द्र ने एक सही हाल बताया था कि आरम्भ करने के बाद हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि उसका क्या हाल होता है। कृपया इस बात को ध्यान में रखिये कि २२ या २३ वर्ष की आयु के बाद सामान्यतः महिलायें गृहिणी बन जाती हैं और उन पर अतिरिक्त घरेलू जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बच्चों और सन्तानों की देखभाल की जानी होती है। मैं स्थिति को जटिल नहीं बनाना चाहता। यदि हमारा प्रयोग सफल होता है, सामान्यतया इच्छा मौजूद है तो ऐसा किया जा सकता है। उसमें कोई हानि नहीं हो। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि लड़कियों की संस्थायें और लड़कियों के कालिजों की संख्या बढ़ रही है। मैं स्वयं अपनी आंखों से यह देखता हूं कि अपने आप को गर्ल गाईड नाते दर्ज कराने के लिये लड़कियां बहुत उत्सुक होती हैं और वे वहां बहुत अच्छा कार्य करती हैं। उनकी सैनिक शक्ति को काम में लगाने का वह एक रास्ता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक शपथ का सम्बन्ध है वह पूर्णत: स्वेच्छा से ली जाने वाली शपथ है। मैं और कहना नहीं चाहता। मुझे इसमें सन्देह है कि इसमें कोई अनिवार्यता की बात भी है। वास्तव में वह एक शपथ है जिसमें यह कहा जाता है—

मैं सत्यनिष्ठा से कहता हूं कि यदि अपने देश की सेवा करनें के लिये मुझे बुलाया जाता है—कहां और कब यह सब अनिश्चित रखा गया है—तो मैं ऐसे आव्हान के उत्तर में यथा संभव सेवा करने का प्रयत्न करूंगा।

†**श्री कामत** : यह तो बहुत अस्पष्ट है।

†**डा० काटजू** : निश्चय ही यह बहुत अस्पष्ट है। इसमें एक प्रकार का नैतिक तौर पर रजामन्द करने का भाव है। कुछ अन्य बातें उठायी गयी थीं और विभिन्न संशोधनों पर विचार करते समय हम उनके बारे में कार्यवाही करेंगे। किन्तु मैं सामान्यता यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य इस संगठन को यथा शक्य सुचारु रूप से चलाना है। अधिनियम को जानबूझ कर इतना सामान्य रखा गया है कि जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता जाता है और लोग दिलचस्पी रखते हैं उनसे हमें सुझाव प्राप्त होते हैं, हम समय समय पर नियम बना सकें। दंड के बारे में श्री कामत ने एक प्रश्न उठाया था। मैं उन्हें यह बता दूं कि नियमों में एक अपीलीय अधिकार का—उच्चतम न्यायालय में याचिका का नहीं वरन् एक सैनिक प्राधिकार से दूसरे उच्चतर सैनिक प्राधिकार के पास अपील का उपबन्ध करने का प्रस्ताव किया गया है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक पर विचार करेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के नागरिकों को सैनिक शिक्षा देने के लिये एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसक बाद श्री उ० चं० पटनायक न अपना संशोधन संख्या १९ प्रस्तुत किया जो उपाध्यक्ष महोदय द्वारा मतदान क लिये प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री त्यागी** : डा० काटजू ने जिन संशोधनों की सूचना दी है उनका क्या होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी ने यह नहीं कहा कि वे उन्हें प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री त्यागी** : उनको प्रस्तुत मान लिया जाये।

†**डा० काटजू** : वे केवल शाब्दिक हैं।

†**श्री कामत** : उनको प्रस्तुत करना होगा और सभा द्वारा स्वीकार किया जाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड २ के बारे में डा० काटजू कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं उन संशोधनों का उल्लेख कर रहा हूं जिनकी सूचना डा० काटजू ने दी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें प्रस्तुत किया जाना होगा।

†**डा० काटजू** : खंडवार ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

†**डा० काटजू** : आप अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अभी तक नहीं।

खंड ३—(राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल का गठन)

†**श्री कामत** : मेरा संशोधन संख्या १० है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में जो कुछ दिया गया है उसे मैं इस खंड में सम्मिलित करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री को कोई आपत्ति नहीं होगी।

†**डा० काटजू** : विधेयक के उद्देश्यों और कारणों क विवरण में इसका उल्लेख है। मेरा ख्याल है कि उसे स्वयं विधेयक में नहीं रखना चाहिये क्यों कि प्रस्तावना में यह कहा गया है कि उद्देश्य सैनिक शिक्षा देना है। मुझे खेद है कि मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कामत का संशोधन संख्या १० उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४— (शिविरों की स्थापना)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या खंड ४ के बारे में कोई सरकारी संशोधन है ?

†**डा० काटजू** : जी नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या कोई और संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मेरा एक संशोधन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकते हैं और चूंकि वे अब तक बोले नहीं हैं इसलिये उन्हें पांच मिनट दिये जाते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा संशोधन संख्या २८ है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक का स्वागत पहले किया जा चुका है और उस पर विचार करने का निर्णय भी किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरा निवेदन है कि विधेयक में विचारों और उद्देश्यों से भ्रम उत्पन्न होता है। मैंने यह देखा है कि विधेयक के उद्देश्यों में कोई बात ऐसी नहीं है जो भारतीयों में उत्साह पैदा करती हो ।

†**श्री रघुबीर सहाय** : माननीय सदस्य किस संशोधन पर बोल रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुझे पांच मिनट का समय दिया गया है और मैं अपने काम की बात कहूंगा, आपके काम की नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को मैं एक बात का ध्यान दिला दूं। जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं अथवा जिन के नाम में ये हैं यदि विधेयक की दूसरी अवस्था को शीघ्रता से समाप्त करने में हमारी सहायता दें तो सभी सामान्य बातों पर तीसरी अवस्था में चर्चा की जा सकेगी। किन्तु जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है हमें अपने आप को संशोधन तक ही सीमित रखना होगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं अपना भाषण तृतीय अवस्था में जारी रखूंगा। किन्तु मेरा निवेदन है कि पिछले दस वर्षों में भारतीयों की औसत आयु बढ़ गयी है और इसलिये मेरा निवेदन है कि ४० वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाया जाये।

†**डा० काटजू** : मुझे खेद है कि इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में इस प्रयोजन के लिये ४० वर्ष की आयु भी अधिक है।

इसके पश्चात उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री दी० चं० शर्मा का संशोधन संख्या २८ सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६—(स्वयंसेवकों के कर्तव्य)

†**श्री रघुबीर सहाय** : मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने स्वंयसेवक को ३० दिन का प्रशिक्षण देने के बाद उससे कोई सेवा नहीं ली तो इस प्रकार के संगठन पर इतना धन व्यय करना व्यर्थ सा ही है। इस विधेयक के उद्देश्य से सभी सहमत हैं कि राष्ट्र में अनुशासनहीनता को समाप्त किया जाये तथा मैं यही चाहता हूं कि अपनी जनता के कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करके उनसे कुछ काम लिया जाये। और आपत्तिकाल, जैसे बाढ़ भूकम्प आदि में इनका उपयोग उठाया जाये ।

जब माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा कि वह कोई जबरदस्ती जैसी चीज नहीं करना चाहते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाध्य करना यह होता है कि सैनिक सेवाओं में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सेना में काम करने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। परन्तु आपत्ति काल में देश की सेवा के लिये बुलाना क्या बाध्य करना है? मान लीजिये कि आप कभी आपत्तिकाल में उन्हें बुलाते हैं तथा उनमें से कुछ व्यक्ति नहीं आते हैं यदि वे उपयुक्त कारण दे सकें तब आप उनको दंड मत दीजिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुबीर सहाय]

कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय रक्षा दल स्थापित किया गया था तथा इसमें जनता ने बहुत उत्साह दिखाया था। परन्तु अन्त में वह योजना असफल हो गयी। क्यों? क्योंकि हमने उसका उपयोग नहीं उठाया। मैं चाहता हूं कि कहीं इस योजना का वही हाल न हो अतः मैं आशा करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : मैं संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि यह सार्वविदित है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की बड़ी प्रतिष्ठा हैं तथा इनमें पदाधिकारी बड़े उच्च स्तर के हैं। किन्तु कुछ समय से शिकायतें आ रही हैं कि असैनिक सेवाओं के पदाधिकारी अधीनस्थ कर्मचारियों से घरेलू काम लेते हैं। मैं चाहता हूं कहीं यही हाल सेना में भी न हो जाये और इसी सम्बन्ध में मेरा संशोधन है। स्वयंसेवक कभी ऐसी दशाओं में काम करना पसन्द नहीं करेंगे।

बैठने से पूर्व मैं श्री रघुबीर सहाय के संशोधन का विरोध इसलिये करना चाहता हूं कि इससे अधिकारों का दुरुपयोग होगा और बहुत से प्रशिक्षार्थी ऐसी दशाओं में काम नहीं करना चाहेंगे।

†**श्री उ० च० पटनायक**: मेरा संशोधन संख्या २२ श्री रघुबीर सहाय के संशोधन से केवल इतना भिन्न है कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा करने का वचन दें उनको ही अवसर आने पर सेवा के लिये बुलाया जाये। प्रशिक्षण देने के पश्चात् राष्ट्रीय सेवा की प्रतिज्ञा करें उनको ही सेवा के लिये बुलाना चाहिये।

†**डा० काटजू** : मुझे खेद है कि मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मार्ग-दर्शी नियम यह है कि यह ऐच्छिक है तथा मेरा निवेदन है कि चाहे वह सेवा मानवीय आकार पर हो अथवा प्राकृतिक दुर्घटनाओं के लिये की गयी हो, हमें स्वयंसेवकों तथा अन्य नागरिकों की देश भक्ति पर विश्वास करना चाहिये।

जहां तक श्री कामत के संशोधन का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि यह सैनिक प्रशिक्षण है तथा कर्त्तव्य निर्धारित कर दिये हैं। नियम होंगे तथा नियम भंग करने वाले को दण्ड मिलेगा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२, १२ तथा २३ सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७—(सेवा-मुक्ति)

†**श्री मूलचन्द दुबे** (जिला-फर्रुखाबाद-उत्तर) : खण्ड ७ में कहा गया है कि शिविर अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात कोई भी स्वयंसेवक सेवा-मुक्ति की मांग कर सकता है तथा अवधि समाप्त होने से पूर्व भी निर्धारित शर्तों पर सूक्षम अधिकारी उसको सेवा मुक्त कर सकता है।

मेरा निवेदन है कि जिस शिविर के लिये उसको लिया गया है उसमें एक मास काम करने पर उसको सेवा-मुक्त न किया जाये क्योंकि सेवा-मुक्ति के पश्चात उसको प्रत्यास्मरण पाठ्क्रम के लिये नहीं बुलाया जा सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक और बात है कि सेवा-मुक्त कर देने पर हम आपतकाल में उनको नहीं बुला सकते हैं।

एन्साईक्लोपिडिया ब्रिटेनिया में इसी प्रकार के अधिनियम के सम्बन्ध में दिया है कि राष्ट्रीय खतरा होने पर स्वयंसेवकों को बुलाया जा सकता था परन्तु प्रतिरक्षा मंत्री स्वयंसेवकों की इच्छा पर यह सब छोड़ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक विधि में इसकी व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप उनको नहीं बुला सकते हैं। इस लिये विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मेरा संशोधन संख्या २४ कुछ इसी प्रकार का है। माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया है कि उन्हें बाध्य नहीं किया जायेगा। फिर भी मेरा निवेदन है कि जब आप एक करोड़ रुपया व्यय करके एक लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे तब उनको बुलाने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये तथा विशेषतया उनको जिन्होंने शपथ ली हुई है। विधि में कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिसके अनुसार विकास कार्य के लिये स्वयंसेवकों को बुलाया जा सके। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक होगा। केवल जानकारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

†**डा० काटजू** : दोनों बातें अलग-अलग हैं। जहां तक, श्री पटनायक के संशोधन का सम्बन्ध है वह प्रतिरक्षा की बात पर अधिक बल दे रहे हैं। प्रतिरक्षा का उपबन्ध विधेयक में नहीं है, यह पूर्णतया स्वेच्छिक आधार पर है। मैं नहीं चाहता कि प्रतिरक्षा पत्र पर हस्ताक्षर करने का उपबन्ध करके विधेयक पर बोझ नहीं डालना चाहता।

श्री दुबे की बातों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सूची बनाई जाये तथा इसको अनिश्चित काल के लिये रखा जाये। जब आप एक महीने किसी को रखते हैं तो उसको अगले माह सेवामुक्त भी करना होगा। उनको एक दम निकाल देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये खण्ड को इसी रूप में रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २४ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंण्ड ८—(अपराध तथा दण्ड)

†**डा० काटजू** : मैं प्रस्ताव करता हूं

'पृष्ठ २, पंक्ति ४१ में 'Punished' [दण्डित] शब्द के स्थान पर 'Punishable' [दण्डनीय] शब्द रखे जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री कामत** : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करते हुये यह कहना चाहता हूं कि यदि स्वयंसेवक सज़ा भुगत चुका है तो उस पर जुर्माना नहीं किया जाये। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि सज़ा मिल जाने का यह अर्थ नहीं है कि जुर्माना माफ हो जायेगा। मेरी उससे यही प्रार्थना है कि इसमें युवा स्वयं सेवक आयेंगे जिनकी अपनी कोई सम्पत्ति नहीं हो सकती है और जुर्माना उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों को देना होगा। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री महोदय राष्ट्र के स्वयंसेवकों पर जुर्माना करके ऐसा न करें कि जो थोड़ा-बहुत पैसा अपने साथ वे लाये हों वह भी उनसे ले लिया जाए। जब वे सज़ा भुगतें तो उन पर जुर्माना न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० काटजू** : जब हम नियम बनायेंगे तब इस बात का ध्यान रखेंगे तथा यह व्यवस्था करेंगे कि जुर्माना न लिया जाये।

†**श्री ब० द० पांडे** (जिला अल्मोड़ा-उत्तर पूर्व) : संशोधन संख्या १३ को प्रस्तुत करने का मेरा यह उद्देश्य है कि जुर्माना की राशि इतनी नहीं होनी चाहिये जिससे नवयुवक डर जायें। किन्तु माननीय मंत्री बता चुके हैं कि यह राशि ५० रु० से अधिक नहीं होगी। इस पर्वत पर रहने वालों को सैनिक प्रशिक्षण अवश्य मिलना चाहिये क्योंकि हमारी सैन्य प्रकृति है। अनुशासन न होने के कारण हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसलिये हमें सैनिक अनुशासन की शिक्षा मिलना आवश्यक है। माननीय मंत्री के इस आश्वासन पर कि जुर्माना ५० रुपये से अधिक नहीं होगा, मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति सभा से मांगता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'पृष्ठ २, पंक्ति ४१ में 'Punished' [दण्डित] शब्द के स्थान पर 'Punishable' [दण्डनीय] शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री कामत** : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ८, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ८, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९---(हानि आदि पहुंचाने की जिम्मेदारी)

†**श्री कामत** : संशोधन संख्या १५ के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि हानि धन के अथवा वस्तु के रूप में पूरी की जाये। यदि स्वयंसेवक कुर्सी आदि तोड़ देता है तो उसकी हानि नई कुर्सी ला कर पूरी करने की अनुमति होनी चाहिये ।

†**डा० काटजू** : मैं अपने मित्र श्री कामत को बता देना चाहता हूं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं परन्तु वसूली की कार्यवाही तब होती है जब सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित धनराशि देने में असमर्थ हो जाये अथवा देने से इन्कार कर दे। खण्ड ९ के पृष्ठ ३ की पंक्ति ११ से १३ में दिया गया है '...निर्धारित प्राधिकार द्वारा निश्चित किया गया धन यदि निर्धारित समय में नहीं दिया जा सके।' इस प्रकार जब इस धन का भुगतान नहीं होगा तभी कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

†**श्री कामत** : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड ९ विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड १०—(कुछ दस्तावेजों के सम्बन्ध में पूर्व धारणा)

†**श्री कामत** : मैं संशोधन संख्या १६ तथा १७ के द्वारा यह चाहता हूं कि यह उपबन्ध होना चाहिये कि विहित अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर हों तथा साथ-साथ इस बात का साक्ष्य अथवा प्रमाण हो कि वह उस अधिकारी के ही हस्ताक्षर हैं। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि जालसाज़ी होने की सम्भावना है परन्तु फिर भी पर्याप्त सावधानी बरतने के लिये ऐसा होना चाहिये।

†**डा० काटजू** : ये संशोधन भी आवश्यक नहीं है क्योंकि इससे कार्यवाही कठिन हो जायेगी। मान लीजिये दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों के अधीन मुकदमा दायर करने की स्वीकृति दी गई तो मजिस्ट्रेट साहिब अथवा अवर सचिव के हस्ताक्षर साक्षीरूप में नहीं मांगेगा। यह सीधी सी कार्यवाही है। आप एक कागज़ प्रस्तुत करते हैं और यदि उस पर निर्धारित पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं तो न्यायालय मान लेगा कि सारी चीज़ स्पष्ट है। यदि हस्ताक्षरों पर कुछ संदेह वाली चीज़ हो, तब उसकी जांच हो सकती है। अन्यथा मेरे मित्र के संशोधन का यह परिणाम होगा कि हमें पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षरों को सिद्ध करने के लिये बुलाना होगा तथा कार्यवाही को रोकना पड़ेगा। मैं संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गये तथा अस्वीकृत हुये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १० विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १० विधेयक में जोड़ दिया गया

नवीन खण्ड १० क

†**श्री उ० च० पटनायक** : मेरा संशोधन संख्या २५ है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि इन लोगों को राष्ट्रीय सेवा के लिये प्रयुक्त किया जाना चाहिये। किन्तु राष्ट्रीय सेवा के किसी कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हमें मालूम हुआ है कि प्रतिरक्षा मंत्री की यह धारणा है मूलभूत सैनिक शिक्षा के लिये एक मास अत्यावश्यक है तथा वह राष्ट्रीय सेवा के प्रशिक्षण के लिये कोई उपबन्ध नहीं कर सकते। इसलिये मेरा सुझाव है कि आपतकाल में इन लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। मुझे आशा है माननीय मंत्री इसे स्वीकार कर लेंगे।

†**डा० काटजू** : मुझे बड़ा खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में इससे समस्त विधेयक में परिवर्तन हो जाएगा तथा यह संशोधन इसके क्षेत्र के बाहर है। मेरे माननीय मित्र ने जिन कार्यवाइयों का सुझाव दिया है उनके लिये तो एक नए संगठन की स्थापना की आवश्यकता होगी। इसलिये यह इस विधेयक के क्षेत्र के बाहर की चीज़ है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

खण्ड ११—(नियम बनाने की शक्ति)

†**श्री भक्त दर्शन** (जिला गढ़वाल-पूर्व व जिला मुरादाबाद उत्तर-पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा पर मैं ने संशोधन संख्या १८ की सूचना दी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आप को अभी बुलाऊंगा।

†**श्री कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति ४३ के पश्चात यह जोड़ा जाए :

"(3) All rules made under this section shall be laid before Parliament for a period of at least thirty days, as soon as may be after they are made, and shall be subject to such modifications as Parliament may make therein"

(३) [इस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद कम से कम तीस दिन तक की अवधि के लिये संसद के सामने रखे जायेंगे और उनमें ऐसे रूपभेद किये जा सकेंगे जो कि संसद करे।]

हमें अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि बहुत सारी बातें नियमों द्वारा ही निश्चित की जायेंगी। अतः इस संशोधन की और भी आवश्यकता बढ़ जाती है। इस सिद्धान्त को पहले भी नागरिकता विधेयक आदि कई विधेयकों में स्वीकार किया जा चुका है। यह सिद्धान्त कि किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत बताये गये नियम संसद के सामने रखे जायेंगे तथा उसके द्वारा किये गये सुधारों के अधीन रहेंगे लगभग सभी अधिनियमों के अन्त में संलग्न रहता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस संशोधन को स्वीकार करने की प्रार्थना करता हूं।

†**श्री भक्त दर्शन** : उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन संख्या १८ को मूलतः मैं ने प्रस्तावित किया है। जैसा कि अभी डाक्टर काटजू ने बताया है, वह इसकी भावना से सहमत हैं। इस आशा के साथ कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और इस आशा के साथ कि तीसरे वाचन के समय इस बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये आप मुझे कुछ समय देंगे, अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं अपना संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं। यह संशोधन भी लगभग पहले संशोधन जैसा है। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि मंत्री महोदय ने नियमों को संसद् में रखने का संशोधन स्वीकार कर लिया है। वास्तव में यह बात सर्वथा ग़लत है। उन्होंने कोई भी संशोधन मानने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वह जानते हैं कि सभा का बहुमत सदा उनके साथ रहेगा.....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह भाषण तीसरे वाचन के समय दे सकते हैं।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं प्रार्थना करता हूं कि ये नियम दोनों सभाओं के पटल पर रखे जायें।

†**डा० काटजू** : मैंने पहले ही इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। मगर मैं इस सम्बन्ध में श्री कामत के संशोधन प्रस्ताव में एक संशोधन रखना चाहता हूं। श्री कामत के संशोधन के अनुसार ये नियम वर्षों तक वैसे ही संसद में पड़े रह सकते हैं। मैं इसकी कुछ सीमा निश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि ये सैनिक नियम होते हैं अतः इनका शीघ्र ही निश्चय हो जाना चाहिये। मैं इसके अन्त में कुछ और शब्द जोड़ना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० काटजू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि श्री कामत द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय :

"during the session in which they are so laid or the session immediately following."

["उस सत्र के दौरान में जिस में वे इस प्रकार रखे जायें या उस के अगल सत्र में"]

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

श्री कामत द्वारा रखे गये संशोधन संख्या १८ में अन्त में ये शब्द और जोड़े दिये जायें :

"during the session in which they are so laid or the session immediately following."

["उसी सत्र के दौरान में जिसमें कि वे इस प्रकार रखे गये हों अथवा उससे अगले सत्र में"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री कामत द्वारा रखे गये संशोधन संख्या १८ को जैसा कि वह सरकार द्वारा रखे गये संशोधन संख्या ३१ द्वारा संशोधित हो चुका है सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ४३ के पश्चात यह जोड़ा जाए :

"(3) All the rules made under this section shall be laid before Parliament for a period of at least thirty days, as soon as may be after they are made and shall be subject to such modifications as Parliament may make therein during the session in which they are so laid or the session immediately following."

["(३) इस धारा के अन्तर्गत बनाए गये सभी नियम बनाए जाने के यथाशीघ्र बाद कम से कम तीस दिन तक की अवधि के लिये संसद के सामने रखे जायेंगे और उन में ऐसे रूपभेद किये जा सकेंगे जो कि संसद उस समय में जिस के दौरान में वे रखे गये हों या अगले सत्र में करे"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ११ संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम

संशोधन किए गये :

(१) पृष्ठ १ पंक्ति ४

"1955" [१९५५] के स्थान पर "1956" [१९५६] रखा जाये।

(२) पृष्ठ १ पंक्ति ३

"National Volunteer Force Act" [नेशनल वलंटियर फोर्स एक्ट] के स्थान पर "Lok Sahayak Sena Act" [लोक सहायक सेना एक्ट] किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

(३) पृष्ठ १ पंक्ति ४

"Sixth year" [छटे वर्ष] के स्थान पर "Seventh year" [सातवें वर्ष] रखा जाये।

(४) पृष्ठ १, पूरा नाम तथा जहां कहीं भी "National Volunteer Force Act" [नेशनल वलंटियर फोर्स] शब्द विधेयक में आते हैं उनके स्थान पर "Lok Sahayak Sena Act" [लोक सहायक सेना] रखा जाये।

—[डा० काटजू]

†**डा० काटजू**: ये सब मौखिक संशोधन हैं और सचिवालय इनको शुद्ध कर लेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, और नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**डा० काटजू** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†**श्री भक्त दर्शन**: इस बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक को इस सदन में लाने और इसको स्वीकृत कराने के लिये मैं रक्षा मंत्रालय की तीनों महामूर्तियों को धन्यवाद और वधाई देता हूं

†**श्री कामत** : तीन मूर्तिमार्ग है।

†**श्री भक्त दर्शन** : वे मूर्तियां तो साधारण होती हैं, ये तो महामूर्तियां हैं। मैं गवर्नमेंट को इस लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब कि बहुत से विधेयकों में हमने देखा कि उनको जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं किया जाता है, लेकिन इस को जम्मू तथा काश्मीर सहित सारे देश पर लागू किया जा रहा है। यह बहुत सुन्दर बात है। इस का मतलब यह है कि जहां तक रक्षा का सम्बन्ध है, गवर्नमेंट कन्या कुमारी से लेकर काश्मीर तक सारे देश को एक ही दृष्टि से देखती है और उसकी रक्षा की व्यवस्था कर रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे केवल दो सुझाव देने हैं। एक तो यह कि यह जो हमारी लोक सहायक सेना है इसके सिलसिले में अभी कुछ मित्रों ने बतलाया कि हमारे प्रान्तों में भी कुछ इस प्रकार की योजनायें चल रही हैं। जनरल भोंसले की राष्ट्रीय अनुशासन योजना दिल्ली तथा अन्य इलाकों में भी चालू हैं। इसी तरह से कालिजों और स्कूलों में एन०सी०सी०की योजना चालू है। कुछ प्रान्तों में होमगार्ड की और उत्तर प्रदेश में प्रान्तीय रक्षा दल की योजना चल रही है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर सारे देश के लिये एक सी योजना बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के अनुशासन के लिये बनानी चाहिये और उसी योजना को सारे देश में चलाना चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री महोदय और हमारी केन्द्रीय सरकार इस दिशा में कदम उठायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त मुझे एक सुझाव और देना है। वह यह है कि जो लोग इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित हों उनको और भी प्रोत्साहन दिया जाये। जो इस योग्य हों और चाहते हो उनको फौज में भरती कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त इनमें से जो न्यूनतम योग्यता रखने वाले हों उनको सरकारी विभागों की नौकरियों में भी तरजीह दी जानी चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें भी अपने विभिन्न विभागों को आदेश दें कि इन लोगों में जो न्युनतम योग्यता रखते हों उनको सबसे पहले नौकरियां दी जायें। इसी तरह से इन लोगों को बन्दूकों का लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

इसमें कैम्प (शिविरों) के लिये ५०० युवकों की संख्या रखी गयी है। हमने देखा है कि कहीं कहीं यह संख्या पूरी नहीं हो पाती। जैसा कि कुछ दिनों पहले एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया, कि जब अम्बाला में ट्रेनिंग कैम्प लगाया गया तो महीनों इन्तिजार करने के बावजूद भी पर्याप्त संख्या में लोग नहीं आये। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक सप्ताह के नोटिस पर ५०० तो क्या एक हजार युवक भी शिक्षण के लिये आ सकते हैं क्योंकि उनके पीछे साहस और सामरिकता की परम्परायें हैं। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी सीमा की रक्षा का भार भी है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के स्थानों में बड़ी तादाद में ऐसे कैम्प चलाये जायें जहां भरती होने के लिये बहुत लोग आसानी से मिल सकते हैं। ऐसा करने से हमारी सीमा का बचाव भी ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है।

अब मैं भवन का ज्यादा समय न लेते हुये, एक बार फिर इस त्रिमूर्ति, अर्थात् तीनों मंत्रियों को, बधाई देकर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मगर फिर भी इस विधेयक में विचारों की कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने इसको राष्ट्रीय अनुशासन योजना समझा है। कुछ लोगों ने इसे होम गार्ड योजना समझा है और कुछ ने इसका सम्बन्ध सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार खंडों से बताया है। इसका कारण यह है कि हमने उसके उद्देश्यों में कई चीजें कहीं हैं। हमें वहां पर केवल एक ही उद्देश्य का वर्णन करना चाहिये था कि हम इसे सैनिक प्रशिक्षण तथा प्रतिरक्षा के हेतु लाये हैं।

इसमें दूसरी बात यह है कि यह विधेयक भारत के प्रति ३६०० नागरिकों में से एक को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। मैं यह कहूंगा कि कम से कम भारत प्रति १००० नागरिकों में से १ नागरिक को अवश्य सैनिक प्रशिक्षण मिलना चाहिये। मेरा यह विचार भी है कि इसके लिये १ करोड़ रुपये का व्यय पर्याप्त नहीं है। यह कम से कम ४ करोड़ रुपये होना चाहिये था।

अन्त में मैं एक बार फिर कहूंगा कि हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि यह विधेयक भारत की प्रतिरक्षा सामर्थ्य को बढ़ाने के लिये है।

†**श्री नि० बी० चौधरी** (घाटल) : इस विधेयक के द्वारा हम देश के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिये प्रतिवर्ष १ करोड़ रुपया व्यय कर सकेंगे। यह एक बड़ा अच्छा उद्देश्य है। उससे राष्ट्रीय सेवाओं में अनुशासन की भावना बढ़ेगी। मगर हमें इसके अन्तर्गत मिले अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिये।

खंड ६ की चर्चा से मैंने यह अनुभव किया कि इसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति के लिये ऐसे ही कर्तव्य निश्चित करने चाहियें जिनको कि वह स्वेच्छा से करने को तैयार हो। हमने देखा है कि कुछ अवस्थाओं में राष्ट्रीय छात्र सेना को वैध हड़ताल तोड़ने का काम सौंपा गया है। सरकार को इस प्रकार से अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करने का आश्वासन देना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नि० बी० चौधरी]

केम्पों के बारे में यह कहा गया है कि वे जहां तक सम्भव हो सकेगा सामुदायिक योजना क्षेत्रों में ही लगाये जायेंगे ताकि उनसे आस पास के लोगों को भी लाभ हो सकें। हम सब यही चाहते हैं कि आप चाहे जहां भी केम्प लगायें लोगों में स्वेच्छा से,सहयोग की भावना होनी चाहिये। आप को किसी पर सहयोग करने के लिये दबाव नहीं डालना चाहिये। सामान्यता लोग राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग देने के लिये तैयार हैं मगर स्थानीय प्रशासनिक संस्थायें जिस रूप में वे सहयोग देना चाहते हैं स्वयं उस रूप में उनसे सहायता लेने में आनाकानी कर रही हैं। कई बार कई विकास बोर्डों में हम जनता का एक भी प्रतिनिधि नहीं रखते हैं। मैं मगर एक बार फिर यह कहुंगा कि हमें इन प्रशिक्षण पाने वाले लोगों में यह विश्वास उत्पन्न कर देना चाहिये कि हम उनकी इच्छा के विरूद्ध उनसे कोई कार्य नहीं करायेंगे तथा सरकार अपने अधिकारों का किसी भी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगी।

ठाकुर युगुल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो यह विधेयक हाउस में उपस्थित किया गया है उसके सम्बन्ध में कुछ दोस्तों ने कहा है कि यह पहले इंस्टालमेंट (किश्त) के रूप में विधेयक हमारे सामने आया है और मिलेटरी ट्रेनिंग देने के बारे में भी हाउस में ज़िक्र किया गया इसके सम्बन्ध में मुझे तो यह कहना है कि पंचशील के सिद्धान्त के ऊपर हमारा देश आगे बढ़ रहा है और सारे संसार को वह आदर्श अपनाने के लिये प्रेरित कर रहा है और संदेश दे रहा है तब हमें आशा करनी चाहिये कि इस तरह की एक मिलेटरी फोर्स (सैनिक बल) बनाने की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह के बिल की आवश्यकता नहीं होगी और यह पहला इंस्टालमेंट और आख़िरी इंस्टालमेंट होगा और इसके बाद मिलेटरी ट्रेनिंग की तरफ़ हमारी दृष्टि नहीं जायगी।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हमारा ख़ुद का तजुर्बा कुछ मिलेटरी अफ़सरान के सम्बन्ध में अच्छा नहीं है और इसलिये इस बात का ध्यान रक्खा जाना चाहिये कि उन कैम्पों में जिनमें हमारे देश के नवयुवक ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) लेने आयेंगे, वहां पर आप ऐसे मिलेटरी अफ़सर और इंस्ट्रक्टर्स रक्खें जिनके चरित्र आदर्शवान हों और उनका अच्छा असर हमारे देश के उन नव-युवकों पर पड़े ताकि जब वे उन कैम्पों से ट्रेनिंग पाकर अपने अपने घरों को वापिस लौटें तो अपने वहां पर एक आदर्श नेता के रूप में काम कर सकें। अभी तो मिलेटरी कैम्पों में जो रिक्रुट्स जाते हैं वे तो हमेशा के लिये फ़ौज में रहते हैं, वहीं काम करते हैं और कमाते खाते हैं लेकिन आप के इन कैम्पों में जो लोग आयेंगे वे तो कैम्पों में ट्रेनिंग लेने के बाद वहां से वापिस अजायेंगे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करेंगे, इसलिये इन कैम्पों में आप को ऐसे मिलेटरी अफ़सरों को इंस्ट्रक्टर्स रखना है जो कि आदर्श और चरित्रवान हों और जिनके कि आचरण का ट्रेनीज़ पर अच्छा प्रभाव पड़े।

इस समय मैं आप के सामने दो ही उदाहरण रखना चाहता हूं कि किस तरह का मिलेटरी अफ़सरों का पबलिक के साथ व्यवहार होता है। एक वाकया तो तब का है कि एक मर्तबा मैं ट्रेन में फ़र्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा था उसमें एक मिलेटरी अफ़सर अपने साथ कुत्ता लिये हुये जा रहे थे। मैंने उनसे यह कहा कि इस कुत्ते को ब्रेकवैन में ले जाइये तो उन्होंने जो बुरा रुख अखत्यार किया, उसके बारे में मुझे मिनिस्टर साहब से शिकायत करनी पड़ी और उन्होंने उस मामले में उचित कार्यवाही करने का वायदा भी किया है।

दूसरा मामला इस प्रकार है। एक मर्तबा मेरा फ़र्स्ट क्लास का कूपे रिज़र्व था और दूसरे अफसर अपनी फ़ैमिली के साथ सफर कर रहे थे। वे मिलेटरी अफ़सर चढ़ आये और वहां पर बैठने लगा तो मैंने कहा कि यहां पर उनकी सीट नहीं है और वाक़या भी यही था और उनकी सीट दूसरी जगह रिजर्व थी, लेकिन वह अड़ गये कि नहीं वे तो यहीं बैठेंगे।

तीसरा वाक़या यूं पेश आया कि एक मर्तबा जब मैं ट्रेन में ऊपर की सीट पर अपना बिस्तर रख रहा था, एक मिलेटरी अफ़सर डिब्बे में चढ़ आया और वह उचक कर ऊपर चढ़ गया और पैर पसार लिये .....

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आप सब रेलवे की बातें बतला रहे हैं।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : मैं यह बतला रहा हूं कि मिलेटरी अफ़सरान पबलिक के साथ किस तरह पेश आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मिलेटरी अफ़सरान की सारी ऐक्टिविटीज तो आप इस विधेयक के अवसर पर सामने नहीं ला सकते ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : ठीक है जो मेरा तजुर्बा था वह मैंने थोड़ा सा इस मौक़े पर बतला दिया।

यह जो यहां पर नेशनल सिक्योरिटी (राष्ट्रीय सुरक्षा) की बात कही गई है उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं कि यह लोग अपने घर में आ कर किस तरह से लोक सहायक का काम करते हैं और किस तरह का अनुशासन बर्तते हैं और किस तरह नेशनल इंटरेस्ट (अभिरुचि) में काम करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस काम में ऐसे अफ़सरान रक्खे जाय जो एक अच्छा आदर्श लोगों के सम्मुख उपस्थित कर सकें और जिससे देश और समाज का भला हो और उन्नति हो ।

एक चीज़ मैं आप को और बतलाऊं कि अभी पटने में जो हड़ताल हुई थी उसमें हमने देखा कि होमगार्ड्स् को बुलाया गया और उनके द्वारा हड़ताल तुड़वाने की चेष्ठा की गई जो कि मैं समझता हूं कि अनुचित है और मैं चाहता हूं कि होमगार्ड्स् का इस रूप में इस्तेमाल न किया जाना चाहिये था। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर महोदय इसके बारे में ख़ास तौर से ख्याल रक्खें ।

दूसरी बात यह है कि अभी हाल में जो तरह-तरह के कैम्प्स खुल रहे हैं, उन सब का कोआर्डिनेशन (समन्वय) जैसा कि श्री भक्त दर्शन ने सुझाया है करना बहुत आवश्यक है और अगर इसमें कोआर्डिनेशन नहीं होगा तो वह लाभदायक नहीं सिद्ध होगा।

†**डा० काटजू** : जिस सौजन्य के साथ सभा ने इस विधेयक का स्वागत किया है इसके लिये मैं उनका आभारी हूं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे दूं कि नियम बनाते समय इन सभी सुझावों पर ध्यान दिया जायेगा। मैं स्वयं इसके लिये अत्यंत उत्सुक हूं कि प्रशिक्षक-उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे जे० सी० ओ० और० एन० सी०ओ० तक सभी चुने हुये व्यक्ति हों। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि वह किन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। यह काम उन लोगों से नहीं है जो सेना को अपने भावी जीवन का ध्येय बना रहे हैं अपितु यह स्वयंसेवक हैं तथा इनके साथ दयालुता और शिष्टता पूर्वक व्यवहार होना चाहिये। हम वर्तमान में कुछ सीमा तक सेवानिवृत पदाधिकारियों से लाभ उठा रहे हैं। हम सेना के जूनियर कमीशन शुदा और गैर कमीशन शुदा पदाधिकारियों से कहेंगे कि वह जाकर कैम्प लगाने में मदद करें। भिन्न-भिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न स्थानों में कैम्पों का आयोजन आवश्यक है। मैं आप को बताऊं कि कैम्प आयोजन के लिये मेरे पास राज्य स्थानों से प्रार्थनाएं आई हैं। इसका कारण यह नहीं है कि इनका सम्बन्ध सामुदायिक योजना क्षेत्रों से है प्रत्युत इसलिये कि लोक सहायक सेना संगठन के अन्तर्गत जहां भी कैम्प का आयोजन किया गया है वहां लोगों में नागरिकता के उत्तरदायित्व की पूर्ति में अधिक चेतना और जागृति उत्पन्न हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० काटजू]

उन कैम्पों में भरती का प्रश्न केवल पत्रों तक ही सीमित नहीं है। मैं इस बात के लिये उत्सुक हूं कि सभी वर्गों और समुदायों के लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिये। सैनिक प्रशिक्षण मिलने पर उनमें अनुशासन की भावना का उदय होगा और वह ग्रामीणों की समुन्नति और संवृद्धि के आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर नेतृत्व का प्रदर्शन करेंगे।

जैसा माननीय मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने अभी कहा था चर्चा अनेक विषयों पर हुई है। विधेयक एक विशिष्ट विषय अर्थात् सैनिक प्रशिक्षण तक सीमित है। सारे भारत में व्याप्त आकांक्षा की पूर्ति ही विधेयक का उद्देश्य है। लोग सैनिक प्रशिक्षण के इच्छुक हैं तथा विधेयक का यही उद्देश्य है। यह विधेयक कुछ ही लोगों तक सीमित नहीं। जब आयव्ययक प्रस्तुत किया जाएगा सभा इस बात का अनुमोदन कर सकेगी और कह सकेगी कि "चार करोड़ या पांच करोड़ रूपये चाहियें ता कि इसका विस्तार किया जाये"। मेरा व्यक्तीगत विचार यह है कि वार्षिक एक लाख की संख्या बढ़ा कर दो या तीन लाख कर देनी चाहिये। यह स्वयं सेना के आधार पर है। हम अब सिद्धांतों का उपबंध कर रहे हैं सीमाओं का नहीं।

इसका जो स्वागत किया गया है उसके लिए मैं आभारी हूं। जो कुछ कहा है उससे आने वाले महीनों में हमारा पथ प्रदर्शन होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समाचार पत्र मूल्य तथा पृष्ठ विधेयक

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि समाचार-पत्रों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये, जिससे समाचार-पत्रों को अपने विचार प्रकट करने के लिये और अधिक अवसर प्राप्त हो सकें, समाचार-पत्रों के मूल्य को उनकी पृष्ठ संख्या के आधार पर विनियमित करने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

यह विधेयक प्रेस आयोग की एक महत्वपूर्ण सिफारिश के अनुसार सभा में रखा जा रहा है। जिस समय इस सभा में प्रेस आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी तब सब से अधिक चर्चा इसी विषय पर हुई थी। कई सदस्यों ने हमारी बड़ी कटु आलोचना की थी कि हम छोटे पत्रों की सहायता के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें समाचार-पत्रों के पृष्ठों के हिसाब से उनके मूल्यों की एक सूची निर्धारित करनी चाहिये आदि। उस समय के वाद-विवाद से स्पष्ट पता चलता था कि इस सभा को अधिकांश संख्या उस सिफारिश को यथाशीघ्र लागू करने के पक्ष में थी।

प्रेस आयोग ने कई आधारों पर यह सिफारिश की है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आयोग छोटे समाचार-पत्रों को, जिनके पास कि अधिक वित्त आदि नहीं था रक्षण प्रदान करना चाहता था। किन्तु इसके साथ ही कुछ अन्य कारण भी उपस्थित हो गये हैं जिन पर कि किसी पत्र की स्थिति निर्भर रहती है। आयोग ने उनका भी निर्देश किया है। आयोग ने वह भी दिखाया है कि कैसे बड़े बड़े पत्र कीमतों को घटा कर अपने प्रतिद्वंदी छोटे पत्रों को खदेड़ने का प्रयत्न करते

---

†मूल अंग्रेजी में

रहते हैं। कई पत्रों को इसका शिकार बनना पड़ा है। यहां पर बड़े पत्रों की ऐसी ही अन्य चालाकियों का विस्तृत विवरण करके मैं इस सभा का समय नहीं नष्ट करना चाहता हूं। पत्रकारिता की इन चालाकियों को देख कर ही आयोग ने यह सिफारिश की है कि थोड़े वित्तीय संसाधनों वाले पत्रों की रक्षा की जानी चाहिये तथा पत्रों की पृष्ठ-संख्या के अनुसार उनके मूल्य की सूची तैयार की जानी चाहिये। आयोग ने साथ ही यह भी कहा है कि केवल इसी सिफारिश से उनकी रक्षा नहीं हो जायेगी मगर फिर भी उनको रक्षा प्रदान करने में यह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा।

जब आयोग ने इस सम्बन्ध में समाचार-पत्र उद्योग वालों के विचार जानने चाहे तो उसे उनमें बड़ा मत-वैभिन्य मिला। आयोग ने कहा है कि यह मतभेद केवल पत्र के आकार अथवा उसकी जीवन अवधि के अनुसार ही नहीं था बल्कि बहुत समय से चल रहे तथा बड़े-बड़े प्रभावशाली पत्रों ने भी पृष्ठ-संख्या के हिसाब से मूल्य निर्धारित करने का समर्थन किया है। किन्तु कई ऐसे खस्ताहाल पत्र भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। किन्तु कुल मिला कर आयोग का यही विचार था कि इस बात की बड़ी आवश्यकता है। इसके पक्ष में आयोग के तर्कों का सारांश यह था कि इससे स्वतंत्र तथा छोटे-छोटे पत्र भी बड़े-बड़े धनी पत्रों की प्रतियोगिता में ठहर सकेंगे।

अपनी रिपोर्ट के कई भागों में आयोग ने जिस बात पर जोर दिया है वह इस प्रकार है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई उद्योगों में हमने ऐसी प्रतियोगिता को स्वीकार्य माना है जैसी कि मूल्यों को घटाना तथा निग्रहण* आदि। मगर समाचार पत्र उद्योग में ऐसी प्रतियोगिता को नहीं चलने दिया जा सकता है क्योंकि इससे अन्ततोगत्वा देश के सारी प्रेस पर कुछ व्यापारिक गुट्टों का ही नियंत्रण हो जायेगा और तब हमें केवल उनके ही विचार पढ़ने को मिलेंगे। तब हमे कोई स्वतंत्र विचार नहीं मिल सकते हैं और हमारे देश में स्वतंत्र प्रेस की समाप्ति हो जायेगी।

अब मैं इसके पक्ष में दियें गये कुछ और तर्क भी गिनाना चाहता हूं। इस सभा ने यद्यपि सामान्यता इस सिद्धान्त के पक्ष में आपना विचार व्यक्त कर दिया है, फिर भी इसकी यहां पर तथा बाहर भी अभी कुछ आलोचना हो रही है। अतः मैं समझता हूं कि हमें यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि हम इस विधेयक को क्यों परिनियम पुस्तक पर रखना चाहते ह? इसके मुख्य कारण ये हैं। इस प्रकार मूल्य तथा पृष्ठ सूची निर्धारित कर देने से प्रतियोगिता में कुछ समता आ जायेगी और इससे एकाधिकरण† भी नहीं बन जायेंगे। तथा इससे समाचार पत्रों पर बड़े-बड़े विज्ञापनदाताओं का प्रभाव भी कम हो जायेगा जो कि प्रायः उनको अधिक स्वतंत्र नहीं होने देते हैं। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि इससे समाचारपत्रों को कतई विज्ञापनों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उन्हें उनकी ज़रुर जरूरत रहेगी, किन्तु एक पत्र को जब पूर्णरूपेण विज्ञापनों की आय पर ही निर्भर रहना पड़ता है तो उन्हें विज्ञापन दाताओं की इच्छा के अनुकूल चलना ही पड़ता है। उनके पास अपने प्रतिद्वंदियों से बचने को लिये इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं रह जाता है। किन्तु जब हम एक न्यूनतम उचित मूल्य निर्धारित कर देंगे तो स्वतंत्र पत्रों को अपने अस्तित्व के लिये लड़ने में और अधिक बल मिल जायेगा और यद्यपि वे इतने अमीर नहीं बन सकेंगे, मगर फिर भी यह निश्चित है कि वे अपना कार्य पहले से अच्छी तरह कर सकेंगे।

†**श्री फिरोज गांधी** (जिला प्रतापगढ़-पश्चिम व जिला राय बरेली-पूर्व) : यदि सरकारी विज्ञापकों द्वारा कोई दबाव डाला गया तो भी क्या उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा?

†**डा० केसकर** : जी हां। पत्र कुछ सीमा तक ही विज्ञपन दाताओं से स्वतंत्र हो सकते हैं और सरकार भी एक विज्ञापनदाता ही है।

---

†मूल अंग्रेजी मे

*Cornering.

†Monopolies.

[डा० केसकर]

इस योजना की यहां भी तथा बाहर भी आलोचना की गई है। इसमें सबसे पहली आपत्ति यह की गई है कि यह प्रेस की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करता है। हाल ही में मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में विदेशी पत्रों में भी आलोचना पढ़ी है।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : कौन से विदेशी पत्र–अमरीका के, रूस के अथवा चीन के ?

†**डा० केसकर** एक अमरीकन पत्र में।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह ब्रिटेन का समाचार पत्र नहीं था ?

†**डा० केसकर** : जी नहीं, यह अमरीका का पत्र था। और इसमें यह कहा गया था कि भारत की प्रेस स्वाधीन नहीं है इसके हाथों में कई बेड़ियां पड़ी हुई हैं।

यदि आप प्रेस के बारे में वित्तीय विनियम भी बनाते हैं तो यह समझा जाता है कि प्रेस को जकड़ा जा रहा है। मैंने पहले वाले उपबन्धों को बड़े ध्यान से पढ़ा है किन्तु फिर भी मेरी समझ में नहीं आया कि इससे स्वतन्त्र रूप से सम्मति देने में क्या प्रभाव पड़ता है। स्वतन्त्र प्रेस का तात्पर्य स्वतन्त्र प्रेस व्यवसाय से नहीं है जो सभी प्रकार के काम करता है, अपितु इसका तात्पर्य उस प्रेस से है जो स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी सम्मति दे सके और जिसे ऐसा करने में दण्ड न दिया जा सके। यदि हम समाचारपत्रों का विक्रय मूल्य निर्धारित कर देते हैं तो उससे वह अपनी सम्मति विशेष प्रकट करना नहीं बन्द कर देगा। तीव्र और उग्र विचार दो पृष्ठों तथा चार पृष्ठों वाले समाचार पत्रों में भी प्रकट किये जा सकते हैं। कोई दो पृष्ठों में भी ज़हर उगल सकता है, उसे इस पृष्ठों की आवश्यकता नहीं होगी। अतः मैं इस आलोचना को नहीं समझ सका हूं। यह कहा जा सकता है कि हम विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता पर नियंत्रण लगाते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि क्या स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने की कोई मात्रा भी होती है। यह सम्भव है कि कुछ पत्र कुछ अधिक सामग्री देना पसन्द करें किन्तु मेरा तो अनुभव यह है कि कुछ पत्र जिनमें अधिक पृष्ठ होते हैं, अधिक सामग्री नहीं देते। सम्भव है कि चार पृष्ठों वाला पत्र छः या आठ पृष्ठों का हो जाने पर अधिक और अच्छी पाठ्य सामग्री दे किन्तु यदि वही पत्र १२ से १६ पृष्ठों का हो जाता है तो यह आवश्यक नहीं कि पृष्ठ बढ़ जाने के कारण पाठक को अधिक दिलचस्पी जानकारी उसमें मिलेगी। उसमें विज्ञापन अथवा अन्य किसी ऐसी चीज़ की वृद्धि की जा सकती है।

† **श्री कामत** : आप इसे रोक सकते हैं।

†**श्री फिरोज गांधी** : समय आने पर इसे रोक भी दिया जायेगा।

†**डा० केसकर** : इसकी आलोचना ऐसी है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं था। कहा गया है कि इस प्रकार के विधान से अन्ततोगत्वा प्रेस की स्वतन्त्रता पर रोक लग जायेगी। पहली बात तो इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि पृष्ठानुसार मूल्य रखना कोई नई चीज़ नहीं है। युद्ध काल में इस देश में यह चीज़ चली थी और काफी वर्षों तक चलती रही। इस काल में प्रेस को कोई हानि नहीं हुई। इंगलैंड में तो यह प्रथा अब भी प्रचलित है और ग्रेट ब्रिटेन में पिछले १५ वर्षों से यह चीज़ लागू है।

हाल ही में जब ब्रिटिश सरकार ने इसे शीघ्र ही समाप्त करने का विचार किया तो इस पर दिलचस्प प्रतिक्रिया यह हुई कि पृष्ठानुसार मूल्य प्रथा को समाप्त करने को बहुत से पत्रों ने विरोध किया। केवल दो-एक बड़े बड़े पत्र इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। इंग्लैंड मे सब से अधिक बिक्री वाले पत्र तक पृष्ठानुसार मूल्य को समाप्त करने के खिलाफ हैं। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि

---

†मूल अंग्रेजी में

हम कोई नई या अनोखी चीज करने जा रहे हैं अथवा कि प्रेस आयोग ने किसी ऐसी चीज का सुझाव किया है जिसके बारे में संसार भर में कोई नहीं जानता। मैं यह न केवल इस देश में ही अपितु इसके बाहर भी की गई आलोचना के उत्तर में कह रहा हूं। ग्रेट ब्रिटेन में इस तरह की चीज थी और प्रेस की स्वतंत्रता कभी खतरे में नहीं थी। अतः यहां इस चीज को लागू करने से मैं नहीं समझता कि आज के पत्रों की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जायेगा।

कुछ बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के मालिकों ने यह आलोचना की है कि आप बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य प्रशंसनीय और वांछनीय है किन्तु हमें इस बात की आशंका है कि जिन समाचार पत्रों की स्थिति सुदृढ़ नहीं है और आप उनकी सहायता नहीं कर सकते, उनको इससे क्या सहायता मिलेगी ?

कुछ यह भी आलोचना की गई थी कि यद्यपि उद्देश्य प्रशंसनीय है फिर भी इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और छोटे पत्रों की सहायता नहीं हो सकेगी। यह इस पर निर्भर करेगा कि यह तालिका किस प्रकार बनाई जाती है।

दूसरे, उन लोगों ने इस संबंध में यह तर्क दिया है कि किसी पत्र की उन्नति या अवनति कितना विज्ञापन से मिलता है इस पर निर्भर करती है। यह चीज आंशिक रूप में सही हो सकती है। यदि किसी पत्र का उचित निर्धारित मूल्य है तो मुझे विश्वास है कि वह अपनी सेवा के बल पर बड़े-बड़े पत्रों का सामना कर लेगा। यह सम्भव है कि उसे लाभ अधिक न हो अथवा बड़े पत्रों के बराबर न हो किन्तु उसके सामने पत्र को बन्द कर देने की नौबत नहीं आयेगी। जैसे कि कुछ राज्यों में आ चुकी है।

इस संबंध में व्यक्त किये गये अनेक प्रकार के विचार मैंने देखे हैं जिनमें सभी को मैं उद्धृत नहीं करना चाहता। हाल ही में इस देश की प्रादेशिक भाषा के एक महत्वपूर्ण पत्र के मालिक ने पृष्ठानुसार मूल्य के पक्ष में जोरदार भाषण देते हुए इस तर्क का खंडन किया कि इससे किसी भी प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लग जायेगा प्रेस के विभिन्न हितों, श्रमजीवी पत्रकारों, सम्पादकगण तथा मालिकों से हमारी काफी चर्चा तथा विचारों का आदान-प्रदान हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय प्रेस पृष्ठानुसार मूल्य रखने के पक्ष में हैं। वस्तुतः उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पृष्ठानुसार मूल्य को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिये जिससे पत्रों की गिरती हुई वित्तीय स्थिति संभाली जा सके और उन्हें कुछ संरक्षण दिया जा सके। यहां पर तथा प्रेस के अधिकांश व्यक्तियों ने यही विचार प्रकट किया है जिससे सरकार अन्ततोगत्वा इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। ग्रेट ब्रिटेन में यह चीज लागू थी और अब भी है। हमारे यहां भी पृष्ठानुसार मूल्य की प्रणाली थी। इसका उद्देश्य छोटे पत्रों का संरक्षण न करके अखबारी कागज को बराबर बराबर बांटना था। छोटे पत्रों की संख्या सहायता करने के लिये पहली बार पृष्ठानुसार मूल्य निर्धारित किया जायेगा। यह किस प्रकार होगा इसके बारे में हम अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। इसी कारण से हमने विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि संसद से पारित हो जाने के पश्चात इस अधिनियम की अवधि पांच वर्ष होगी। ऐसा इसलिये किया गया है कि हम यह देख सकेंगे कि यह अधिनियम किस प्रकार चलता है और यदि ठीक हुआ तो इसे पुनः लागू कर देना सरल होगा। स्वयं छोटे छोटे पत्रों का विचार इस बारे में भिन्न-भिन्न है। हम कह चुके हैं कि अधिकांश पत्रों की इच्छा तथा संसद की राय यह है कि इसकी पूर्ण-रूपेण जांच करना अनिवार्य है। यदि जांच सफल सिद्ध हुई तो हम इसे सामचार पत्रों के हित में जब तक इसे चलाना आवश्यक होगा, चलाते रहेंगे। आज इस विधेयक को यहां रखने का यही कारण है।

जहां तक इस विधेयक का संबध है,मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दो बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि विधेयक को एक तालिका निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त होती है। प्रेस के लोगों से जब हमने बातचीत की तो पता लगा कि जब तक हमें शक्ति प्राप्त

[डा० केसकर]

न हो तब तक उन सब को एकत्र करना और उनकी राय लेकर अन्ततोगत्वा एक तालिका बनाना कठिन कार्य है। अतः हमने महसूस किया कि यह अधिक व्यावहारिक होगा कि हम तालिका निर्धारित करने की शक्ति पहले प्राप्त कर लें और उसके पश्चात ही आगें बढ़ें। निस्सन्देह ही हमने अन्य पत्रों से परामर्श करने के बारे में कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही की है किन्तु जब तक सरकार को संसद् द्वारा और आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त न हो तब तक विस्तृत रूप से परामर्श करना व्यर्थ ही होता। यही कारण है कि ऐसे विधान में, जो सभा के सम्मुख रखा गया है, केवल कार्य करने की शक्ति प्राप्त की गई है। यह तालिका स्वयं प्रेस वालों से परामर्श करने के पश्चात निर्धारित की जायेगी।

दूसरी बात यह है। राज्य सभा में चर्चा के दौरान में यह स्पष्ट कर देने के पश्चात भी मैं देखता हूं कि अभी भी अस्पष्टता फैली हुई ह या कुछ लोग विधेयक और उसके उद्देश्यों के बारे में अस्पष्टता बनाये रखना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप यह स्पष्ट है कि किसी भी समाचार पत्र का मूल्य और उसकी पृष्ठ संख्या निर्धारित कर देना उद्देश्य नहीं है। वास्तविक उद्देश्य तो मूल्य और पृष्ठ संख्या में संबंध स्थापित करना है अर्थात् हम किसी पत्र वाले से नहीं कहना चाहते "यह आप केवल २० पृष्ठों का पत्र छापिये"। हम तो यह कहते हैं कि "यदि आप २० पष्ठों का पत्र निकालना चाहते हैं, तो आप को पत्र का एक निश्चित मूल्य रखना होगा।" पत्र को मनमाने पृष्ठों का निकाला जा सकता है बशर्ते कि उसका मूल्य प्रकाशित पृष्ठ संख्या के अनुसार हो। वास्तव में यदि देखा जाय तो ऐसा करने से न तो मूल्य पर ही नियंत्रण लगता है और न पृष्ठ संख्या पर ही है अपितु मूल्य और पृष्ठ संख्या में संबंध होना आवश्यक है। मैं देखता हूं जो आलोचनायें इधर उधर की जाती हैं वे इसी कारण कि इस चीज को बिलकुल गलत समझा गया है। मैं नहीं जानता कि गलतफ़हमी के कारण ऐसा होता है अथवा आलोचना की जाती है यद्यपि वे हमारा उद्देश्य अवश्य समझ गये हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इससे किसी पत्र को अपनी इच्छानुसार पृष्ठों का छापने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता केवल पत्रों की पृष्ठ संख्या उनके मूल्य के हिसाब से होनी चाहिये और इस बात का निर्णय करने के लिये उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि उनका हित किसमें है।

प्रतिद्वंदता के बारे में भी कुछ आलोचना की गई है, जिसका इतना निर्देश किया गया है और जिसके विषय में छोटे-छोटे पत्रों में इतना शोर-शराबा मचा हुआ है।

इसमें सन्देह नहीं कि पिछले सात से दस वर्षों में कुछ लोगों ने समाचार पत्र के अलावा अन्य व्यवसायों से रुपया कमा कर इस व्यवसाय में लगाया है, जैसा कि अन्य उद्योगों में होता है। ऐसे लोग किसी क्षेत्र विशेष में अपना नया पत्र इतना कम मूल्य पर निकालने लगते हैं कि जब तक कि काफी पुराना और जमा हुआ पत्र न हो उससे मूल्य में प्रतिद्वंदता नहीं कर पाता। और अन्ततोगत्वा पहले वाला पत्र बन्द कर देना पड़ता है। ऐसा गुजराती, मराठी तथा अन्य अनेक भाषा के पत्रों के साथ हुआ है। इसके पश्चात पुराने पत्र के बन्द हो जाने के बाद इस नये पत्र का मूल्य वे फिर बढ़ा देते हैं क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी न रहने से वे मनमाना मूल्य वसूल कर सकते हैं। ऐसे पत्रों के नाम भी बताये जा सकते हैं। किन्तु इतना विस्तृत ब्योरा देकर मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। गुजराती प्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख किया था। गुजराती पत्रों के बारे में इस प्रकार का बड़ा स्पष्ट उदाहरण मेरे मित्र श्री शाह ने दिया था। अन्य भाषा के पत्रों में भी यही चीज चल रही है।

अन्त में जहां तक "भाषा प्रेस" अथवा "प्रादेशिक भाषा के प्रेस" का संबंध है, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। चूंकि अंग्रेजी हमारे देश की सरकारी भाषा रही है इस कारण पहले समाचार पत्र आदि अंग्रेजी में निकले और कुछ महत्वपूर्ण पत्र अंग्रेजी में ही चलाये गये उनकी उन्नति हुई और वे जम गये। इस समय उनकी स्थिति बड़ी अच्छी ह। यह प्रमुख रूप से अंग्रेजी के सरकारी भाषा होने के कारण ही नहीं है अपितु अधिकांश आय उन्हें विज्ञापनों के द्वारा होती है। विज्ञापन का एक अलग प्रश्न है जिस पर मैं विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यह कई प्रकार से एक जटिल

प्रश्न है क्योंकि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां विज्ञापन की अधिकांश आय विदेशों से होती है और स्वत: ही उसकी अधिकांश धन राशि अंग्रेजी पत्रों के पास जाती है। इससे अंग्रेजी पत्रों की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है। अब हम शीघ्र ही अपनी भाषा को सरकारी भाषा बनाने जा रहे हैं। अत: हमारे आगामी राष्ट्रीय जीवन में एक स्वस्थ और सुदृढ़ प्रादेशिक प्रेस बन जायेगा। जब तक कि हम बंगाली, मराठी, गुजराती अथवा हिन्दी भाषा का एक अच्छा प्रेस नहीं बना लेते तब तक इस देश में लोकतन्त्र का भविष्य उतना उज्ज्वल नहीं हो सकता जितना होना चाहिये। सारी प्रादेशिक भाषाओं में अच्छा प्रेस बनाये बिना लोकतन्त्र के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। अंग्रेजी पत्रों की स्थिति सुदृढ़ होने के कारण यह कार्य बड़ा कठिन है। जहां तक प्रादेशिक भाषा के पत्रों का संबंध है, शायद कलकत्ता या मद्रास का कोई जमा हुआ पत्र हो, और प्रादेशिक भाषाओं के केवल अपवादस्वरूप कुछ पत्रों को छोड़ कर उनका स्तर बड़ा निम्न है और उनकी आय भी कम है। विज्ञापन से उनकी कुछ भी आय नहीं होती और उनकी मुश्किल से गुजर हो पाती है। मुश्किल से गुजर होने की बात केवल उन पत्रों के पत्रकारों तक ही सीमित न हो कर पत्र के व्यवसाय के लिये भी लागू होती है। यदि हम अच्छा और स्वस्थ प्रेस बनाना चाहते हैं, तो प्रादेशिक भाषा प्रेस को कुछ संरक्षण देना होगा जिससे उन पत्रों की कुछ स्थिति सुधर सके और उनकी उन्नति एवं विकास हो सके।

मेरा निवेदन यह है कि पृष्ठानुसार मूल्य एक महत्वपूर्ण उपाय है जिससे प्रादेशिक भाषा के पत्रों को काफी सहायता मिल सकती है। मैं नहीं कहता कि केवल इसी से उन्हें सहायता मिलेगी, उन्हें सहायता अन्य चीजों से भी मिलेगी क्योंकि प्रादेशिक भाषा के भी कुछ अच्छे पत्र निकल रहे हैं जो अनेक वर्षों से चल रहे हैं किन्तु उनकी उन्नति इसी कारण नहीं हो सकी कि उन्हें अंग्रेजी पत्रों की तुलना में न तो संरक्षण ही मिल सकता है और न विज्ञापन ही। यदि समाचार पत्र का एक ऐसा ढांचा बने जिसमें प्रतिद्वंदता कम से कम हो सके तो ये पत्र बहुत कुछ अपने पैरों पर खड़े होने योग्य बन सकेंगे।

माननीय सदस्यों से इस विधेयक की सिफारिश करने तथा उस पर विचार और पारित करने के संबंध में मैं ये कुछ बातें उनके समक्ष रखना चाहता था चर्चा के दौरान में जो भी बातें उठेंगी उनका उत्तर मैं बाद में दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस विधेयक के लिये कुल तीन घंटे नियुक्त किये गये हैं उनमें से मेरा विचार है कि दो घंटे तो सामान्य चर्चा के लिये रखे जायें और एक घंटा खंडश: चर्चा के लिये रखा जाये। मैं देखता हूं कि लगभग ८ सदस्य महोदय इसमें भाग लेना चाहते हैं, अत: कोई भी सदस्य १५ मिनट से अधिक समय न लें।

†**श्री चट्टोपाध्याय** (विजयवाड़ा) : मैं इस विधेयक का हर्ष पूर्वक स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें छोटे समाचार पत्रों की सहायता करने वाला एक खंड रखा गया है।

मैं इस विधेयक से सहमत तो हूं, परन्तु इसमें कई संशोधन करना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य तो है छोटे समाचार पत्रों की सहायता करना, परन्तु मुझे इस बात में सन्देह है कि यह उन छोटे तथा कम धन वाले समाचार पत्रों की वस्तुत: सहायता कर सकेगा। उनकी रक्षा तो तभी हो सकेगी जब कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी। दाम बनाय काम बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना धन के छोटे समाचार पत्र वालों के मन में बड़े समाचार पत्र वालों का एक भय तथा आतंक सा छाया रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चट्टोपाध्याय]

समाचार पत्र के कागज की उपलब्धि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। बड़े समाचार पत्रों को तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु छोटे समाचार पत्रों को वित्त की कमी के कारण से इस दिशा में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह कागज भारत में तो तैयार होता नहीं, सारा का सारा कागज विदेशों से विशेषकर नार्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड से मंगाना पड़ता है। और केवल बड़े बड़े पत्र ही इसे बाहिर से आसानी से मंगा सकते हैं। देश के कुछ एक बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अपने समाचार पत्रों के द्वारा सारे देश पर एक अधिकार सा जमा रखा है। उन्हें सरकार की ओर से विज्ञापन मिलते हैं जिसके कारण उन पत्रों की खूब बिक्री होती है। जब कि वाम पक्षीय तथा प्रगतिशील समाचार पत्रों को कोई पूछता ही नहीं, उन्हें सरकार की ओर से कोई विज्ञापन नहीं मिलता ।

और फिर बड़े बड़े समाचार पत्रों में बड़े बड़े परिशिष्टांक भी प्रकाशित होते हैं, जो जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परन्तु उन पर हुआ सारा खर्च विज्ञापनों से प्राप्त धन से पूरा कर लिया जाता है। परन्तु छोटे समाचार पत्र ऐसे परिशिष्टांक प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें विज्ञापनों से अधिक धन प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण वे बेचारे पिछड़ जाते हैं। अतः इस प्रकार के छोटे पत्रों की रक्षा करना ही इस विधेयक का उद्देश्य होना चाहिये। परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि यह विधेयक इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेगा। यह प्रजातंत्र के विकास में कुछ भी योग न दे सकेगा। उदाहरणार्थ पिछले युद्ध के दौरान में सरकार ने जो परिवर्तित मूल्य पृष्ठ अनुसूचियां लागू की थी, उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे कि विधेयक के खंड ३ के उपखंड (४) में जो विधि रखी गयी है उसमें पत्रकारों को तो छोड़ दिया गया है। मैं पूछता हूं कि पत्रकारों के बिना समाचार पत्रों में और है ही क्या ? वे ही तो पत्रों के प्राण स्वरूप हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रजातंत्र राज्य में भी पत्रकारों के साथ इतना अन्याय हो सकता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह मूल्य निर्धारित करते समय क्या वह पत्रों के आकार को भी ध्यान में रखेगी ? और फिर एक स्वतंत्र देश में समाचार पत्रों का ध्येय तो है लोगों की रचनात्मक कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देना, परन्तु जब तक स्थानीय समाचार पत्रों को उचित मात्रा में कागज उपलब्ध न किये जायेंगे तब तक यह ध्येय प्राप्त न किया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि स्थानीय पत्रों को स्थानीय समाचार प्रकाशित करने के संबंध में हर प्रकार की सुविधायें दी जायें।

और फिर अन्त में मैं खंड ७ का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि इस संबंध में कोई भी न्यायालय किसी भी शिकायत की ओर तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक वह संबंधित प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में प्राप्त न हो। मैं पूछता हूं कि इस प्रकार से उलझनों से परिपूर्ण विधि का क्या लाभ है ? हम चाहते हैं कि मूल्य-पृष्ठ अनुसूची छोटे समाचार पत्रों की हर प्रकार से रक्षा करे और उनको फलने फूलने में सहायता दे, परन्तु हम यह नहीं चाहते कि उनकी अवस्था सरकार के हाथ में सौंप दी जाये। हमें आशा है कि पत्र संबंधी विधि अनुभवी पत्रकारों द्वारा बनायी जायेगी और न कि केवल समाचार पत्रों के स्वामियों द्वारा।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैसूर) : मैं इस विधेयक के सामान्य उद्देश्यों से तो सहमत हूं, परन्तु मुझे इस बात का दुःख है कि इस विधेयक में प्रैस आयोग की सभी सिफारिशों को नहीं रखा गया है। वैसे तो यह विधेयक उत्तम है परन्तु हमें इसमें कई संशोधन करने पड़ेंगे।

आजकल दस या बीस हजार रुपये से कोई समाचार पत्र शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। उससे कोई विशेष लाभ प्राप्त करना कठिन है और फिर पत्रकारों को उचित वेतन भी नहीं दिया जा सकता। जब तक पत्रकारों को पूर्णरूपेण सुविधायें न दी जायें तब तक पत्र चल नहीं सकते। अतः इन छोटे समाचार पत्रों की सुरक्षा और सहायता की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जाये ताकि वे अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा कर सकें और उन्हें बड़े समाचार पत्र हड़प न कर जायें। अतः मूल्य पृष्ठ पर नियंत्रण रखना एक अत्यावश्यक कदम है, एक अनिवार्य उपाय है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक में दरों अथवा मूल्यानुसार पृष्ठ अनुसूची को निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बिना यह विधेयक केवल एक उपचार मात्र ही रह जायेगा। इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार किस प्रकार की अनुसूची तैयार करेगी और उसका छोटे समाचार पत्रों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि इस संबंध में दर स्पष्ट तथा निश्चित कर दिये जायें, और उन्हें विधेयक में लिख दिया जाये, ताकि बाद में कोई झगड़ा न पैदा हो। इसके बिना यह विधेयक निरर्थक है।

मंत्री महोदय ने अभी अभी यह भी कहा है कि किसी भी समाचार पत्र की कीमत इतनी होनी चाहिये जिससे यथा संभव उत्पादन के खर्च पूरे हो सकें। तो इसका तात्पर्य यह है कि पत्र मुख्य रूप से विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले धन पर निर्भर करें। मैं इस कथन से सहमत हूं, परन्तु इन बातों का अब तक कोई लाभ नहीं जब तक कि इन्हें कार्यान्वित न किया जाये। उन्होंने कार्यान्वित करने के लिये कोई भी उपाय नहीं बताये हैं।

†**डा० केसकर** : सम्भवत: माननीय सदस्य भूल गये हैं कि सरकार ने आयोग द्वारा इस संबंध में की गयी कई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, और विज्ञापन संबंधी अनुपात को तो पहले ही स्वीकार कर लिया गया है।

†**श्री मं० शि० गुरुपादस्वामी** : परन्तु मैं चाहता हूं कि कोई भी आदेश पास करने से पहले विज्ञापन के अनुपात की बात को सदा ध्यान में रखा जाये। वरन् बड़े समाचर पत्र अधिक स्थान विज्ञापनों को देंगे और छोटे पत्र उनसे वंचित रह जायेंगे।

मंत्रीजी ने यह कहा है कि वह समाचार पत्रों के पृष्ठों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करेंगे। परन्तु जब तक ऐसी सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी तब तक बड़े समाचार पत्र इसका अनुचित लाभ उठा कर अधिक धन प्राप्त करते रहेंगे।

†**डा० केसकर** : परन्तु हमने जब पृष्ठों की संख्या के लिये मूल्य निर्धारित कर दिया है तो पृष्ठों की अधिकतम संख्या को भी निश्चित करना पड़ता है। खंड ३, की धारा १ की पंक्ति १२ में स्पष्टतया लिखा है "पृष्ठों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के अनुसार लिये जाने वाले मूल्य।"

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : परन्तु उसमें पृष्ठों की अधिकतम संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि किसी भी पत्र में अधिकतम इतने ही पृष्ठ होने चाहियें।

†**डा० केसकर** : हां वैसा किया जा सकता है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : यही तो मैं चाहता हूं। आजकल जब कि कागज मिलने में इतनी कठिनाई है, पृष्ठों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। नहीं तो बड़े बड़े समाचार पत्र कागज पर अपना एकाधिकार जमा लेंगे।

छोटे समाचार पत्रों को एक और बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह है वित्त की समस्या। वित्त की कमी के कारण ही वे पत्र समाचार पत्र के कागज का स्टॉक नहीं कर सकते। जब कि बड़े समाचार पत्र धन की अधिकता के कारण उस कागज का बड़ा भारी स्टॉक रख सकते हैं। अत: जब तक पृष्ठों की अधिकतम संख्या निर्धारित न कर दी जायेगी तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। कुछ सदस्य यह समझेंगे कि इस प्रकार से पृष्ठों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगायी जा रही है। परन्तु वास्तव में यह तो केवल पृष्ठों की संख्या पर रोक लगायी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी म

[श्री म० शि० गुरुपादस्वामी]

और फिर मंत्री जी ने यह भी नहीं बताया है कि मूल्य तथा पृष्ठ में अनुपात क्या होगा। मैं समझता हूं कि चार पृष्ठों के पत्र के लिये एक आना मूल्य पूर्णरूपेण उपयुक्त है। बहुत से पत्र इसी हिसाब से मूल्य वसूल कर रहे हैं। अतः इस मूल्य को स्वीकार कर लिया जाये।

कई पत्र ऐसे हैं जो कि एक पृष्ठ के होते हैं और उनका मूल्य एक या दो पैसे होता है। वे वित्तीय दृष्टि से इतने सुदृढ़ नहीं होते कि अपने कर्मचारियों को उचित वेतन दे सकें। अतः मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के पत्रों को कहा जाये कि वे परस्पर मिल कर सहकारी संस्थायें बना लें। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जायेगी और वे अच्छी प्रकार से चलने लग जायेंगे।

यह विधान यद्यपि सीमित सा है फिर भी मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे पारित करने से पहले मेरी इन सभी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेंगे।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम–रक्षित –अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, तथा सरकार की उन सभी कठिनाइयों का अनुभव करता हूं जिनके कारण वह प्रेस आयोग द्वारा की गयी सभी सिफारिशों को इस विधेयक में नहीं रख सकी।

सर्व प्रथम मैं प्रेस आयोग द्वारा किये गये महान कार्य की सराहना करता हूं, उसने इस दिशा में बड़ा भारी अन्वेषणात्मक कार्य किया था। प्रैस आयोग के सामने समस्या यह थी कि देश की चतुर्थ शक्ति प्रैस को अधिक से अधिक स्वस्थ तथा उपयोगी बनाया जाये। उस संबंध में आयोग ने कई सिफारिशें दी हैं।

पत्रकारों तथा पत्रकारिता की दृष्टि से अत्यन्त विकसित देशों में इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता नहीं है। परन्तु भारत जैसे महान प्रजातंत्रात्मक देश में तो प्रेस संबंधी विधि बना कर सारी व्यवस्था को निश्चित कर देना अत्यावश्यक है।

आज देश में बड़े समाचार पत्रों द्वारा बड़ा बावेला सा उठाया जा रहा है। प्रेस आयोग ने तो बड़े समाचार पत्रों के मार्ग में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं किया है। वह तो यह चाहता है कि वे बड़े समाचार पत्र भी खूब उन्नति करें। परन्तु प्रश्न यह है कि प्रांतीय तथा अन्य छोटे समाचार पत्रों की सहायता कैसे की जाये।

मेरे पूर्व वक्ता ने विज्ञापनों का उल्लेख किया है। परन्तु वह तो केवल एक ही समस्या है। कोई भी समवाय किसी भी समाचार पत्र को अपने सारे विज्ञापन भेज सकता है। सरकार भी जब किसी विशेष पत्र से ही पक्षपात करती है तो उसका अन्य पत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

इसलिये प्रेस आयोग को संतुलन रखना पड़ा। प्रश्न यह था कि यदि हमें जनता तक पहुंचना है तो ऐसा, स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा ही संभव हो सकता है, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी समाचार पत्रों से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है।

हमने श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी भुगतान के संबंध में जब विधान पारित किया था तब भी यही समस्या थी। हम जानते थे कि यदि जिला समाचार पत्रों को उत्तर जीवित रहना है तो हम जिन निर्बन्धनों को रखने पर विवश हैं उनसे उनकी अधिक सहायता न होगी। परन्तु हम इस तथ्य को भी जानते थे कि यदि हम समाचारों का उच्च स्तर तथा समाचारों की कर्म विषयता में निष्कपटता का उच्च स्तर चाहते हैं तो पत्रकारों को, श्रमजीवी पत्रकारों को और उन सभी लोगों को उचित मजूरी देनी होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार यहां फिर हमारे सामने यही समस्या थी । क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे समाचार पत्र सुदूर के गांवों में पहुंचें । क्या कोई बता सकता ह कि बम्बई का कोई समाचार पत्र थाना जिले के मध्यवर्ती गांव में जहां आदिम जाति के लोग रहते हैं, पहुंचेगा ? यह असम्भव होगा । ऐसा केवल जिला समाचार पत्र द्वारा ही सम्भव हो सकता है । दिल्ली को लीजिये । यहां कई सौ समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं । ऐसे समाचार पत्र भी हैं जो विष के कीटाणु फैलाते हैं । इन्हें कैसे बन्द किया जाए ? इसीलिये मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को स्वीकार करने से इस समस्या का समाधान हो जायेगा और पत्रिकारिता में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

यह विधेयक कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करता है । दैनिक समाचार पत्र में सौ पृष्ठ छापे जा सकते हैं परन्तु इस स्थिति में चार पृष्ठ प्रति आना की दर से भाव रखना होगा । पृष्ठ बढ़ाने से दाम भी बढ़ता जायेगा । इसलिये सीमा या अधिकतम, समाचार पत्रों के एक विशिष्ट भाव पर बिकने की क्षमता द्वारा परिसीमित है ।

इसी प्रकार न्यूनतम जैसी भी कोई बात नहीं है । न्यूनतम वह है जितना कोई दे सके । परन्तु विशिष्ट प्रसामान्य से आप शुरू करेंगे । यदि आप इससे आगे जाना चाहते ह तब इससे देश के छोटे समाचार पत्रों के लिये कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिये । इस विधेयक का यही उद्देश्य है ।

मुझे मालूम है कि कुछ क्षत्रों में यह कहा जा रहा है कि सम्भवत: समाचार पत्र, समाचार पत्र नहीं रहेंगे और वे विज्ञापन पत्र बन जायेंगे । यह आशंका प्रकट की गई है । इसमें भय की कोई बात नहीं है । मेरे विचार में होगा यह कि विज्ञापन सामग्री अब सभी ग्राम्य समाचार पत्रों में बंट जायेगी ।

हमें यह याद रखना चाहिये कि इस सभा में आने वाले सभी विधानों का किसी अन्य विधान से संबंध होता है । प्रेस परिषद इस बात का ध्यान रखेगी कि इससे संबंधित प्रत्येक विधान के प्रवर्ती पहलू, हम इस देश में जो सामान्य उद्देश्य चाहते हैं उसके अनुकूल होंगे ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री भक्त दर्शन (जिला गढ़वाल पूर्व व जिला मुरादाबाद उत्तर पूर्व) : समाचार (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक यहां पर हमारे माननीय मंत्री डा० केसकर जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं । जैसा कि विधेयक के मन्तव्य में दिया गया है, समाचार पत्रों के अन्दर अनुचित होड़ को रोकने, जिसमें समाचार पत्रों के स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने का और भी अधिक अवसर प्राप्त हो सके, समाचार पत्रों के मूल्य को उनकी पृष्ठ संख्या के आधार पर विनियमित करने और तत्संबंधी उपबन्ध करने के लिये यह विधेयक लाया गया है ।

इस विधेयक के मूल सिद्धांतों के संबंध में चूंकि सारे देश में और उस सदन में कोई मतभेद नहीं रह गया है, इसलिये इस बारे में मैं अधिक समय इस सदन का न लेकर, जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, वहां मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रेस आयोग ने जितनी महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, उनमें से अभी तक दो वर्ष के परिश्रम के बाद भी केवल दो मदों पर ही कार्रवाई हो सकी है । एक तो प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो गई है और दूसरे श्रमजीवी पत्रकारों के संबंध में पिछले दिनों एक विधेयक स्वीकार किया गया है । यद्यपि इसके संबंध में जो प्रगति हो रही है, उस से हमें सन्तोष नहीं है, यहां तक कि हम लोगों ने जो आशा की थी कि बड़ी शीघ्रता से नियम बनेंगे और उनके अन्तर्गत पत्रकारों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जायेगा, वह आशा भी अब धीरे धीरे मिटती जा रही है । मुझे तो सन्देह है कि शायद ही सन् १९५६ के अन्त तक हमारी उन आशाओं की पूर्ति हो सके ।

[श्री भक्त दर्शन]

इसके साथ ही यह जो विधेयक रखा गया है, वह राज्य-सभा से स्वीकार किया जा कर इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत है। जहां तक प्रेस कौंसिल (परिषद) का संबंध है, उसे राज्य-सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि कार्य भार भी उस सभा के सामने इतना अधिक है, कि उस विधेयक पर इस सत्र में शायद ही विचार किया जा सके। हमें अगले सत्र तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तभी शायद हम इस सदन में उस पर विचार करके उसको स्वीकार कर सकेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज से दो वर्ष हुए जब प्रेस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। दो वर्षों से आज तक समय समय पर दोनों सदनों में इस प्रश्न पर विचार होता रहा है, और मैं ऐसा कहने में कोई कंजूसी नही करना चाहता कि हमारे मंत्री महोदय और मंत्रालय ने इस संबंध में काफी परिश्रम किया है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है, जैसे कि अखबारी कागज के संबंध में, जो कि विदेशों से चला आ रहा है, और एक प्रकार से इसका एकाधिकार बड़े समाचार पत्रों के हाथ में है। इस विधेयक के स्वीकृत हो जाने के बाद जब तक उस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, और छोटे पत्रों को भी बाहर से अखबारी कागज मंगाने की स्वाधीनता नहीं मिलती, या जो प्रेस आयोग ने कहा है, उसके अनुसार सारे देश में एक ही कारपोरेशन (निगम) नहीं बनता है, तब तक मैं समझता हूं कि यह मूल्य निर्धारण अधिक लाभदायक नहीं हो सकेगा।

जैसा मंत्री महोदय ने कहा, आज बहुत से विदेशी पत्रों में भी और हमारे देश के पत्रों में भी बहुत से लोग इस बात की आलोचना करने लगे हैं कि पृष्ठों के मुल्य पर जो नियंत्रण लगाया जा रहा है, वह शायद विचारों को प्रकट करने की स्वाधीनता पर नियंत्रण लगाने का एक तरीका हो, लेकिन, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया, उनकी यह दुर्भावना गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, जिन्होंने अपने को स्थापित कर लिया है, जो भारत की पत्रकारिता के प्रतिनिधि बने हुए हैं, और जिन्होंने अपना एक प्रकार से एकाधिकार और प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, वे इस सिद्धांत के जबर्दस्त विरोधी हैं और इसका स्पष्ट प्रमाण यह बात है कि भले ही हमारे मंत्री महोदय पर इसका प्रभाव बहुत न हो, लेकिन विधेयक के अन्दर ऐसा मालूम होता है कि बहुत काफी प्रभाव इस बात का पड़ा है क्योंकि हमारे मंत्री महोदय ने बतलाया कि इस विधेयक को केवल पांच वर्ष के लिये स्वीकार किया जा रहा है। यहां पर हमारे प्रेस आयोग के एक माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, और जहां तक मैंने प्रेस आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा है, मैंने कहीं पर भी यह नहीं देखा कि इस चीज को पांच वर्ष के लिये परीक्षण के तौर पर लागू किया जाय। माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा कि पिछले महायुद्ध के समय हमारे देश में पृष्ठ नियंत्रण किया गया था और इंग्लैंड में दस पंद्रह वर्षों से इस पर अब भी अमल हो रहा है। दस पंद्रह वर्षों में, जैसा कि मंत्री जी ने स्वयम् बताया, जिस किसी ने हाल में यह सुझाव इंग्लैंड में दिया कि इस नियंत्रणको हटा दिया जाय, वहां के अखबारों ने एक आन्दोलन खड़ा कर दिया कि इस नियंत्रण को न हटाया जाय। जब ब्रिटेन जैसे देश के अंदर जहां की पत्रकारिता काफी उच्च स्तर की है, यह माना जाता है कि इसको हटाना नहीं चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों केवल पांच वर्षों के लिये इस विधेयक को लाया जा रहा है। इससे मन में शंका होती है कि शायद हमारे मंत्री महोदय पर, या मंत्रालय के ऊपर, जो बड़े बड़े समाचारपत्र हैं, जिनके हितों को इस विधेयक से आघात पहुंचने वाला है, उनका प्रभाव पड़ गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नियंत्रण को इसलिये भी रक्खा जाना चाहिये कि हम अपने देश के अन्दर एक "प्लैन्ड एकानमी", (आयोजित बचत) अर्थात् एक सुनियोजित अर्थ तंत्र स्थापित करना चाहते हैं, इस प्लैन्ड एकानमी के अन्तर्गत सब जगह पर कुछ न कुछ प्लैनिंग होने जा रही है, जब हम अपने समूचे अर्थ तंत्र में इस प्लैनिंग को छा देना चाहते हैं तब जो यह विचारों के प्रकट करने का काम है, जो जनता के अन्दर प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है, यह जो महत्वपूर्ण

शस्त्र हमारे हाथ में है, उस के लिये हम केवल पांच वर्ष के लिये ही यह प्लैनिंग क्यों कर रहे हैं। इससे मुझे शंका होती है, और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस को स्पष्ट करेंगे कि वह केवल पांच वर्ष के लिये क्यों इस विधेयक को स्वीकार करने जा रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाने के संबंध में वे कहां तक आश्वासन दे सकेंगे।

जहां तक मुझे मालूम हो सका है, और जो कुछ मैंने समाचार पत्रों में देखा है, बहुत से लोग जो हमारे श्रमजीवी पत्रकार हैं उनकी आड़ लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि एक ओर तो सरकार हमसे यह कहती है कि हम श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन बढ़ा दें, और दूसरी ओर मूल्य नियंत्रण किया जा रहा है। उनका तर्क यह है कि एक ओर तो समाचार पत्रों पर यह भार डाला जा रहा है कि वेतन बढ़ाया जाये और दूसरी ओर मूल्य में कमी करने का विचार किया जा रहा है, यह दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। लेकिन जैसा कि प्रेस आयोग ने स्पष्ट कहा है, इससे बहुत अधिक भार समाचार पत्रों पर नहीं पड़ेगा और पत्रकारों का वेतन बढ़ाने के बाद भी उनको किसी बात की असुविधा नहीं होगी। जैसे एक पैसा प्रति पृष्ठ औसतन के हिसाब से लिया जाय, जैसा श्री गुरुपादस्वामी जी ने स्वीकार किया कि चार पैसे में चार पृष्ठ देने का विचार है, मैं एक पैसा प्रति पृष्ठ के हिसाब के सिद्धांत को स्वीकार करके हिसाब लगाया तो पता चला कि उसके अन्तर्गत पत्रकारों को जो वेतन बढ़ाया जाने वाला है वह भी आ जाता है, और उचित मुनाफा भी आ जाता है। इसलिये इस बारे में भ्रम नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में यह बात रक्खी जा रही है कि यह तो एक एनेबलिंग एक्ट है, माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि इस विधेयक के अन्तर्गत हम सरकार को मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दे रहे हैं, मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा रहा है, इस अधिकार को प्रयोग में लाने के पहले समाचार पत्रों से और जो पब्लिशर्स हैं, प्रकाशक हैं, उनसे परामर्श किया जायेगा। इस संबंध में मैंने कुछ संशोधनों की सूचना भी दी है कि पत्रकारों के परामर्श को किस रूप में लेना चाहिये। जैसा मैंने राज्य सभा की कार्यवाही में पढ़ा, माननीय मंत्री जी का कहना है कि इस कार्य का संबंध बिजनेस साइड से नहीं है। लेकिन मैं इस संबंध में बड़ी विनम्रता के साथ अपना मतभेद प्रकट करना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि बहुत से पत्रों के मालिक इस बात का तर्क पेश करें कि चूंकि वे पत्रकारों का वेतन बढ़ा रहे हैं इसलिये वे मूल्य नियंत्रण के नियंत्रण को पूरा नहीं कर सकते। यह सम्पादक व पत्रकार जो अखबारों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिये एक बड़ा अच्छा स्तर स्थापित किया है, एक आदर्श सामने रक्खा है, उनमें ऐसे भी लोग हैं जो कि अखबारों की सारी मैशीनरी को जानते हैं, अतः मैं चाहता हूं कि उनका भी परामर्श ले लिया जाय। जैसा सुझाव श्री जयपाल सिंह जी ने दिया कि अगर प्रेस कौंसिल (प्रेस परिषद) इस देश में होती तो यह अनिवार्य था कि उससे परामर्श लिया जाता, लेकिन चूंकि इसके बनाने में अभी काफी देर लगेगी इसलिये मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता हालांकि जैसा कि बहुत से साथियों ने कहा है कि प्रेस कौंसिल से परामर्श लिया जाय और अगर ऐसा हो सकता तो बहुत अच्छा होता।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह मूल्य तथा पृष्ठ के बारे में जो नियम बनाने वाले हैं, उनके संबंध में है। हम लोग श्रमजीवी पत्रकारों के विधेयक से बहुत आशा किये हुए थे, लेकिन अब वह एक प्रकार से कहीं निराशा में परिणत न हो जाय। अब तक वह इस नियम सदन के सामने नहीं आ सके, लेकिन क्या हम यह विश्वास करें कि सन् १९५६ के अन्त तक, या वर्तमान पार्लियामेंट के जीवन की समाप्ति के पहले इस विधेयक के अन्तर्गत बनने वाले नियम स्वीकृत हो जायेंगे। कहीं ऐसा न हो कि जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सन् १९५७ आ रहा है, गदर होने वाला है, पार्लियामेंट बदलने वाली है, सरकार बदलने वाली है, युग परिवर्तन होने वाला है तब तक के लिये यह टल जाय। कम से कम हम लोगों को यह ख्याल रखना चाहिये कि सन् १९५६ की समाप्ति के पहले इस विधेयक के अन्तर्गत जो अधिकार हम ले रहे हैं, उन के अनुसार मूल्य निर्धारण हो जाना चाहिये।

डा० केसकर : जरूर होगा।

श्री भक्त दर्शन : धन्यवाद।

अब एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि हम हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उनकी रक्षा के लिये तथा उनका विकास करने के लिये ही मुख्यतः यह विधेयक ला रहे हैं। मैं उनकी इस भावना का आदर करते हुए उनके ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। उनकी इतनी उत्कट इच्छा होते हुए भी तथा सुयोग्य हाथों में इस मंत्रालय का कार्यभार होते हुए भी, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के दूसरे समाचार पत्रों के साथ अभी भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। मुझे प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो (प्रेस सूचना विभाग) की जानकारी है। वहां पर अंग्रेजी के अखबारों को ही प्रधानता दी जाती है। यहां तक कि अंग्रेजी अखबारों की तो १६–१६ प्रतियां ली जाती हैं जब कि दूसरी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की एक-एक और दो-दो ही प्रतियां ली जाती हैं। प्रतियां लेने का आधार पर ही मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता। पर इसका मतलब यह होता है कि इन समाचार पत्रों में जनता की समस्याओं के बारे में जो बहुत से समाचार व विचार निकलते हैं उनको शायद हमारे मंत्रालय महत्व नहीं देते हैं। यह दृष्टिकोण का प्रश्न है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने पहले भी कई बार आश्वासन दिया है कि विज्ञापन देते समय जो छोटे छोटे अखबार हैं, जो हिन्दी के समाचार पत्र हैं,जो दूसरी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा और उनको हर प्रकार से प्रोत्साहन देने की चेष्टा की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है इस आश्वासन पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिये इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था .....

डा० केसकर : मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि नान-इंग्लिश पेपर्स को कितना दिया जा रहा है और इंग्लिश पेपर्स को कितना दिया जा रहा है इसको बिला जाने इस तरह का विधान यहां करना गलत होगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं केवल इस ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता था।मुझे प्रसन्नता होगी यदि मेरा अनुमान गलत सिद्ध हो। मैं केवल इतना ही कहना चाहता था कि उनके प्रयत्नों के बावजूद भी अभी तक पूरी तरह इस चीज पर अमल नहीं हुआ है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लिया जाएगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : इस विधेयक को प्रस्तुत करने पर मैं सूचना और प्रसारण मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

समितियां तथा आयोग नियुक्त किये जाते हैं, उनमें सुप्रसिद्ध व्यक्ति भी होते हैं, वे देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं, प्रतिवेदन लिखते हैं, कुछ व्यक्ति विभिन्न टिप्पणियां भी प्रतिवेदन में संलग्न करने का कष्ट करते हैं परन्तु उसके बाद प्रतिवेदन के संबंध में कुछ सुनने में नहीं आता। परन्तु सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने जो प्रेस आयोग नियुक्त किया था उसने अत्याधिक श्रम, सोच विचार के बाद अमूल्य सुझाव दिये हैं। मंत्रालय ने अधिकतर सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है। अच्छा हो यदि अन्य मंत्रालय भी ऐसा ही करें।

†**श्री फिरोज गांधी :** और अधिक आयोग नियुक्त करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं यह नहीं चाहता कि वे अधिक आयोग नियुक्त करें बल्कि जिन्हें नियुक्त किया जा चुका है उनके प्रतिवेदनों को कार्यान्वित करें। मैं इस विधेयक का इस कारण भी स्वागत करता हूं कि यह लोकतंत्रीय ह। लोकतन्त्र का उद्देश्य जन साधारण की या यूं कहिये कि छोटे व्यक्तियों की सुरक्षा तथा उनके हितों का परित्राण करना ह। यह विधेयक लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है क्योंकि यह बिना किसी अन्य भाषा के समाचार पत्रों को हानि पहुंचाये देशीय भाषाओं के समाचार पत्रों के हितों की सुरक्षा करेगा।

मेरे विचार में आज अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ने वाले यदि पांच व्यक्ति हैं तो हमारी पीढ़ी समाप्त होने के पश्चात्, शायद ही एक व्यक्ति उन्हें पढ़ेगा।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

भविष्य देशीय भाषा संबंधी समाचार पत्रों का है। आप किसी गांव या कस्बे में जायें तो वहां अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं बल्कि बाजारों में, घरों में लोग देशीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हुए पायेंगे। इन्हें भारत में जनता के विचारों को एक सांचे म ढालना है। परन्तु अब तक इनकी परिस्थिति अत्यंत शोचनीय है। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक से उनकी अवस्था में सुधार होगा और यह विधेयक हमारे संविधान के लोकतंत्रीय सिद्धांतों के अनुकूल है।

विभाजन के बाद मैंने इस देश में एक विचित्र बात देखी है। जब मैं संयुक्त पंजाब में था तब कुछ प्रांतीय महत्व तथा अखिल भारतीय महत्व के समाचार पत्र देखने में आते थे। कितने ही समाचार पत्र जिला स्तर पर प्रकाशित होते थे। वे स्वस्थ दिशाओं में विशिष्ट प्रवेश की राय को उन्नत करते थे। विभाजन के बाद ये जिला समाचार पत्र लुप्त हो गये हैं। बड़े बड़े समाचार पत्रों ने इन छोटे समाचार पत्रों को हड़प कर लिया है। लोकतंत्र बड़े समाचार पत्रों द्वारा नहीं बल्कि छोटे समाचार पत्रों द्वारा, प्रादेशिक समाचार पत्रों द्वारा तथा भाषा संबंधी समाचार पत्रों द्वारा फले फूलेगा।

जैसा कि मेरे मित्र श्री जयपाल सिंह ने कहा है बड़े समाचार पत्रों के अपने निश्चित सिद्धांत और नीति होती हैं। वे उसी के अनुसार अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं परन्तु छोटे समाचार पत्रों के स्वतंत्र विचार होते हैं। इसलिये इस विधेयक का प्रयोजन छोटे समाचार पत्रों की सुरक्षा करना है और इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं।

यह विज्ञापन का युग है। परन्तु विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों पर इनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। वे विज्ञापन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक होते हैं। आप समाचार पत्रों में छपने वाली चल चित्रों की समालोचना को पढ़ें। आप देखेंगे कि समाचार पत्र उन चल चित्रों की बुराई नहीं कर सकते हैं जिनके विज्ञापन उन्हें मिलते हों, और जिनके कारण उन्हें धन मिलता है। इसी पैसे से छापाखाना चलता है। अब हम इसे भी परिसीमित कर रहे हैं और इस दृष्टिकोण से यह विधेयक अत्यंत लाभकारी होगा।

विधेयक के द्वारा अनुचित प्रतियोगिता की जड़ें भी कटेंगी। मेरे मित्र श्री मैग का संबंध कई समाचार पत्रों से रहा है और वह जानते हैं कि इस अनुचित प्रतियोगिता के कारण इन समाचार पत्रों के साथ क्या बीती थी? वे इसी कारण बन्द हो गए थे। इसलिये हम एक बहुत अच्छा उपबन्ध पुरःस्थापित कर रहे हैं।

मेरा एक सुझाव है। मैं यह अनुभव करता हू कि केवल प्रकाशक ही समाचार पत्र नहीं निकालते हैं। समाचार पत्र का प्रकाशन एक सहकारी संस्था है। सम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकारों का भी समाचार पत्र प्रकाशन में उतना ही योग होता है जितना प्रकाशक का होता है। इस लिये कोई आदेश प्रख्यापित करने से पूर्व मंत्री महोदय को प्रकाशकों, सम्पादकों तथा श्रमजीवी पत्रकारों का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फिरोज गांधी** : वे एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किसी को इसका दुःख न होगा । केवल बड़े समाचार पत्र ही एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे । इन आदेशों को लोक-सभा के समक्ष भी रखना चाहिये ताकि हम उन्हें जल्दी से जल्दी देख सकें ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। कुछ लोगों की यह धारणा थी कि इससे अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य सीमित किया जा रहा ह किन्तु यह सिद्ध नहीं किया जा सका । मैं नहीं समझता कि इससे यह स्वातंत्र्य किसी प्रकार कम किया जा रहा है । जनता ने और समाचार पत्रों ने उसका स्वागत किया है । अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक से हमारे लोकतंत्र का काफी भला होगा और आशा है कि जारी किये गये आदेश इस सभा के समक्ष यथाशीघ्र रखें जायेंगे ।

†**श्री म० कु० मैत्र** (कलकत्ता–उत्तर पश्चिम) : इस देश में पत्रकारिता का इतिहास स्वातंत्र्य-आन्दोलन के इतिहास से जुड़ा हुआ है । श्री जयपाल सिंह ने हमें आज बताया ह कि ब्रिटेन में लार्ड नार्थ क्लिक ने पत्रकारिता का एक स्तर कायम किया है । इस देश में भी उनका आदर्श आ गया है जहां पत्रकारों ने पत्रकारिता को अपना एक अंतिम लक्ष्य बनाया था ।

इस शताब्दी के तीसरे शतक में जब कि गांधी आन्दोलन पूरे जोर पर था, विदेशी विज्ञापन-दाताओं ने समाचार पत्रों का नियंत्रण करने का विचार किया और सरकार ने उन्हें सहायता दी। १९३० में जब भारतीय पत्र-पत्रिकाएं विदेशी माल के बहिष्कार का प्रचार कर रहे थे तब उनसे कहा गया कि वे "ब्रिटिश माल का बहिष्कार करो" शीर्षक का प्रयोग न करें अन्यथा सभी विदेशी विज्ञापन बंद कर दिये जायेंगे । कुछ समाचार पत्रों ने तो उसके आगे सिर झुका दिया और वह भारत की पत्रकारिता के लिये एक बुरा दिन था । उसके बाद, सरकारी सचिवालय में लिखे गय अग्रलेख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किये गये और उसके बदले में उन्हें सरकारी नियंत्रण के अधीन विज्ञापन दिये गये । आज भी विज्ञापनों का वितरण उसी प्रकार होता है और मैं यह कहूंगा कि स्वतंत्र भारत में आज भी अपना मत खुले आम प्रकट नहीं किया जा सकता ।

इस विधेयक से छोटे समाचार पत्रों को, उन बड़े समाचार पत्रों की स्पर्धा से जिन्होंने सरकारी और विदेशी विज्ञापनों की आमदनी से अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, बचाने के लिये व्यवस्था की गयी है । हम जानते हैं कि बड़े समाचार पत्र केवल विज्ञापन चाहते हैं और उन्हें समाचारों की परवाह नहीं रहती । इसलिये छोटे समाचार पत्रों या जिले के समाचार पत्रों के विकास के लिये हर विधेयक का स्वागत किया जायगा ।

आवश्यकता इस बात की है कि हमारे समाचार पत्र जनता की रचनात्मक कार्यवाही का प्रचार करें किन्तु बड़े समाचार पत्रों में आधी जगह विज्ञापनों के लिये और शेष अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों के लिये रहती है जिसका परिणाम यह होता है कि इस देश की खबरों के लिये बहुत कम जगह रह जाती है । हम यह चाहते हैं कि देश की जनता के कार्यों के समाचारों को प्रमुख स्थान दिया जाये और इस लिये जिलों के समाचार पत्रों का विकास किया जाना चाहिये । उन्हें बड़े समाचार पत्रों की अनुचित स्पर्धा से बचाना होगा । किन्तु केवल इस विधेयक से ही मुफस्सिल क्षेत्रों में स्वतंत्र समाचार पत्रों का विकास नहीं हो सकता । उसके लिये कुछ और भी जरूरी है ।

पिछले ९ वर्षों में डाक-तार कार्यालयों में सस्ते दर पर दूर मुद्रकों (टेलीप्रिन्टर्स) के जरिये समाचार भेजने के लिये दूर मुद्रक लाइनें नहीं लगायी गयी ह । उसमें भाषाई समाचार पत्रों के विकास में सहायता मिलती । फिर दूसरी कठिनाई यह ह कि भाषाई समाचार पत्रों को अंग्रेजी

†मूल अंग्रेजी में

समाचारों का अनुवाद करना पड़ता है। पिछले ९ वर्षों में सरकार ने देश की प्रादेशिक भाषाओं म समाचार भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसके अलावा आज आवश्यकता इस बात की है कि अखबारी कागज के वितरण के लिये एक संविहित बोर्ड बनाया जाये। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भारत में एक इंच भी अखबारी कागज तयार नहीं किया जाता और हमें अपनी सारी जरूरत फिनलैंड, स्कैंडिनेविया, आस्ट्रिया तथा अन्य देशों से आयात करके पूरी करनी पड़ती है। इसलिये मूल्य पृष्ठ अनुसूची के साथ साथ यदि छोटे समाचार पत्रों का विकास भी हो, तो अखबारी कागज के वितरण के लिये एक संविहित बोर्ड बनाया जाना चाहिये, अन्यथा इस विधेयक का प्रयोजन विफल हो जायगा।

विधेयक के खंड २ में "दैनिक समाचार पत्र" का अर्थ है ऐसा समाचार पत्र जो सप्ताह में कम से कम छः दिन प्रकाशित होता हो। समाचार पत्र दो प्रकार के होते ह। एक तो वे जो सप्ताह में छः दिन प्रकाशित होते हैं और दूसरे रविवारीय समाचार पत्र। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे समाचार पत्र जो सप्ताह में छः दिन प्रकाशित होते हैं और बाद में रविवार संस्करण भी निकालते हैं, दैनिक समाचार पत्र समझे जायेंगे या छः दिन प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ही दैनिक समाचार पत्र समझे जायेंगे और रविवार संस्करण को साप्ताहिक समाचार पत्र समझा जायगा जिसे साप्ताहिक समाचार पत्रों के अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। आशा है मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

आगे खंड ३, उपखंड ४ में कहा गया है कि मूल्य-पृष्ठ अनुसूची बनाते समय सरकार प्रकाशकों की संथाओं से परामर्श करेगी। यहां प्रकाशकों की दो अभिज्ञात संस्थाएं हैं, एक इंडियन ऐन्ड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसाइटी और दूसरी इंडियन लैन्ग्वेज न्यूज पेपर्स एसोसिएशन। पहली संस्था का चन्दा १००० रुपये साल है और कोई छोटा समाचार पत्र उसका सदस्य नहीं हो सकता। इसलिये जब आप प्रकाशकों की संस्थाओं से परामर्श करते हैं तब आप वास्तव में पड़े समाचार पत्रों से परामर्श करते हैं। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि यह मूल्य-पृष्ठ अनुसूची निर्धारित करते समय वह छोटे समाचार पत्रों से भी परामर्श करने की व्यवस्था करेंगे ?

माननीय मंत्री ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रखते हुए, छोटे समाचार पत्रों के विकास के विषय में चिन्ता प्रकट की थी और अपने भाषण के दौरान में कहा था कि वह इन छोटे समाचार पत्रों को किसी प्रकार का संरक्षण देना चाहते हैं। यदि वे उन समाचार पत्रों को कोई अनुसहाय्य देना चाहते है तो हम उसका विरोध करते हैं। आशा है कि वे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि वे किस रूप में संरक्षण देना चाहते हैं।

†**डा० केसकर** : कोई अनुसहाय्य देने का इरादा नहीं है।

†**श्री म० कु० मैत्र** : संरक्षण का रूप क्या होगा ?

†**डा० केसकर** : उचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना।

†**श्री म० कु० मैत्र**: और एक बात है। विधेयक में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस, १५ अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर इन समाचार पत्रों के अतिरिक्त पृष्ठ प्रकाशित करने की रियायत दी जायगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या यह रियायत वाम पक्षीय समाचार पत्रों को भी दी जायगी ?

†**डा० केसकर**: जो भी विशेषाधिकार मंजूर किया जाता है वह सभी समाचार पत्रों के लि मंजूर किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री म० कृ० मैत्र** : उसके लिये मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इन कुछ थोड़े से शब्दों से मैं इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं और आशा है कि मूल्य-पृष्ठ अनसूची निर्धारित करने के साथ साथ सरकार अखबारी कागज के वितरण के लिये संविहित बोर्ड स्थापित करने की ओर ध्यान देगी; क्योंकि यदि अखबारी कागज मुफस्सिक क्षेत्रों में छोटे समाचार पत्रों को आसानी से उपलब्ध न हो तो मूल्य-पृष्ठ अनुसूची का प्रयोजन विफल हो जायगा।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेलौर) : ऐसे विधेयक पर शंका असंतोष प्रकट करने वाला मैं अकेला ही हूं। इस कारण मेरी स्थिति बहुत विचित्र है। प्रेस आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उन सब को ले कर एक व्यापक विधेयक सभा के समक्ष रखने के बजाय कुछ थोड़े से पहलुओं को लेकर छोटे-छोटे विधेयक रखे जा रहे हैं जिनमें यह विधेयक तो कोई जरूरी नहीं मालूम होगा।

मैं यह नहीं कहता कि छोटे समाचार पत्रों को संरक्षण न दिया जाये किन्तु इस विधेयक में पुराने अखबारों पर जिस प्रकार का नियंत्रण रखने का प्रस्ताव किया गया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि मालिक, कर्मचारी या पत्रकार तथा सरकार के बीच झगड़े में उपभोक्ता को सब से अधिक हानि उठानी पड़ रही है क्योंकि समाचार पत्रों में स्वातंत्र पर जो नियंत्रण रखा जायगा उससे उपभोग्ता के हितों पर निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा।

खंड ३ के अनुसार विधेयक में मुख्यत: अखबारों के दाम निश्चित करने, ज्यादा से ज्यादा या कम से कम पृष्ठ निर्धारित करने, अखबारों के आकार तथा क्षेत्रफल बनाने और अन्य विषयों की तुलना में विज्ञापनों के लिये दी जाने वाली जगह निर्धारित करने की व्यवस्था की गयी है। सरकार को इनमें से प्रत्येक बात पर सावधानी से विचार करना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह खास कर इसलिये जरूरी है कि सरकार प्रेस रजिस्ट्रार को तानाशाही शक्तियां देने जा रही है जिससे कि वह अपनी इच्छानुसार समाचारपत्रों के साथ व्यवहार कर सके और सरकार की अपनी पसन्द के अखबारों को मदद करने के लिये बड़े अखबारों पर दबाव डाल सके। विधेयक द्वारा यह निर्बन्धन लगाया गया है कि दाम बढ़ाये बिना पृष्ठ नहीं बढ़ाये जाने चाहियें और पृष्ठ कम किये बिना दाम कम नहीं किया जाना चाहिये। किसी भी बड़े समाचार पत्र के लिये इन दोनों बातों का पालन करना बहुत कठिन है आजकल तो यह एक प्रथा सी हो गयी है कि जो भी कोई बड़ी चीज हो, उसकी निन्दा की जाये और जो भी छोटी चीज़ हो उसे प्रोत्साहन दिया जाये।

मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि छोटे अखबारों के विरुद्ध बड़े अखबारों की अनुचित स्पर्धा कहां तक सिद्ध की जा सकी है। वास्तव में कोई विज्ञापनदाता केवल पक्षपात की दृष्टि से किसी बड़े समाचार पत्र में विज्ञापन नहीं देता, बल्कि इसलिये कि इस से उसका अधिक प्रचार होगा और उसे अधिक आर्डर प्राप्त होंगे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है सरकार उन समाचार पत्रों के प्रति, जो उसकी जरुरत पूरी करते हैं और उसके बड़प्पन का प्रसार करते हैं, कुछ पक्षपात कर सकती है। इसलिये यह ठीक नहीं कि समाचारपत्रों के साथ पक्षपात किया जाये और सरकार उनके चलन या आकार में किसी तरह की बाधा उपस्थित करे।

कुछ साप्ताहिक पत्र, खासकर भाषाई पत्र, अस्थायी होते हैं। क्या इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध है कि ऐसे समाचारपत्रों पर ध्यान रखा जायगा और सरकारी सहायता या संरक्षण देने के मामले में उन्हें शामिल नहीं किया जायगा? अथवा सरकार इस तथ्य की उपेक्षा कर यह कहने जा रही है कि केवल इस कारण कि वह छोटा या नया समाचारपत्र हैं चाहे वह कितने पुराने क्यों न हो, उसे सब प्रकार से किसी भी दशा में सरक्षण देना होगा? मैं समझता हूं कि सरकार का वह आशय नहीं है। किन्तु मेरी यह धारणा है कि किसी गहरे दबाव के कारण ही यह विधेयक बनाया गया है अन्यथा सरकार इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयत्न न करती।

---

†मूल अंग्रेजी में

आगे प्रेस रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियां दी जा रही हैं कि वह किसी भी समाचार पत्र को किसी भी प्रकार का दंड दे सकेगा। खंड ५ द्वारा उसे शक्ति दी गयी हैं कि वह खंड ३ में निर्दिष्ट किसी बात के संबंध में साप्ताहिक विवरण आंकड़े मांग सकेगा, और प्रत्येक समाचार पत्र-प्रकाशक को वह आदेश मानना होगा। आगे खंड ४ का उल्लंघन कर के यदि कोई समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है या बेचा जाता है तो उस समाचार पत्र का प्रकाशक दंडनीय होगा। आगे खंड ७ के अनुसार, न्यायालय तब तक कोई हस्तक्षेप न कर सकेंगे जब तक कि प्रेस रजिस्ट्रार की ओर से शिकायत न हो। इस लिये किसी भी तरह प्रेस रजिस्ट्रार की ओर से शिकायत अवश्य रहनी चाहिये। मेरे विचार ये उपबन्ध बहुत कठोर हैं और प्रेस रजिस्ट्रार को तानाशाही शक्तियां दी जा रही हैं।

मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है कि जिन समाचार पत्रों को आवश्यकता है उन्हें सहायता दी जाये। किन्तु मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे सभी पत्रों को सहायता देना संभव होगा? सरकार अच्छे समाचार पत्र और बुरे समाचार पत्र में कैसे भेदभाव करेगी?

†**डा० केसकर** : अच्छे और बुरे समाचार पत्र का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है?

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** : सरकार की दृष्टि से वह अच्छा समाचार पत्र होगा जो उसका समर्थन करे और बुरा वह होगा जो उसका समर्थन न करे। मेरा कहना केवल यही है कि जैसी कि आज स्थिति है, सहायता देना संभव न होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस पर सावधानी से विचार किया जाये और आवश्यक संशोधन किये जायें जिससे समाचार पत्र उद्योग की स्थिति अधिक दृढ़ और स्वस्थ हो, अन्यथा उस उद्योग को और उससे अधिक उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा।

†**डा० सुरेश चन्द्र** (औरंगाबाद) : इस विधेयक के लिये माननीय मंत्री बधाई के पात्र हैं। संपूर्ण सभा की इच्छा थी कि प्रेस आयोग की सभी सिफारिशें कार्यान्वित की जांये। मैं चाहता हूं कि उन सब सिफारिशों को लेकर एक व्यापक और समेकित विधेयक रखा जाता किन्तु यदि छोटे छोटे विधेयकों द्वारा भी सिफारिशें कार्यान्वित की जाती हैं तो भी उसका स्वागत है।

जैसा कि बताया गया है, इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि अखबारों के पृष्ठों के अनुसार उनके दाम रखे जांये। श्री जयपाल सिंह और श्री गुरुपादस्वामी ने यह स्पष्ट बताया है कि पृष्ठों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या निर्धारित करने का प्रश्न नहीं है। वह उनके अधिकतम या न्यूनतम पृष्ठों की संख्या के अनुसार उनका मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है। अतः यह विधेयक देश के छोटे समाचार पत्रों के लिये लाभप्रद होगा।

श्री रेड्डी ने कहा कि आजकल की यह प्रथा हो गयी है कि छोटी चीज़ों का समर्थन किया जाये और बड़ी चीजों की निन्दा की जांये। मैं समझता हूं कि जिन छोटी चीजों को किसी से संरक्षण नहीं मिलता उनका समर्थन करना बिलकुल ठीक है। यदि सरकार छोटे हितों को संरक्षण देने के लिये विधान बनाती है, तो वह निश्चय ही बधाई की पात्र है।

कुछ सदस्यों ने खंड ३(४) पर आपत्ति उठायी है। मेरे विचार से वह महत्वपूर्ण आवश्यक खंड है और उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। सरकार को प्रकाशकों की सस्थाओं से और उन प्रकाशकों से अवश्य ही परामर्श करना होगा जिन पर इस आदेश का अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा।

हम सभी जानते हैं कि समाचार पत्र विज्ञापनों पर निर्भर करते है और अधिकार विज्ञापन विदेशी होते हैं और वे अंग्रेजी समाचार पत्रों को दिये जाते हैं। यह बहुत अनुचित है कि अधिकतर विज्ञापन अंग्रेजी पत्रों को दिये जांये। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि विज्ञापनों का विवरण उचित

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सुरेश चन्द्र]

हो और भाषाई समाचारपत्रों के लिये अधिक उचित हों। तभी हम देश में सुदृढ़ भाषाई समाचार पत्र चला सकेंगे और सस्ते दरों पर जनता को समाचार दे सकेंगे। अन्त में मैं इस विधेयक का स्वागत करते हुये मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

†**डा. केसकर** : मुझे प्रसन्नता है कि सभा का बहुमत इस विधेयक के पक्ष में है। श्री रेड्डी ही इस विधेयक के एकमात्र विरोधी हैं और मैंने उनके तर्क बहुत ध्यान से सुने हैं। उन्होंने किस प्रकार के दबाव की ओर निर्देश किया है। दबाव समाचारपत्रों और इस संसद् की ओर से रहा है। अतः सरकार को संसद् की राय पर और समाचार पत्रों की मांग पर ध्यान देना ही पड़ा। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि अन्य किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। वास्तव में मैं स्वयं ऐसे विधेयक के प्रति उदासीन था क्यों कि उससे आप पर एक बहुत कठिन उत्तरदायित्व पड़ता है। आप कोई भी मूल्य निश्चित करें और अवश्य ही कोई यह कहेगा कि यह दर हमारे लिये उपयुक्त नहीं है। इसलिये मैं इससे सहमत हूं कि सरकार को यह मामला नहीं उठाना चाहिये। यह ऐसा उत्तरदायित्व नहीं है जिसे हम खुशी से या मामूली तौर से उठाने चाहते हैं, किन्तु हम बहुमत की और समाचारपत्रों की मांग की उपेक्षा न कर सके।

कुछ सामान्य सिद्धान्तों के बारे में मैं संक्षेप में दो तीन बातें कहना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि प्रेस आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने में हम बहुत धीमे हैं। सरकार की ओर से मैं यह कहूंगा कि वह बहुत अनुचित आरोप है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आयोग ने कुछ थोड़ी ही सिफारिशों के संबंध में सरकार से विधान बनाने के लिये कहा है ७ उनमें मुख्य प्रेस परिषदों का विषय है जिसके संबंध में विधान पहले ही राज्य सभा में पुरःस्थापित किया जा चुका है। अतः आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने में विलंब का आरोप अब भी लगाना वास्तव में अनुचित है। किन्तु बहुत सी सिफारिशें उद्योग के लिये, पत्रकारों तथा अन्य लोगों के लिये हैं। वे उन पर ध्यान दें। हम अवश्य ही उन्हें कहेंगे कि वे उन सिफारिशों पर ध्यान दें। किन्तु उस प्रयोजन के लिये विधान बनाने के लिये आप सरकार से न कहें। फिर आयोग का वह आशय भी कभी नहीं था।

पहला प्रश्न यह है कि यहां अनुसूची नहीं दी गयी है। मैं स्वयं चाहता हूं कि उस संबंध में माननीय सदस्यों को कुछ बताया जाता किन्तु मेरा ख्याल है कि वह बिलकुल व्यावहारिक नहीं है। वह संसद के सामने कोई नियम प्रस्तुत करने या कोई अनुसूची रखने का केवल प्रश्न नहीं है। वह अखबारों के लिये दर निश्चित करने का प्रश्न है, जो दो महीने या छः महीने में बदलते रहेंगे ; क्यों कि वे दर कई बातों पर निर्भर रहेंगे। उदाहरणार्थ यदि अखबारी कागज का दाम कल एका-एक बढ़ जाता है, तो अखबारों को वे पुराने विशिष्ट दर कायम रखना संभव नहीं होगा। मान लीजिये हम अस्थायी दर इस सभा के मतदान पर निर्भर रखते हैं तो उससे उद्योग में एक बहुत बड़ी खलबली मच जायगी। यदि माननीय सदस्य अन्य उद्योगों को देखें तो उन्हें मालूम होगा कि जहां दर या मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न होता है वह कार्यपालिका के आदेश द्वारा होता है। यदि सरकार गलत निश्चय करती है तो सभा को उससे पूछने का पूरा हक है। किन्तु यदि माननीय सदस्य यह कहें कि प्रत्येक बार दर निर्धारित करने के पहले यहां चर्चा हो, मतदान हो और तब दर निर्धारित किये जायें तो मेरे विचार से समाचार पत्र उद्योग को आप बड़ी अनुचित स्थिति में डाल देंगे। उससे समाचार पत्रों की बड़ी अनिश्चित स्थिति हो जायगी। हो सकता है कि उससे किसी विशिष्ट दर या मूल्य के लिये मांग शुरू हो जायगी, जो कि बहुत अवांछनीय है।

अतः मैं आशा करता हूं कि इस के लिये वे आग्रह नहीं करेंगे। यदि मेरे मित्र श्री गुरूपादस्वामी यह समझते हैं कि सरकार ने ठीक दरें निश्चित नहीं की हैं तो वे इस के लिये सरकार से कह सकते हैं। ऐसा करने का संसद् को अधिकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि सरकार इस विषय में कार्यवाही कर रही है, तो इस कारण नहीं कि वह यह काम संसद् के सामने नहीं लाना चाहती बल्कि इसलिये कि व्यवहारिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। इस विषय पर बाद में कभी भी चर्चा हो सकती है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिये कि समाचारों का मूल्य निश्चय करके उन की पारस्परिक स्पर्धा को दबाना चाहते हैं। यह असत्य है। समाचार पत्र का अच्छा होना स्पर्धा पर ही निर्भर करता है। यदि कोई पत्र लोकप्रिय नहीं है तो उसमें कोई अच्छाई नहीं है। पत्रों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये अनुचित स्पर्धा नहीं होनी चाहिये। हम ऐसी स्पर्धा को बन्द करना चाहते हैं। किन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि एक उचित स्पर्धा की भावना बनी रहे। पत्रों में चित्ताकर्षक विषय होना चाहिये ताकि उन के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ सकें। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि लोगों की यह धारणा ठीक नहीं है कि हम केवल छोटे पत्रों की रक्षा करना चाहते हैं। हम पत्रों के अनुचित मूल्य बन्द करना चाहते हैं और उचित स्पर्धा को रखते हुये छोटे पत्रों को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हम बड़े पत्रों के रास्ते में अड़चन नहीं डालना चाहते। ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहां १५ बर्ष से मूल्य और पृष्ठ तय होने पर भी वहां के बड़े पत्रों की तीस चालीस लाख प्रतियां बिकती हैं।

अंत में, मैं प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैंने प्रारम्भ में यह कहा था कि ये उपबन्ध इस स्वतंत्रता को दबाने के लिये नहीं है। इस के विपरीत, इससे पत्रों की ओर अधिक स्वतंत्रता मिल सकेगी। इस बात को अनेक पत्रों ने भी कहा है। हम तो स्वयं यह नहीं चाहते कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कोई कुठाराघात किया जाये। हम अनेक प्रकार के विनियम नहीं चाहते। हम ने तो प्रेस और संसद् की राय से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वह जनहित में कर रहे हैं। हमने इस विधेयक में यह उपबन्ध नहीं किया है कि हम पत्रकारों और सम्पादकों से परामर्श लेंगे। यद्यपि हम उन के महत्व को जानते हैं तथापि यह विषय पत्रों के व्यापारिक पहलू से सम्बन्धित है। हम उनसे सम्पर्क रखेंगे। फिर मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि केवल पत्रकार होने के कारण ही कोई व्यक्ति हमें पत्र विषयक सब प्रबन्ध के बारे में सलाह दे सकता है। हम सम्बन्धित व्यक्तियों की राय अवश्य लेंगे किन्तु उन की राय को मानने के लिये हमें बाध्य नहीं किया जा सकेगा। मैं यह नहीं समझता कि पत्रकारों अथवा सम्पादकों का प्रबन्ध से अधिक सम्बन्ध होता है। यह हो सकता है कि सहकारिता के आधार पर कोई पत्र चल रहा हो और हम उनकी राय ले सकते हैं। फिर भी यह बात मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनकी सलाह को अनिवार्य रूप से नहीं माना जा सकता।

इस के बाद मैं प्रेस रजिस्ट्रार के बारे में कहना चहता हूं। प्रेस रजिस्ट्रार को यह शक्ति दी जा रही हैं वह मूल्य और पृष्ठ की अनुसूची को लागू करे, क्योंकि इस बात को देखने के लिए कि समाचार पत्र इसका उल्लंघन नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करना आवश्यक है। इस काम को हम वैसे ही नहीं छोड़ सकते। प्रेस रजिस्ट्रार इस अनुसूची के बारे में यह देखेगा कि पत्र इस का पालन करते हैं या नहीं और जो पालन नहीं करेंगे उन के विरुद्ध वह शिकायत दर्ज करेगा।

यदि प्रेस रजिस्ट्रार उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज न करे तो मैं समझता हूं कि वह अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकता। प्रेस जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य के लिये यदि हम किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त न करें, तो यह काम कैसे चल सकता है।

दूसरा प्रश्न विशेषांकों के बारे में है। जिन माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है, यदि वे ध्यान पूर्वक विधेयक का अध्ययन करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि इस में विशेष अवसरों पर विशेषांकों के लिये अनुमति देने का ही उपबन्ध किया है और वाणिज्यिक विशेषांकों की अनुमति नहीं दी गई है। उदाहरण के लिये, हम पत्रों से यह आशा करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आदि के अवसर पर वे अपने विशेषांक निकालेंगे। किन्तु वाणिज्यिक विशेषांकों का यहां कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। अतः मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस बहाने से पत्र अपने पृष्टों की संख्या नहीं बढ़ा सकेंगे।

[डा० केसकर]

इस के बाद कुछ बातें पत्रों के मूल्यादि के बारे में कही गई हैं। प्रति पृष्ठ क्या मूल्य हो इस का यहां निश्चय नहीं किया जा सकता। इस विधेयक के पारण के बाद हम छोटे-मोटे सब पत्रों के प्रतिनिधियों को बुला कर उन से ये बातें तय करेंगे। इस के लिये भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जिन्होंने मूल्य के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं उनकी बातों पर भी ध्यान दिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि समाचार पत्रों में अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये जिससे समाचार पत्रों को अपने विचार प्रकट करने के लिये और अधिक अवसर प्राप्त हो सके, समाचारपत्रों के मूल्य को उनकी पृष्ठ संख्या के आधार पर विनियमित करने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

जिप्सम

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब जिप्सम पर आध घंटे के लिये चर्चा करेगी।

†**श्री भक्त दर्शन** (जिला गढ़वाल—पूर्व व जिला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व) : १३ अगस्त को मेरे मित्र श्री सी. आर. नरसिंहन् साहब ने तारांकित प्रश्न संख्या १०१८ प्राकृतिक संसाधन मंत्री महोदय से इस आशय का पूछा था कि हमारे देश में जब जिप्सम पूरी मात्रा में हो रहा है तब उसे सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्टरी तथा दूसरे कारखानों के लिये विदेशों से और खासकर पाकिस्तान से मंगाने की क्या आवश्यकता है। इसीलिये यह आध घंटे का विवाद यहां प्रारम्भ किया जा रहा है और मुझे आशा है कि माननीय उत्पादन मंत्री जी इस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे कि किस कारण से अपने देश के अन्दर जिप्सम पूरी मात्रा में होते हुये भी बाहर से जिप्सम मंगाना पड़ रहा है।

जहां तक हमारे देश में जिप्सम के उत्पादन का प्रश्न है, सरकारी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि सन् १९५२ में हमारे देश में ४,११,२०४ टन जिप्सम निकाला गया, सन् १९५३ में ५,८५,८३९ टन निकाला गया, और सन् १९५४ में ६,१२,००० टन जिप्सम हमारे देश में निकाला गया, अर्थात प्रत्येक वर्ष में हमारे देश के अन्दर इस मामले में प्रगति होती चली जा रही है और अधिक से अधिकतर मात्रा में जिप्सम का उत्पादन हो रहा है।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** (खम्मन) : क्या माननीय मंत्री हिन्दी समझ सकते हैं?

श्री भक्त दर्शन : मेरा अनुमान है कि माननीय उत्पादन मंत्री महोदय यद्यपि हिन्दी में बोल नहीं सकते लेकिन वह मेरे आशय को समझ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री भक्त दर्शन : हमारे देश में इस समय जो खानें जिप्सम के सम्बन्ध में चल रही हैं उनके सम्बन्ध में जिआलाजीकल (भूतत्वीय) विभाग ने आंकड़े दिये हैं उनसे ज्ञात होता है कि राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर में विशेषकर जिप्सम निकलता है, उसके बाद मद्रास के तिरुचिरपल्ली में निकलता है और उसके बाद कच्छ और सौराष्ट्र में मिलता है। इसके सिवा काश्मीर में, हिमाचल

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ऋषिकेश और लछमनझूला के पास भी जिप्सम पाया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि जितना जिप्सम हमको चाहिये उतना हमारे देश में मिल सकता है। सरकारी आंकड़ों से यह भी ज्ञात होता है कि जिप्सम के हमारे रिजर्व ७४ मिलियन टन हैं, यानी अनेक वर्षों तक हमारे देश में जिप्सम की कमी नहीं हो सकती।

जब हमारे देश में यह हालत है तब मैं उत्पादन मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब जैसा कि १३ तारीख को एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि देश के अन्दर इतनी मात्रा में जिप्सम होता है, तो फिर पाकिस्तान से क्यों मंगाया जा रहा है। उस तारीख को पूरक प्रश्न करने पर हमसे कहा गया था कि यह प्रश्न उत्पादन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये। बाद में जब यह पूछा गया कि क्या उत्पादन मंत्रालय या दूसरे विभाग सिंदरी के लिये अथवा दूसरे कारखानों के लिये पूरी मात्रा में जिप्सम दे सकते हैं या नहीं तो श्री केशव देव मालवीय जी के शब्द ये थे :

> "हमारे पास अच्छी प्रकार का जिप्सम पर्याप्त मात्रा में है यदि उत्पादन मंत्रालय अथवा अन्य किसी मंत्रालय की कोई मांग हुई तो हम उनकी सहायता कर सकेंगे।"

इस निश्चित उत्तर के प्रकाश में मेरी समझ में नहीं आता कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सिंदरी के लिये और दूसरे कारखानों के लिये बाहर से जिप्सम मंगाया जाता है।

अब मैं इसके बारे में केवल इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि और देशों से चाहे जिप्सम मंगाया जाये या न मंगाया जाये लेकिन पाकिस्तान से जिप्सम मंगाने का क्या कारण है। पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग तो शायद समझते हैं कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण हैं। उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। कभी भी हमारे और उनके बीच तनातनी हो सकती है और इस वजह से अगर हमें जिप्सम मंगाना है अपने कारखानों को चालू रखने के लिये तो पाकिस्तान के बजाय और देशों से मंगाने में क्या अड़चन है, उस पर भी जब मंत्री महोदय जवाब देंगे तो कुछ रोशनी डालने की कृपा करेंगे। वे यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा इक़रारनामा हुआ है वह कुल कितने जिप्सम के लिये है, कितने वर्षों के लिये है और किन शर्तों पर वह लिया जा रहा है, आया कि उससे सस्ता जिप्सम अधिक मात्रा में हमें और देशों से मिल सकता है या नहीं ?

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मुझे से सहमत होंगे कि आज हमारे देश के अंदर सिंदरी की तरह के जो बड़े-बड़े कारख़ाने चल रहे हैं उनको वास्तव में स्वदेशी कहलाना है। क्यों कि वे हमारे देश के लिये गर्व और गौरव की चीज़ है। लेकिन सिंदरी आदि कारख़ानों में विदेशों से आया हुआ जिप्सम और रा मैटिरियल (कच्ची सामग्री) इस्तेमाल किया जाय, यह हमारे देश के लिये और हमारी सरकार के लिये शोभा और शान की बात नहीं है। मैं अब अधिक समय न लेकर मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे अपने जवाब में इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : पाकिस्तान से एक वर्ष के लिये यह तदर्थ समझौता किया गया है किन्तु इस बात की क्या गारंटी है कि यह समझौता एक स्थायी समझौता नहीं बन जायेगा। दूसरी बात यह है कि जो गैर सरकारी फर्म सिन्द्री उर्वरक कारखाने को जिप्सम भेजती थी उसने ३ लाख रुपये का ऋण मांगा था किन्तु मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान से जिप्सम मंगाने के बजाय उसे क्यों नहीं सहायता दी गई ?

तीसरी बात यह है कि उत्पादन मंत्रालय ने प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय से पूछे बिना ही यह काम क्यों किया। जब हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में ही करोड़ों टन जिप्सम उपलब्ध है तो फिर यह माल बाहर से मंगाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी ? यह कहना

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

सत्य नहीं है कि राजस्थान अथवा अन्य राज्यों में अच्छी किस्म का जिप्सम उपलब्ध नहीं है। बीकानेर कम्पनी हमें ३४ रुपये ६ आने प्रति टन के हिसाब से अच्छा जिप्सम देती थी। इसके विपरीत पाकिस्तान से हमें ४० रुपये ६ आने प्रति टन जिप्सम मिल रहा है। मुझे पता नहीं कि अब तक कितना जिप्सम आया है।

†**श्री क० च० रेड्डी** : क्या मैं इस विषय के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख सकता हूं, विशेषत: उन बातों के सम्बन्ध में जिन का माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : जी हां, आप विवरण रख सकते हैं। सभा में इस समय गणपूर्ति नहीं है। अत: सभा स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, २८ अगस्त, १९५६]

पृष्ठ

विशेषाधिकार का प्रश्न १५३७–३८

श्री फ्रेंक एन्थनी ने २५ अगस्त, १९५६ को लोक-सभा में दिये गये अपने भाषण के २६ अगस्त, १९५६ के दी **हिन्दुस्तान टाईम्स** में प्रकाशित समाचार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वह इस मामले की जांच करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५३८

बागान जांच आयोग भाग–१ चाय, १९५६ के प्रतिवेदन की एक प्रति परिशिष्टों तथा अनुबन्धों सहित सभा-पटल पर रखी गई।

राज्य सभा से संदेश १५३८

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा ने अपनी २५ अगस्त, १९५६ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १० अगस्त, १९५६ को पारित राज्य पुनर्गठन विधेयक को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १५३८

साठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १५४०

चालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

विधेयक पुरःस्थापित १५४०–४१

(१) हैदराबाद राज्य बैंक विधेयक

(२) त्रावणकोर-कोचीन विनियोग संख्या २ विधेयक

विधेयक पारित . . . १५४०–४१, १५४५–७२

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार किया गया तथा पारित हुये :

(१) त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (संख्या २) विधेयक

(२) राष्ट्रीय स्वयंसेवक बल विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपा गया विधेयक . . . . . १५४१—४५

तौल और मान मापदण्ड विधेयक को संयुक्त समिनि को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक विचाराधीन १५७२-९२

सूचना तथा प्रसारण मंत्री डा. केसकर ने राज्य सभा द्वारा पारित रूप में समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा उस पर चर्चा हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आधे घण्टे की चर्चा १५९२-९४

श्री भक्त दर्शन ने श्री च० रा० नरसिहमन् की ओर से १३ अगस्त, १९५६ को जिप्सम के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १०१८ के उत्तर से उत्पन्न हुई बातों के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा उठाई।

उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि वाद-विवाद के उत्तर में उत्पादन मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखें।

गुरुवार, ३० अगस्त, १९५६ के लिये कार्यावलि—

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में और राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार तथा पारण; खान ठेकों (शर्तों का रूपभेद) नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में संकल्प पर चर्चा।

———